MIRAE ASSET
Mutual Fund

डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए निर्देश

वाईस-चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का संदेश

श्री स्वरूप आनंद मोहंती
वाईस-चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर

प्रिय डिस्ट्रीब्यूटर्स,

मैं मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के वाईस-चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर आपके समर्पण, कड़ी मेहनत और आपकी असाधारण सर्विस के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका योगदान हम सबकी कामयाबी और विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है।

पिछले एक साल में हमारी साझेदारी ने अपनी मज़बूती और मुश्किलों से लड़ने की काबिलियत का परिचय दिया है। चुनौतीपूर्ण मार्केट कंडीशन और दुनिया में हुई आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद हमने न केवल इन मुश्किलों का सामना किया है, बल्कि साथ मिलकर शानदार उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। हमारे म्यूचुअल फंड्स ने आम तौर पर बेंचमार्क्स के अनुरूप प्रदर्शन किया है, जो हमारे क्लाइंट्स को बेहतर फाइनेंशियल समाधान प्रदान करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मैं भविष्य की ओर देखते हुए उम्मीदों से भरा हुआ हूँ। फाइनेंशियल तस्वीर तेज़ी से बदल रही है और कई सेक्टर्स में नए मौके मिलने वाले है। हमारा लक्ष्य इन मौकों का फायदा उठाते हुए अपने क्लाइंट्स को निवेश के बेहतरीन विकल्प प्रदान करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हम कई नई पहल शुरू कर रहे हैं।

1. ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करना: हम अपने निवेशकों की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। इन ऑफरिंग्स में सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, सस्टेनेबल और ईएसजी-फोकस्ड फंड्स, और सामाजिक तौर पर जिम्मेदार निवेश की बढ़ती डिमांड को पूरा करने वाले नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। इन नए विकल्पों के बारे में क्लाइंट्स को जानकारी देने और उन्हें गाइड करने में आपकी भूमिका इन सभी को कामयाब बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी।.

2. डिजिटल बदलाव: आज के डिजिटल युग में एक कदम आगे रहना ज़रूरी है। हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बेहतर बनाने और उन्हें ज़्यादा यूज़र-फ्रेंडली और सुलभ बनाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में काफी निवेश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य मार्केट की जानकारी, फंड के प्रदर्शन और इनवेस्टमेंट टूल्स तक आसान, रीयल-टाइम एक्सेस देना है। हमारा मानना है कि ये बदलाव हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को शानदार सर्विस प्रदान करने और क्लाइंट्स से उनके संबंधों को मज़बूत बनाने में मदद करेंगे।

4. क्लाइंट्स के साथ संबंधों को मज़बूत बनाना: क्लाइंट्स के साथ अच्छे संबंध बनाना और बनाए रखना हमारे बिज़नेस का सबसे अहम हिस्सा है। हम अपने क्लाइंट्स की विशिष्ट ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को समझने के लिए आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम पर्सनलाइज़्ड इनवेस्टमेंट समाधान और बेहतरीन कस्टमर सर्विस प्रदान करके लंबे समय तक क्लाइंट को संतुष्टि दे सकते हैं और उनकी लॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं।
5. सस्टेनेबल ग्रोथ: हम सस्टेनेबल और ज़िम्मेदार निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारी निवेश रणनीतियों में ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंडों पर हमारा ध्यान समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक असर डालने के हमारे समर्पण को दर्शाता है। हमारा मानना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ न केवल हमारे क्लाइंट्स के लिए, बल्कि उस दुनिया के लिए भी फायदेमंद है जिसमें हम रहते हैं।

यह हैंडबुक आपको इस क्षेत्र में अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने और कामयाब होने के लिए मददगार जानकारी और टूल्स प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह हमारी इंडस्ट्री की मुश्किलों से निपटने में काफी अहम साबित होगी।

आपने हमें जो समर्थन दिया है और आपके साथ हमारी साझेदारी के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमारी कंपनी में जो विश्वास और भरोसा दिखाया है, वह वाकई शानदार है। साथ मिलकर हमने एक मज़बूत नींव रखी है और मुझे यकीन है कि हम और भी नई ऊँचाइयाँ छूते रहेंगे।

मैं आखिर में फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी से जुड़ी हुई है। आपके इनसाइट और फीडबैक अमूल्य हैं जिनसे हमें लगातार सुधार करने और ननई चीज़ें अपनाने में मदद मिलती है। आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मैं हमारी साझेदारी को इसी तरह जारी रखने और आगे आने वाले शानदार मौकों का इंतज़ार कर रहा हूँ।

डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संदेश

सुश्री सुरंजना बोरठाकुर
हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायन्सेज़

प्रिय डिस्ट्रीब्यूटर्स,

मिराए एसेट म्यूचुअल फंड ने भारत में एसेट मैनेजमेंट में 16 साल पूरे कर लिए हैं और हमारे MFD सेगमेंट का एसेट अंडर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण योगदान (36%) है। हम अपने सभी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतरीन सर्विसेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के दीर्घकालिक व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैंडबुक का यह संस्करण लॉन्च कर रहे हैं जो आपको प्रक्रियाओं और ट्रांज़ैक्शन से संबंधित रेगुलेटरी अपडेट्स के बारे में जानकारी देगी और हमारे डिजिटल एसेट्स को लेकर आपके मन में आ रहे सवालों के जवाब देने में मदद करेगी। यह आपके सफर को बेहतर और आसान बनाने के उद्देश्य से एक पहल है, और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले सालों में ऐसे और भी कई समाधान लेकर आएंगे।

आप अपने बिज़नेस में लगातार कामयाब होते रहें यही शुभकामना है!

श्री चंदन भटनागर
हेड - ऑपरेशन्स एंड इनवेस्टर रिलेशन्स

प्रिय डिस्ट्रीब्यूटर्स,

हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की हैंडबुक शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह हैंडबुक आपको महत्वपूर्ण जानकारी, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों पर व्यापक गाइडलाइन और आसान रेफरेंस के लिए विभिन्न रेगुलेटरी पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार की गई है।

हम मिराए एसेट म्यूचुअल फंड में अपने सम्मानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत अहमियत देते हैं और हम दोनों के लक्ष्यों को पाने के लिए बेहतर तालमेल बनाने में विश्वास करते हैं। इस पहल में हमारा लक्ष्य कस्टमर्स को ज़्यादा कुशलता के साथ सर्विस देना और उनके अनुभव को बेहतर बनाना है।

हमारी आपसे गुज़ारिश है कि कृपया डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें और अपने अहम फीडबैक और सुझाव दें। हमें आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। कृपया हमारी ईमेल आईडी: customercare@miraeasset.com पर हमसे संपर्क करें या हमें हमारे टोल-फ्री नंबर - 1800 2090 777 पर कॉल करें।

हम उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ हमेशा कायम रहेगा।

विषयसूची

नए रेगुलेटरी बदलाव	07
अपने कस्टमर को जानें (KYC)	08
एडिशनल KYC	13
बैंक अकाउंट वेलिडेशन	14
नॉमिनेशन	15
PAN – निवेशकों के लिए नाम का वेलिडेशन	20
रिकॉर्ड में PAN / PEKRN अपडेशन का महत्व	27
ईमेल और मोबाइल नंबर वेलिडेशन	27
फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (FATCA)	27
अल्टीमेट बेनेफिशरी ओनर और नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन	27
ट्रांज़ैक्शन के प्रकार और तरीके	28
ट्रांज़ैक्शन के प्रकार	29
ट्रांज़ैक्शन के तरीके	29
कट-ऑफ टाइमिंग्स	29
फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन्स	30
फाइनेंशियल ट्रांज़ेक्शन	31
फिजिकल मोड से फ्रेश पर्चेज़	31
ऑनलाइन फ्रेश पर्चेज़	31
रिडेम्पशन	33
स्विच	34
सिस्टेमेटिक ट्रांज़ैक्शन्स	35
वन टाइम मैंडेट (OTM)	36
नए और मौजूदा निवेशकों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	38
नई निवेशक की जर्नी- ISIP	38
SIP पॉज़	39
SIP का मॉडिफिकेशन	40
SIP कैंसलेशन	40
मिस्ड SIP की सुविधा	40
कॉर्पोरेट SIP (पहले ग्रुप इन्वेस्टमेंट प्लान - GRIP के नाम से जाना जाता था)	41
सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान	41
FLEX STP (पहले वेरिएबल ट्रांसफर प्लान-VTP के नाम से जाना जाता था)	42
सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान	42
नॉन-फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन्स	43
बैंक डिटेल्स में बदलाव	44
मल्टीपल बैंक मैंडेट रजिस्ट्रेशन	44
कॉन्टेक्ट डिटेल्स का अपडेशन - ईमेल/मोबाइल नंबर	44
होल्डिंग के तरीके का अपडेशन/बदलाव	44
नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन, बदलाव और ऑप्ट-आउट	45
फोलियो का कंसोलिडेशन	46

विषयसूची

माइनर यूनिट होल्डर के गार्डियन में बदलाव	46
फोलियो का ट्रांसमिशन	46
PAN का अपडेशन	50
PAN में बदलाव	50
लिअन मार्किंग / प्लेज	50
लिअन अन-मार्किंग / अनप्लेज	50
पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन	50
पावर ऑफ अटॉर्नी का रेवोकेशन / कैंसलेशन	51
टैक्स स्टेटस का माइनर से मेजर में बदलाव	51
सिग्नेचर में बदलाव	51
वारंट का रीवेलिडेशन	52
रेजिडेंशियल इंडिविजुअल से नॉन-रेजिडेंशियल इंडिविजुअल स्टेटस में बदलाव (या इससे उलट)	53
जन्म तिथि का अपडेशन	54
IFSC और MICR कोड का अपडेशन	54
थम्ब इम्प्रेशन का अपडेशन	54
FATCA डिटेल्स का अपडेशन	54
UBO अपडेशन	55
NPO अपडेशन	55
DTAA अपडेशन	55
फॉर्म 15H / फॉर्म 15G अपडेशन	55
अनक्लेम्ड IDCW / रिडेम्पशन	56
नाम में बदलाव	57
नॉन-डीमैट [स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ('SOA')] मोड में रखी गई यूनिट्स का ट्रांसफर	60
हमारे डिजिटल एसेट्स	61
डिस्ट्रीब्यूटर इनिशिएटेड ट्रांज़ैक्शन्स - पोर्टल	62
DIT मॉड्यूल में मौजूदा वन टाइम मैंडेट (OTM) से SIP रजिस्ट्रेशन	69
AMC के DIT पोर्टल के ज़रिए SIP मॉडिफिकेशन ऑप्शन की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड	74
वेबसाइट - इन्वेस्टर पोर्टल	83
मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा - इन्वेस्टर्स - व्हाट्सएप और चैटबॉट सुविधा	88
रेगुलेटरी प्रक्रिया - डिस्ट्रीब्यूटर	96
KYD (अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जानें)	97
एमपेनलमेंट	97
इनवैलिड ARN के साथ रेगुलर प्लान के अंतर्गत प्राप्त ट्रांज़ैक्शन की प्रोसेसिंग के लिए गाइडलाइन्स	97
डिस्ट्रीब्यूटर कोड में बदलाव	98
AUM ट्रांसफर	98
ARN एक्सपायरी	99
सेल्फ- डिक्लेरेशन फॉर्म (SDC) की एनुअल डिक्लेरेशन सबमिट करना	100
EUIN रेमेडिएशन	100
रेगुलर प्लान के NFO में ट्रांज़ैक्शन स्विच करने के मामले में कमीशन रेट की एप्लिकेबिलिटी	101

नए रेगुलेटरी बदलाव

नए रेगुलेटरी बदलाव

MIRAE ASSET
Mutual Fund

अपने कस्टमर को जानें (KYC):

म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए KYC नॉर्म्स का पालन करना रेगुलेटरी ज़रुरत है। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी, KRAs ने ऑफिशियल डेटाबेस (जैसे PAN पर इनकम टैक्स डेटाबेस, आधार XML/डिजी लॉकर/M-आधार) और ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर (जहाँ उपलब्ध हो) के साथ उपरोक्त चार विशेषताओं, जैसे PAN, नाम और एड्रेस, को वैलिडेट करने के बाद, सभी मौजूदा KYC कॉम्पलाइड निवेशकों का KYC स्टेटस बदल दिया है।

मौजूदा KYC रिकॉर्ड के लिए तीन संभावित स्टेटस हैं:

- KYC वेलिडेटेड।
- KYC रजिस्टर्ड।
- KYC ऑन होल्ड।

SEBI सर्क्युलर (SEBI/HO/MIRSD/SECFATF/P/CIR/2024/12 दिनांक 20 फरवरी 2024) के क्रम में, 1 अगस्त 2024 से KYC KRAs में FATCA और CRS के अंतर्गत सर्टिफिकेशन के सेंट्रलाइज़ेशन का सेंट्रलाइज़ेशन लागू है। गाइडलाइन्स के अनुसार, 1 अगस्त 2024 से सबमिट किए गए सभी नए KYC के साथ एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट एनक्लोज़ होना चाहिए, जिसका नाम FATCA CRS फॉर्म होगा, नहीं तो KYC एप्लीकेशन को नॉन-कॉम्पलिएंट माना जाएगा।

CVL और CAMS KRA ने जानकारी कैप्चर करने के लिए अपने बैक-एंड सिस्टम्स में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की हैं। इसके अलावा, विज़िबिलिटी की दृष्टि से, सभी PAN (जिनमें 01 अगस्त 2024 से पहले रजिस्टर्ड PAN भी शामिल हैं) के लिए सूचनात्मक उद्देश्यों हेतु FATCA स्टेटस "होल्ड रिमार्क्स" कॉलम में डिस्प्ले किया गया है ताकि इंटरमीडियरीज को PAN के लिए FATCA स्टेटस समझने में सुविधा हो। हालाँकि, "होल्ड रिमार्क्स" के अंतर्गत दिखाई देने वाली FATCA स्टेटस नॉन-कंप्लायंस KYC की वैलिडिटी को प्रभावित नहीं करेगा। CAMS KRA के लिए FATCA (इंडिविजुअल) फॉर्म भी संलग्न है।

हमारे डिजिटल एसेट्स में नए कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन जर्नी को भी संबंधित इनपुट को सीधे KYC KRAs तक कैप्चर करने और पास करने के लिए उपयुक्त तरह से इनेबल किया गया है।

Scan to know more

सभी मौजूदा KYC के लिए, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को 30 अक्टूबर, 2024 से पहले KRA में डिटेल्स अपलोड करनी होगी।

AMFI की सब-कमिटी की सिफारिश के मुताबिक, अंडर प्रोसेस स्टेटस वाले KYC के लिए TAT को मौजूदा 2 दिनों से रिवाइज़ करके 5 बिज़नेस डेज़ तक कर दिया गया है, जो 11 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगा।

मिराए एसेट म्यूचुअल फंड के मौजूदा निवेशक:

वैलिड ट्रांज़ैक्शन की स्वीकृति के लिए KYC स्टेटस या तो “KYC रजिस्टर्ड“ या “KYC वेलिडेटेड“ होना चाहिए।

मिराए एसेट म्यूचुअल फंड के नए निवेशक:

- अगर वैलिड ट्रांज़ैक्शन की स्वीकृति के लिए KYC स्टेटस "KYC वेलिडेटेड" है, तो ट्रांज़ैक्शन स्वीकार किया जा सकता है।
- अगर KYC स्टेटस "KYC रजिस्टर्ड" है, तो निर्धारित ऑफिशियली वैलिड डॉक्युमेंट्स में से किसी एक के साथ Re-KYC की जानी चाहिए (केवल RI पर लागू)।

संभावित KYC सिनेरियो का सार

क्रमांक	PAN	पता	नाम	ईमेल	मोबाइल	PAN-आधार लिंक	KYC स्टेटस
	ITD में मौजूद है और PAN स्टेटस वैलिड है।	सोर्स डेटा से वेलिडेटेड	सोर्स डेटा से वेलिडेटेड	उपलब्ध, सफलतापूर्वक वेलिडेटेड - OTP/डिलीवरी	उपलब्ध, सफलतापूर्वक वेलिडेटेड - OTP/डिलीवरी	हो गया/NA/नहीं हुआ (ITD API रेस्पॉन्स)	
	OVD – आधार						
1	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हो गया/NA	KYC वेलिडेटेड
2	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हो गया/NA	KYC रजिस्टर्ड
3	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हो गया/NA	KYC रजिस्टर्ड
4	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं हुआ	KYC रजिस्टर्ड
5	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हो गया/NA	KYC ऑन-होल्ड
6	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हो गया/NA	KYC ऑन-होल्ड
7	हाँ	हाँ	हाँ	उपलब्ध नहीं है	नहीं	हो गया/NA	KYC ऑन-होल्ड
8	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं है	हो गया/NA	KYC ऑन-होल्ड
9	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हो गया/NA	KYC ऑन-होल्ड
10	हाँ	हाँ	हाँ	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	हो गया/NA	KYC वेलिडेटेड
11	हाँ	नहीं	हाँ	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	हो गया/NA/नहीं	KYC रजिस्टर्ड
	OVD - नॉन-आधार						
1	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हो गया/NA	KYC रजिस्टर्ड
2	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हो गया/NA	KYC रजिस्टर्ड
3	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हो गया/NA	KYC रजिस्टर्ड
4	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं हुआ	KYC रजिस्टर्ड
5	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हो गया/NA	KYC ऑन-होल्ड
6	हाँ	नहीं	हाँ	उपलब्ध नहीं है	नहीं	हो गया/NA	KYC ऑन-होल्ड
7	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	उपलब्ध नहीं है	हो गया/NA	KYC ऑन-होल्ड
8	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हो गया/NA	KYC ऑन-होल्ड
9	हाँ	नहीं	हाँ	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	हो गया/NA	KYC रजिस्टर्ड
10	हाँ	नहीं	हाँ	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	हो गया/NA/नहीं	KYC रजिस्टर्ड

* सभी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है।

रेज़िडेंट इंडिविजुअल के लिए:

- अगर दो चीज़ें, यानी ईमेल और मोबाइल नंबर, निर्दिष्ट हैं और उनमें से एक वेलिडेटेड है, तो KYC स्टेटस को KYC रजिस्टर्ड के रूप में मॉडिफाई किया जाएगा। हालाँकि, अगर केवल एक चीज़ निर्दिष्ट है या कोई भी चीज़ वेलिडेटेड नहीं है, तो KYC स्टेटस "KYC-ऑन होल्ड" बना रहेगा - 01 जून 2024 से प्रभावी।

- PAN आधार लिंकेज नॉन-कंप्लायंस के कारण होल्ड किए गए सभी KYC रिकॉर्ड के स्टेटस को सभी इंडिविजुअल केटेगरी के निवेशकों के लिए किसी भी KYC प्रकार और किसी भी OVD (डीम्ड OVD सहित) के बावजूद होल्ड स्टेटस से KYC रजिस्टर्ड स्टेटस में बदल दिया जाएगा - 01 जून 24 से प्रभावी।

- रिडेम्पशन/SWP की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब KYC स्टेटस "इनवैलिड ईमेल आईडी/ईमेल फेल्ड" होने के कारण "ऑन-होल्ड" हो। हालाँकि वर्तमान में KRAs की ओर से कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफायर इनेबल्ड नहीं है, इसे सर्वोत्तम कोशिश के साथ KYC फीड्स के एक भाग के रूप में दिए गए रिमार्क्स आधार पर मैन्युअल तरीके से हैंडल किया जाएगा। - 16 मई 2024 से प्रभावी।

- IDCWs के मामले में, जहाँ PAN-आधार लिंक नहीं किया गया है, उन IDCWs को प्रोसेस किया जाएगा और जहाँ भी टैक्स डिडक्शन शामिल होगा वहाँ हायर TDS लागू होगा। साथ ही, IDCW को उसी स्कीम (और अनक्लेम्ड पर नहीं) के तहत फर्स्ट होल्डर/गार्डियन के लिए ज़्यादा टैक्स के साथ प्रोसेस किया जाएगा।

नॉन-रेज़िडेंट इंडिविजुअल (NRIs) /विदेशी नागरिकों के लिए:

- NRI / विदेशी नागरिक 30 अप्रैल 2026 तक Re-KYC की आवश्यकता के बिना "KYC-रजिस्टर्ड" स्टेटस के साथ नए AMC में निवेश कर सकते हैं।

फिज़िकल / ऑफलाइन KYC के लिए ज़रूरी डॉक्युमेंट्स:

- सही तरीके से भरा हुआ KYC फॉर्म
- ऑफिशियली वैलिड डॉक्युमेंट्स:
  - आधार (पसंदीदा और रेकमेंडेड) - कॉपी और फॉर्म पर पहले 8 डिजिट छिपाए जाने चाहिए। प्रूफ के तौर पर सबमिट किया गया आधार वेलिडेशन के अधीन है। अगर वेलिडेशन हो जाता है, तो यह "KYC वेलिडेटेड" के तौर पर दिखाई देगा। उसके बाद ही ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किया जा सकता है। अगर यह वेलिडेटेड नहीं है, तो ट्रांज़ैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
  - पासपोर्ट
  - वोटर आईडी
  - ड्राइविंग लाइसेंस
  - नरेगा कार्ड
  - नेशनल पॉप्युलशन रजिस्टर द्वारा जारी लेटर
  - सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रूफ

ध्यान दें:

- NRI के मामले में, भारतीय एड्रेस प्रूफ अनिवार्य नहीं है।
- PE-KRN: अगर PAN नहीं है, तो कोई भी फोटो आईडी। ऐसे मामले में, उस विशेष फाइनेंशियल ईयर के लिए केवल 50,000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं।

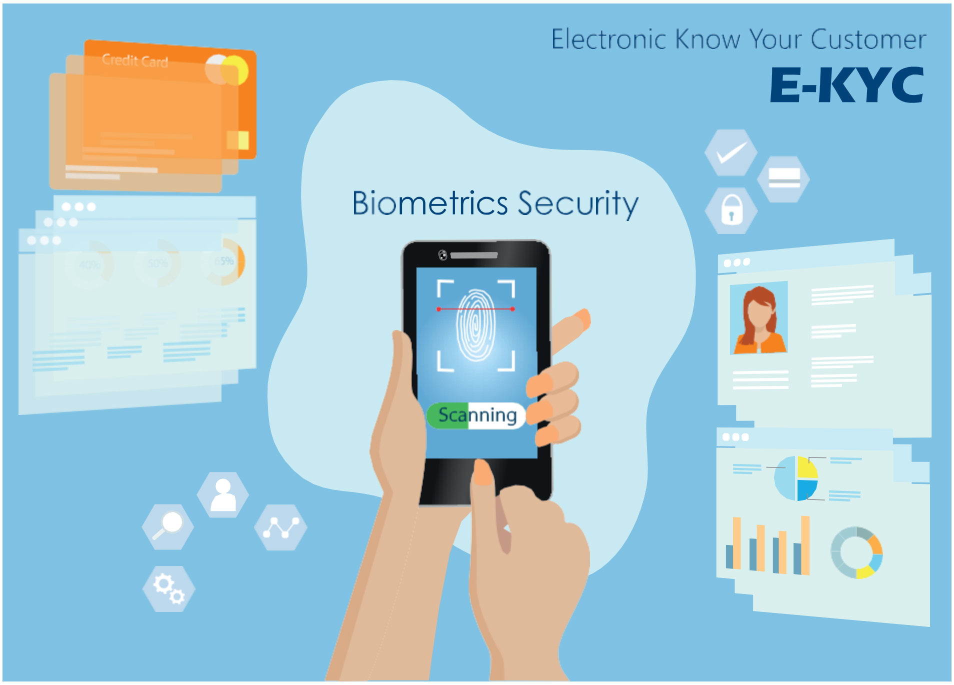

E-KYC या इलेक्ट्रॉनिक KYC (डिजिटल KYC):

हमने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर E-KYC शुरू कर दी है। यह आधार और PAN वेलिडेशन के ज़रिए की जाती है, इसलिए KYC वेलिडेशन के लिए आधार अनिवार्य हो जाता है।

- निवेशक को आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा (इनमें से कम से कम एक आधार के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए)।
- UIDAI वेलिडेशन पूरा होने के बाद, CAMS से मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर OTP भेजा जाता है।
- OTP वेरिफिकेशन सफल होने पर, निवेशक को NSDL द्वारा वेलिडेटेड PAN कॉपी अपलोड करनी होगी।
- एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए UIDAI निवेशक को रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल में से किसी एक पर OTP भेजेगा।
- OTP ऑथेंटिकेशन सफल होने पर UIDAI आधार PDF और निवेशक की फोटो प्रदान करेगा।
- इसके अलावा, निवेशक "My Profile" सेक्शन में जाकर लॉग्ड इन सेक्शन के अंतर्गत KYC को ऑनलाइन मॉडिफाई भी कर सकेगा।

एलिजिबिलिटी (पात्रता):

इसे फुल KYC माना जाएगा और निवेश राशि पर कोई लिमिट नहीं होगी। ऑफलाइन निवेश की भी अनुमति होगी। माइनर और NRI इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

विभिन्न KYC परिदृश्य:

रेगुलेटरी बदलाव 01 अप्रैल 2024 से प्रभावी			
KYC स्टेटस	मौजूदा निवेशक	नए निवेशक	विवरण
KYC वेलिडेटेड	KYC वेलिडेटेड	ट्रांज़ैक्शन की अनुमति है	आधार को OVD के रूप में इस्तेमाल करके KYC रजिस्टर्ड - सभी नए और मौजूदा निवेशकों के लिए वैलिड
KYC ऑन होल्ड	Re-KYC	Re-KYC	निम्नलिखित में से किसी भी कारण से हो सकता है: >> अगर दो चीज़ें, यानी ईमेल और मोबाइल नंबर, निर्दिष्ट हैं और उनमें से एक वेलिडेटेड है, तो KYC स्टेटस को KYC रजिस्टर्ड के रूप में मॉडिफाई किया जाएगा। हालाँकि, अगर केवल एक चीज़ निर्दिष्ट है या कोई भी चीज़ वेलिडेटेड नहीं है, तो KYC स्टेटस "KYC-ऑन होल्ड" बना रहेगा - 01 जून 2024 से प्रभावी। >> डॉक्युमेंट संबंधी गड़बड़ी निवेशक KYC स्टेटस (ऑन होल्ड) के कारण को ठीक करने के बाद ट्रांज़ैक्शन कर सकेंगे।
KYC रजिस्टर्ड (नॉन आधार OVD)	ट्रांज़ैक्शन की अनुमति है	Re-KYC	नए म्यूचुअल फंड में प्रवेश करने वाले नए निवेशक के लिए - स्वीकार्य ऑफिशियल वैलिड डॉक्युमेंट्स में से एक के साथ Re-KYC करना ज़रूरी है: >> आधार (पसंदीदा और रेकमेंडेड) >> पासपोर्ट >> वोटर आईडी >> ड्राइविंग लाइसेंस >> नरेगा कार्ड >> नेशनल पॉप्युलशन रजिस्टर द्वारा जारी लेटर >> सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रूफ >> अगर दो चीज़ें, यानी ईमेल और मोबाइल नंबर, निर्दिष्ट हैं और उनमें से एक वेलिडेटेड है, तो KYC स्टेटस को KYC रजिस्टर्ड के रूप में मॉडिफाई किया जाएगा। हालाँकि, अगर केवल एक चीज़ निर्दिष्ट है या कोई भी चीज़ वेलिडेटेड नहीं है, तो KYC स्टेटस "KYC-ऑन होल्ड" बना रहेगा - 01 जून 2024 से प्रभावी।
KYC रजिस्टर्ड (आधार OVD)	ट्रांज़ैक्शन की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब निवेशक AMC में मौजूदा निवेशक हो। (31 मार्च 2024 तक) संबंधित KRA साइट के ज़रिए Re-KYC / KYC वेलिडेशन की सलाह दी जाती है (चूंकि आधार वेलिडेशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसे वेलिडेटेड KYC नहीं बल्कि रजिस्टर्ड KYC माना जाएगा)	Re-KYC	अपने KYC को वेलिडेटेड करने के लिए आधार वेलिडेशन स्टेप को पूरा करने की सलाह दी जाती है: >> वेलिडेशन ऑनलाइन पूरा करें - CVL और CAMS KRA तक लिमिटेड (या) >> नजदीकी POS पर QR कोड रीडेबल आधार कार्ड कॉपी सबमिट करके फिज़िकल Re-KYC। >> अगर दो चीज़ें, यानी ईमेल और मोबाइल नंबर, निर्दिष्ट हैं और उनमें से एक वेलिडेटेड है, तो KYC स्टेटस को KYC रजिस्टर्ड के रूप में मॉडिफाई किया जाएगा। हालाँकि, अगर केवल एक चीज़ निर्दिष्ट है या कोई भी चीज़ वेलिडेटेड नहीं है, तो KYC स्टेटस "KYC-ऑन होल्ड" बना रहेगा - 01 जून 2024 से प्रभावी।
KYC - रजिस्टर्ड (NRI निवेशकों पर लागू)	ट्रांज़ैक्शन की अनुमति है	ट्रांज़ैक्शन की अनुमति है	NRI / विदेशी नागरिक 30 अप्रैल 2026 तक Re-KYC की आवश्यकता के बिना "KYC-रजिस्टर्ड" स्टेटस के साथ नए AMC में निवेश कर सकते हैं।
KYC - वेलिडेटेड (NRI निवेशकों पर लागू)	ट्रांज़ैक्शन की अनुमति है	ट्रांज़ैक्शन की अनुमति है	अगर दिया गया प्रूफ आधार है और अगर KYC स्टेटस वेलिडेटेड है - तो नए और मौजूदा निवेशक के तौर पर ट्रांज़ैक्शन की अनुमति है
ध्यान दें: चूंकि आधार हर जगह स्वीकार्य है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि निवेशक आधार का इस्तेमाल करके वन टाइम KYC / KYC मॉडिफिकेशन करें।			

KYC स्टेटस को निम्नलिखित लिंक्स के ज़रिए चेक कर सकते हैं:

KRA	URL
CVL	https://www.cvlkra.com/
CAMS	https://www.camskra.com/
NDML	https://kra.ndml.in/ClientInitiatedKYC-webApp/#/ClientinitiatedKYC
KARVY	https://www.karvykra.com/
NSE KRA (पहले DOTEX KRA कहा जाता था)	https://www.nsekra.com/

एडिशनल KYC:

Place of Birth	Country of Birth	Nationality:

a*. Occupation Details (Please(✓)]
☐ Private Sector ☐ Public Sector ☐ Goverment Service ☐ Student ☐ Professional ☐ Housewife
☐ Business ☐ Retired ☐ Agriculture ☐ Proprietorship ☐ Others ________

b*. Politically Exposed Person (PEP) Status ☐ m PEP ☐ I am Related to PEP ☐ Not Applicable

c*. Gross Annual Income (`) [Please(✓)] ☐ Below 1 Lakh ☐ 1-5 Lakhs ☐ 5-10 Lakhs ☐ 10-25 Lakhs ☐ >25 Lakhs ☐ >1 Crore

d*. Net-worth ` ______________________ as on ______________(Not older than 1 year)

विवरण सामान्य एप्लीकेशन फॉर्म का हिस्सा हैं, जिसे निवेशक को अनिवार्य रूप से भरना होता है, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है।

- निवेशक को अनिवार्य रूप से उस इनकम स्लैब की घोषणा करनी होगी जिसमें वह आता/आती है, नहीं तो उसका निवेश रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
- पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (PEP) स्टेटस अनिवार्य रूप से बताना होगा।
- नॉन-इंडिविजुअल के मामले में, नेट-वर्थ की जानकारी देना अनिवार्य है।

KYC:

बैंक अकाउंट वेलिडेशन:

म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड में बैंक डिटेल्स अनिवार्य रूप से अपडेट की जानी चाहिए। बैंक अकाउंट केवल फर्स्ट नेम्ड होल्डर का ही होना चाहिए।

ट्रांज़ैक्शन में आसानी के लिए, निवेशक के पास कई बैंक अकाउंट को अपडेट करने का विकल्प है, जिसमें से किसी एक को डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट (या) प्राइमरी बैंक अकाउंट निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक इंडिविजुअल अधिकतम पाँच (5) बैंक अकाउंट और नॉन-इंडिविजुअल अधिकतम दस (10) बैंक अकाउंट अपडेट कर सकता है। निवेशक द्वारा निर्दिष्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स को रिकॉर्ड में अपडेट करने से पहले वेलिडेट किया जाना चाहिए।

SEBI द्वारा बैंक वेलिडेशन का तरीका निर्धारित किया गया है:

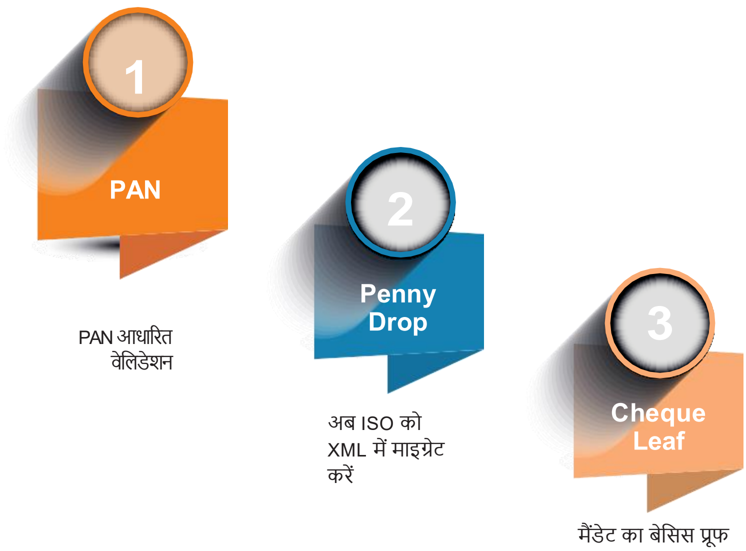

बैंक वेलिडेशन के मामले में ध्यान देने योग्य कुछ पॉइंट्स:

- NRIs के मामले में - NPCI IMPS नाम मैच किया जाता है, जहाँ कोई पेनी ड्रॉप नहीं होता है।
- माइनर फोलियो के मामले में भी बैंक अकाउंट वेलिडेशन किया जाता है।
- एडिशनल बैंक मैंडेट सहित बैंक में बदलाव को वेलिडेट किया जाता है।
- ट्रांसमिशन: क्लेमेंट बैंक को ट्रांसमिशन से पहले वेलिडेशन किया जाता है।

नॉमिनेशन:

SEBI के दिनांक 10 जून, 2024 के सर्क्युलर SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 के मुताबिक, नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट की आवश्यकताओं का पालन न करने वाले फोलियो को डेबिट ट्रांज़ैक्शन के लिए फ्रीज नहीं किया जाएगा। बिना नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट वाले लीगेसी फोलियो पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा।

इसके अलावा, सिंगल होल्डिंग कैपेसिटी वाले सभी नए फोलियो को अनिवार्य रूप से नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट का अनुपालन करना होगा।

नॉमिनेशन के लिए अनिवार्य फील्ड्स निम्नलिखित हैं:

- नॉमिनी का नाम
- नॉमिनेशन परसेंटेज (अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी हों)
- फर्स्ट होल्डर के साथ संबंध।
- अगर नॉमिनी माइनर है, तो जन्मतिथि अनिवार्य है और गार्डियन का नाम वैकल्पिक है।

नॉमिनेशन के मामले में ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य पॉइंट्स:

- एक फोलियो में अधिकतम तीन (3) नॉमिनी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा नॉमिनी अपॉइंट करने की स्थिति में, परसेंटेज और शेयर स्पष्ट तरीके से बताए जाने चाहिए। अगर यह नहीं बताया जाता है, तो दो नॉमिनी के लिए यह 50% और तीन के लिए 33%, 33% और 34% माना जाएगा।
- माइनर नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं।
- यूनिट होल्डर्स के पास फोलियो में नॉमिनी को अपडेट/मॉडिफाई करने का विकल्प होता है। मौजूदा नॉमिनेशन में मॉडिफिकेशन के मामले में, होल्डिंग के मोड की परवाह किए बिना, फोलियो में सभी यूनिट होल्डर्स की स्पष्ट सहमति होनी चाहिए।

नॉमिनेशन को निम्नलिखित तरीकों से अपडेट किया जा सकता है:

- मिराए एसेट पोर्टल - लॉग्ड इन सेक्शन (https://www.miraeassetmf.co.in/). यह सुविधा केवल सिंगल मोड ऑफ़ होल्डिंग के लिए उपलब्ध है।
- K-Fintech पोर्टल: https://mfs.kfintech.com/investor/general/nctnominationupdation
- MF Central: https://www.mfcentral.com/.
- नज़दीकी AMC ब्रांच या K-Fintech ISC में फिजिकल रिक्वेस्ट। फॉर्म हमारी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता सकता है।: www.miraeassetmf.co.in.

Scan to know more

नॉमिनेशन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।

क्रमांक	सवाल	जवाब
1	8 अगस्त, 2025 को या उसके बाद खोले गए नए फोलियो के लिए नॉमिनेशन के अंतर्गत अनिवार्य फील्ड्स	नॉमिनी का नाम, परसेंटेज, शेयर, संबंध, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर और आइडेंटिटी नंबर
2	नॉमिनी के कौन से आइडेंटिटी नंबर स्वीकार किए जाते हैं?	i) PAN नंबर; ii) ड्राइविंग लाइसेंस नंबर iii) पासपोर्ट नंबर iv) आधार नंबर (केवल अंतिम 4 डिजिट) v) जन्म तिथि - माइनर के मामले में (उपर्युक्त प्रूफ्स के लिए डॉक्युमेंट सबमिट करने की कोई ज़रुरत नहीं है)
3	क्या नॉमिनी का ईमेल और मोबाइल नंबर अनिवार्य है?	हाँ, दोनों अनिवार्य हैं
4	क्या यूनिट होल्डर का PAN और गार्डियन का PAN एक ही हो सकता है?	नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। यूनिट होल्डर, नॉमिनी का गार्डियन नहीं हो सकता है।
5	क्या नॉमिनी के लिए जन्मतिथि अनिवार्य है?	नहीं, जब तक कि नॉमिनी माइनर न हो। ऐसे मामले में माइनर की जन्मतिथि अनिवार्य है।
6	क्या माइनर नॉमिनी के लिए गार्डियन का नाम अनिवार्य है?	नहीं, अनिवार्य नहीं है
7	फिजिकल/चैनल पार्टनर ट्रांज़ैक्शन के मामले में जब डिटेल्स पूरी न हो तो क्या होगा?	एप्लीकेशन को NIGO माना जाएगा, और RTA की ओर से सीधे निवेशक को रेमेडिएशन के लिए एक लिमिटेड पीरियड लिंक भेजा जाएगा
8	एक्सचेंज/वेबसाइट के मामले में जब डीटेल्स पूरी न हो तो क्या होगा?	वेलिडेशन का काम ट्रांज़ैक्शन अपलोड लेवल पर किया जाता है और अगर फीड फॉर्मेट में कोई जानकारी छूट जाती है तो इसे RTA स्तर पर अपलोड लेवल रिजेक्शन माना जाएगा।
9	किसी निवेशक के लिए नॉमिनी को अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है, जिसने नॉमिनेशन के लिए थम्ब इम्प्रैशन दिया है?	दो गवाहों के नाम, सिग्नेचर और पते के साथ वेरिफाइड थम्ब इम्प्रैशन अनिवार्य है
10	क्या नए नॉमिनेशन / नॉमिनी के मॉडिफिकेशन के मामले में SOA डिस्प्ले निर्दिष्ट करना अनिवार्य है?	हाँ, निवेशक को SOA में डिस्प्ले का विकल्प बताना होगा, अर्थात्: i) नॉमिनी का नाम ii) नॉमिनी रजिस्टर्ड - हाँ/ नहीं चयन न करने की स्थिति में डिफ़ॉल्ट है नॉमिनी रजिस्टर्ड - हाँ / नहीं
11	अधिकतम कितने नॉमिनेशन कर सकते हैं?	तीन तक
12	अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी उपलब्ध हों और एलोकेशन परसेंटेज बताया न हो तो क्या होगा?	i) दो नॉमिनी के मामले में - प्रत्येक के लिए 50% ii) तीन नॉमिनी के मामले में - 34%, 33% और 33%, नॉमिनेशन % को पहले नॉमिनी तक अपवर्ड राउंडेड किया जाएगा।
13	क्या % एलोकेटेड में डेसीमल वैल्यू की अनुमति है?	नहीं, केवल पूर्ण संख्याओं (व्होल नंबर्स) की अनुमति है
14	क्या जॉइंट होल्डर्स द्वारा होल्ड किए गए फोलियो में नॉमिनेशन अनिवार्य है?	नहीं, सिंगल हेल्ड फोलियो के मामले में नॉमिनेशन / ऑप्ट आउट अनिवार्य है।
15	क्या जॉइंटली हेल्ड फोलियो द्वारा ऑप्ट आउट किया जा सकता है?	हाँ
16	अगर नॉमिनेशन / ऑप्ट आउट का विकल्प नहीं भरा गया तो क्या होगा?	फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है।
17	क्या सिंगल होल्डिंग मोड के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य है?	हाँ, नॉमिनेशन (या) ऑप्ट आउट अनिवार्य है
18	क्या "Any one or Survivor" फोलियो के मामले में नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए सभी यूनिट होल्डर्स की सहमति अनिवार्य है?	नहीं, कोई भी होल्डर साइन कर सकता है
19	क्या "जॉइंट" फोलियो के मामले में नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए सभी यूनिट होल्डर्स की सहमति अनिवार्य है?	हाँ, दोनों होल्डर्स को साइन करना होगा।

MIRAE ASSET
Mutual Fund

ट्रांज़ैक्शन की विभिन्न स्थितियां और ट्रीटमेंट:

क्रम संख्या	स्थिति	कार्रवाई जिसमें ट्रांज़ैक्शन का ट्रीटमेंट शामिल है
1	मौजूदा निवेशक - स्विच कर रहा है। मौजूदा फोलियो में केवल नॉमिनी का नाम है। अन्य डिटेल्स नहीं हैं।	ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किया जाएगा। नया नियम 8 अगस्त, 2025 से बनाए गए नए फोलियो पर लागू होगा।
2	मौजूदा निवेशक - SIP मौजूदा फोलियो में केवल नॉमिनी का नाम है। अन्य डिटेल्स नहीं हैं।	ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किया जाएगा। नया नियम 8 अगस्त, 2025 से बनाए गए नए फोलियो पर लागू होगा।
3	नया निवेशक- नॉमिनी से ऑप्ट आउट किया - SoA में क्या डिस्प्ले होगा	"नॉमिनी ऑप्टेड आउट" के तौर पर डिस्प्ले होगा
4	नया निवेशक- निवेशक का नाम दिखाने का विकल्प चुना है। क्या डिस्प्ले होगा	SoA में केवल नॉमिनी का का नाम डिस्प्ले होगा - ड्राफ्ट SoA इसके साथ अटैच है।
5	नया निवेशक- नॉमिनेशन की सभी डिटेल्स दिखाने का विकल्प चुना है- क्या डिस्प्ले होगा	SoA में केवल नॉमिनी का का नाम डिस्प्ले होगा। अन्य डिटेल्स डिस्प्ले नहीं होंगी
6	नया निवेशक - SoA में नॉमिनी का नाम न दिखाने का विकल्प चुना है।	यह "रजिस्टर्ड" के तौर पर डिस्प्ले होगा। ड्राफ्ट SoA अटैच है।
7	नया फोलियो - अगर पर्चेज़ एप्लीकेशन के साथ नॉमिनी की अतिरिक्त डिटेल्स शेयर नहीं की जाती हैं	हम फिलहाल इस ट्रांज़ैक्शन को एंडोर्समेंट स्टेज में रोक रहे हैं। इसे T+4 के अंदर एक लिंक के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, जिसे निवेशक के साथ शेयर किया जाएगा। अन्यथा, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिफंड कर दिया जाएगा।
8	मौजूदा निवेशक - SOA डिस्प्ले	SOA में सभी नॉमिनी के नाम डिस्प्ले होंगे
9	मौजूदा निवेशक - SOA डिस्प्ले - क्या वह नॉमिनी का नाम डिस्प्ले न करने का विकल्प चुन सकता/सकती है?	हाँ, "रजिस्टर्ड - हाँ/ नहीं" ऑप्शन चुनकर डेक्लरेशन फॉर्म प्रदान करके

ट्रांसमिशन के पहलू:

1. AMCs / DPs, नॉमिनी को 1) डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और 2) नॉमिनी की KYC) के पूरे /अपडेशन होने पर फोलियो / अकाउंट ट्रांसमिट करेंगे। नॉमिनी को अलग से एफिडेफिट, क्षतिपूर्ति, अंडरटेकिंग, अटेस्टेशन या नोटरी प्रदान करने की ज़रुरत नहीं है (केवल 8 अगस्त, 2025 को या उसके बाद रजिस्टर्ड नॉमिनेशन पर लागू)।)

2. एक से ज़्यादा नॉमिनी के मामले में, एसेट्स जीवित नॉमिनी को समानुपातिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। % के डिवीज़न / फ्रैक्शन के बाद कोई भी विषम हिस्सा, नॉमिनेशन फॉर्म में उल्लिखित पहले नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

% share as specified by in vestor at the time of nomination		% share to be appointed to surviving nominees upon demise of in vestor and nominee 'A'			
Nominee	% Share	Nominee	% initial share	% of A's share to be appointed	Total % share
A	60%	A	0	0	0
B	30%	B	30%	45%	75%
C	10%	C	10%	15%	25%
Total	100%	-	40%	60%	100%

विभिन्न स्थितियों के लिए SOA डिस्प्ले:

1. नया निवेशक जिसने SOA में नॉमिनी की डिटेल्स न दिखाने का विकल्प चुना है:

Folio No. XXXXXXXXX CAN :

XXXXXX LAGAD

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile : XXXX
E-Mail : ı@kfintech.com
First Holders Date of Birth : Registered

Nominee : Registered
Nominee2 : Registered
Nominee3 : Registered

2. नॉमिनी का नाम दिखाने का विकल्प चुना - नॉमिनी का नाम डिस्प्ले किया गया

Folio No. XXXXXXXXX CAN :

XXXXXH KAPOOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile : 1111111111
E-Mail : xxx@kfintech.com
First Holders Date of Birth : Registered

Nominee XXXXX - 100.00%

3. नॉमिनी ऑप्ट आउट किया गया

Folio No. XXXXXXXXXXXX CAN :

PRAT/ - BERRY

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile : XXXXX
E-Mail : ahoo.com
First Holders Date of Birth : Registered

Nominee : Opted Out

PAN - निवेशकों के लिए नाम का वेलिडेशन:

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (ITD) के निर्देशों के आधार पर ऑनलाइन PAN वेरिफिकेशन की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। नई API वेब सर्विस 30 अप्रैल 2024 से प्रभावी है।

- सभी होल्डर्स [प्रथम एकल आवेदक/द्वितीय आवेदक/तृतीय आवेदक], POA, माइनर आवेदक के मामले में गार्डियन, UBOs के लिए - "निवेशक का नाम" की मौजूदा फील्ड में PAN कार्ड पर दिए गए नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगर PAN कार्ड के अलावा कोई अन्य नाम दिया जाता है, तो UTIITSL PAN वेलिडेशन API से प्राप्त वैल्यूज के आधार पर ट्रांज़ैक्शन रिजेक्ट किया जा सकता है।
- हर होल्डर के लिए जन्मतिथि अनिवार्य है। RTA सिस्टम को एन्हांस किया जाएगा ताकि गार्डियन सहित सभी होल्डर्स के लिए जन्मतिथि की फील्ड उपलब्ध हो सके।
- नॉन-इंडिविजुअल के लिए, इनकॉर्पोरेशन (निगमन) की तारीख अनिवार्य है।
- किसी भी डेटा एंट्री संबंधी समस्या से बचने के लिए, 30 अप्रैल 2024 से सभी नए निवेशकों के एप्लीकेशन के साथ सभी आवेदकों या POA, माइनर आवेदक के मामले में गार्डियन, UBO की PAN कार्ड की स्पष्ट कॉपी शेयर करने की सलाह दी जाती है।
- सभी डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए, ख़ास तौर पर मिराए एसेट म्यूचुअल फंड की नई जर्नी में, पॉइंट 1 और 2 में निर्दिष्ट जानकारी की आवश्यकता होगी।

पैरामीटर	अनुमत रेस्पॉन्स पैरामीटर
PAN स्टेटस	मौजूद और वैलिड है या मौजूदा और वैलिड है
कार्ड पर नाम	हाँ
DOB/DOI	हाँ/नहीं
आधार सीडिंग स्टेटस	ऑपरेटिव/ इन ऑपरेटिव/NA

इस बदलाव का प्रभाव:

नई प्रक्रिया के मुताबिक, PAN, निवेशक का नाम और DOB/DOI - इनपुट पैरामीटर के रूप में अनिवार्य हैं। API को निम्नलिखित चार फील्ड [PAN, PAN के अनुसार नाम, DOB/DOI और आधार स्टेटस (कोई इनपुट आवश्यक नहीं)] को समायोजित करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और UTIITSL को भेजा जाएगा। RTA किसी ट्रांज़ैक्शन की अनुमति देने के लिए केवल निम्नलिखित फील्ड और नीचे दिए गए संबंधित वैलिड रेस्पोंस पर ही विचार करेगा। अगर कोई अन्य रेस्पोंस प्राप्त होता है, तो ऐसे ट्रांज़ैक्शन को NIGO माना जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

PAN वेलिडेशन पद्धति को समझने के लिए कुछ उदाहरण:

क्रम संख्या	MF एप्लीकेशन / KYC एप्लीकेशन के अनुसार नाम (सांकेतिक नाम - वास्तविक नाम नहीं)	ITD / PAN कार्ड के अनुसार नाम (सांकेतिक नाम - वास्तविक नाम नहीं)	29 अप्रैल, 2024 के बाद इसे कैसे देखा जाएगा
1	सुरेश मेहता	सुरेश मेहता	मैच हो गया (ITD फीड्स से प्राप्त फ्लैग के अधीन)
2	मार्क एंथनी	मार्क एंथनी	मैच हो गया (ITD फीड्स से प्राप्त फ्लैग के अधीन)
3	एस के राजा	सुपर कृष्ण राजा	मैच नहीं हुआ
4	XYZ इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	XYZ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	मैच नहीं हुआ
5	आर के सिंह (HUF)	आर के सिंह HUF	मैच नहीं हुआ
6	मो. इरफान	मोहम्मद इरफान	मैच नहीं हुआ
7	ABC & Co	ABC AND CO.	मैच नहीं हुआ
8	कुमार बाबू	बाबू कुमार	मैच नहीं हुआ
9	श्रीनिवासन कुमार कन्नन	कन्नन श्रीनिवासन के	मैच नहीं हुआ
10	कुमार एस शाह	कुमारभाई एस शाह	मैच नहीं हुआ

कैसे पता करें कि आपका PAN UTIITSL ने जारी किया है या NSDL ने?

आपका पैन UTIITSL ने जारी किया गया है या NSDL/Protean ने, यह जानने के लिए अपने PAN के पीछे का हिस्सा देखें।

NSDL द्वारा जारी PAN

UTIITSL द्वारा जारी PAN

अगर आपके पास e-PAN नहीं है और आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय PAN के अनुसार नाम चेक करने की ज़रूरत हो तो e-PAN का एक्सेस कैसे पाएं?

UTIITSL द्वारा जारी e-PAN पर एक्सेस के लिए URL:

https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/ePANCard

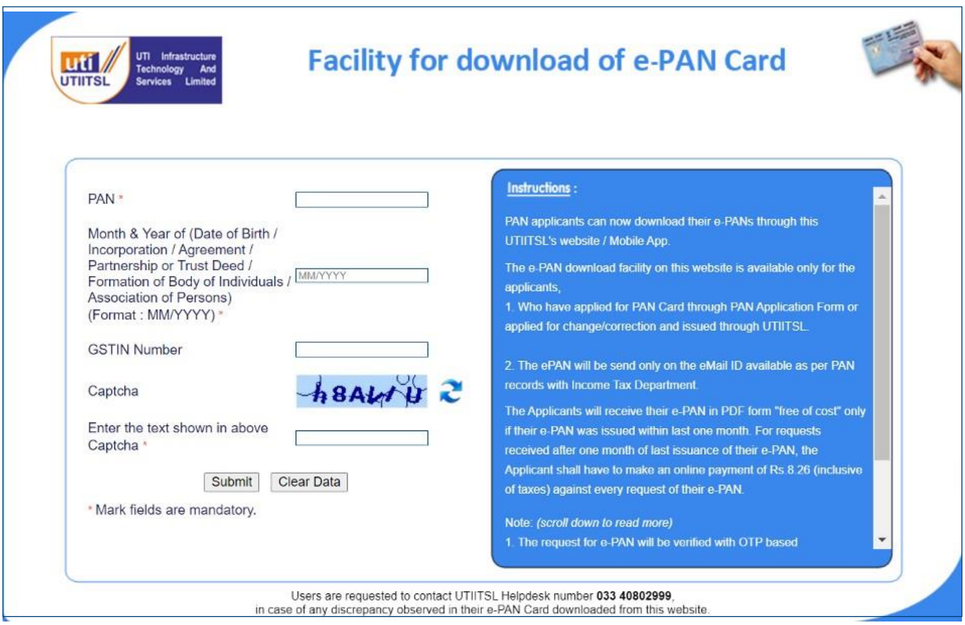

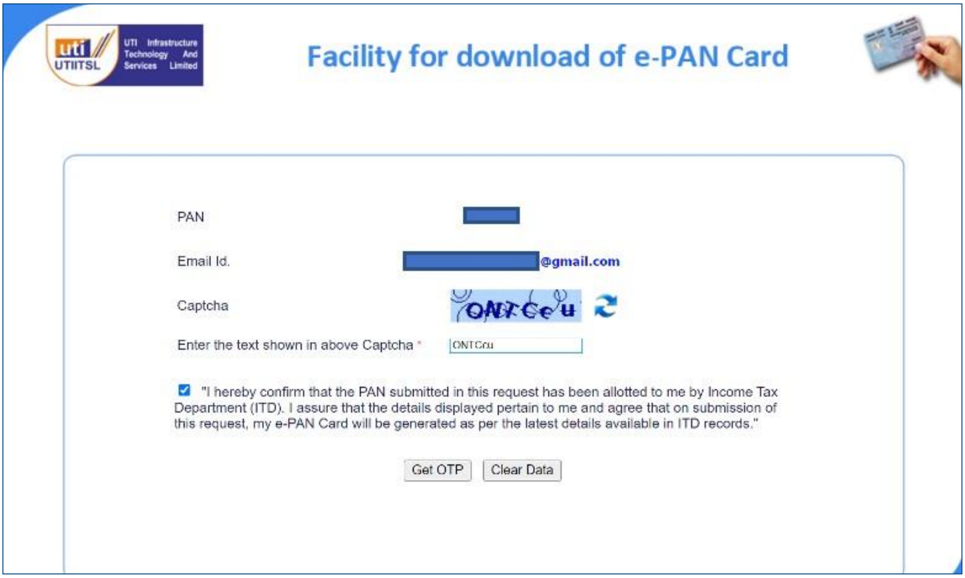

UTI Infrastructure Technology And Services Limited
Facility for download of e-PAN Card
PAN [redacted]
Email Id. [redacted]@gmail.com
Captcha
Enter the text shown in above Captcha *
ONTCcu
"I hereby confirm that the PAN submitted in this request has been allotted to me by Income Tax Department (ITD). I assure that the details displayed pertain to me and agree that on submission of this request, my e-PAN Card will be generated as per the latest details available in ITD records."
Get OTP
Clear Data

UTI Infrastructure Technology And Services Limited
Facility for download of e-PAN Card
PAN Number [redacted]
Email Id. [redacted]@gmail.com
Enter OTP received in your Email ID.
Submit
Clear Data

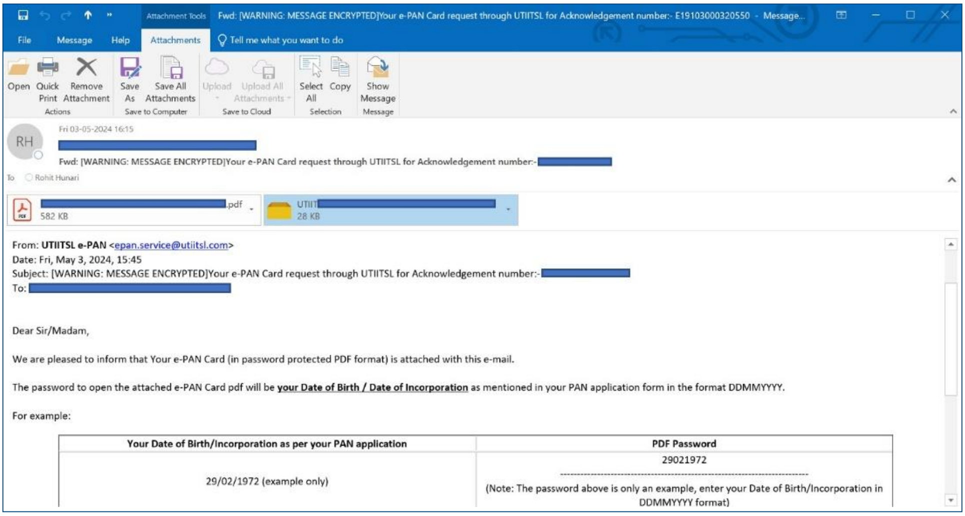

NSDL द्वारा जारी e-PAN पर एक्सेस के लिए URL:

https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html

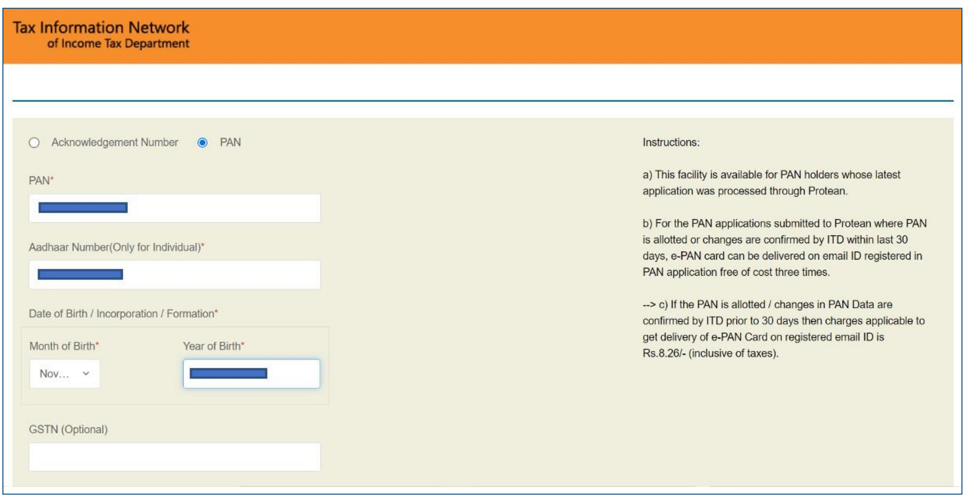

Tax Information Network
of Income Tax Department

PAN	[redacted]
Mobile Number	[redacted]
Email ID	[redacted]GMAIL.COM
Pin Code	[redacted]
Zip Code	Not Applicable

Select from Below options to receive OTP

☐ Email ID
☐ Mobile Number
☐ Both

☐ I hereby confirm that the PAN submitted in this request has been allotted to me by Income Tax Department (ITD). I hereby confirm that the details displayed pertain to me and agree that on submission of this request, my e-PAN Card will be generated as per the latest details available in ITD PAN Database. One time password (OTP) will be sent to your Registered Mobile Number/e-mail ID. If OTP not received on your registered mobile number/e-mail ID. Please click here to fill & submit the PAN Change Request application form to update mobile number/e-mail ID for receiving OTP.

Tax Information Network
of Income Tax Department

Home

Get e-PAN Card

OTP has been sent to your registered Mobile Number [redacted] and e-mail ID [redacted]XXXX@GMAIL.COM which will be valid for 10 minutes

Enter OTP

Validate

Note : One time password (OTP) will be sent to your Registered Mobile Number/e-mail ID. If OTP not received on your registered mobile number/e-mail ID. Please click here to fill & submit the PAN Change Request application form to update mobile number/e-mail ID to receive e-PAN Card.

Copyright © 2016 | Protean eGov Technologies Limited (Protean e-Gov).
Page last modified on: February 26, 2016

Tax Information Network
of Income Tax Department

Home

Get e-PAN Card

Your free attempt for e-PAN request is exhausted you may proceed with paid functionality

Continue with paid e-PAN download facility

Tax Information Network
of Income Tax Department

(•) Online payment through PAYTM ( ) Online payment through Bill Desk

Paytm VISA RuPay
Wallet / Credit & Debit Card / Net Banking / UPI

Payment Charges Information

Payment made by debit card / credit card / net-banking is irreversible.
Usage of the credit card /debit card / net banking is governed by the Terms and Conditions of the issuing bank

Fee including GST **8.26**

#	Mode of Payment	Charges *
1	Get e-Pan Card	- Only e-PAN Card in PDF format will be dispatched at e-mail address available in PAN database. Physical PAN Card will not be dispatched at communication address. Charges applicable for download of e-PAN Card is Rs.8.26/-
2	Reprint of PAN Card	- Applicant will receive physical PAN Card at communcation address and e-PAN Card in PDF format at e-mail address available in PAN database. Fees Applicable

Tax Information Network
of Income Tax Department

Home / Payment

Get e-PAN Card

Confirm Payment

Fee including GST

8.26

Transaction ID

[redacted]

Pay Confirm →

Tax Information Network
of Income Tax Department

Home / Payment Receipt

Get e-PAN Card

Transaction Status

SUCCESS

Transaction Reference Number

[redacted]

Date & Time of Transaction

2024-05-03 15:53:14.0

Payment Amount

8.26

Bank Reference Number

[redacted]

Continue →

Tax Information Network
of Income Tax Department

Home / Login

Get e-PAN Card

Ge[redacted]nt Payment Receipt

Copyright © 2016 | Protean eGov Technologies Limited (Protean e-Gov)
Page last modified on: February 26, 2016

Tax Information Network
of Income Tax Department

Home / Payment

Get e-PAN Card

Thank you for using online e-PAN generation facility.

Your request is processed successfully & e-PAN is sent at your email ID linked to your PAN ([redacted]

Download PDF

1 of 1 Automatic Zoom

Tax Invoice cum Payment Receipt of e-PAN Request

Tax Invoice cum	N[redacted]	[redacted]	Date- 03/05/2024
Category	INDIVIDUAL	**GSTIN of Applicant :**	NA
PAN	[redacted]		
Mobile Number	[redacted]		

रिकॉर्ड में PAN / PEKRN अपडेशन का महत्व:

इनकम टैक्स के निर्देशों के मुताबिक, जिन फोलियो में PAN / PEKRN अपडेटेड नहीं है, उन्हें सिस्टेमेटिक ट्रांज़ैक्शन सहित किसी भी फाइनेंशियल /नॉन-फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने से रोक दिया जाएगा।

ईमेल और मोबाइल नंबर वेलिडेशन:

यह वांछनीय है कि निवेशक का अपनी ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर उनके फोलियो में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर का वेलिडेशन, RTA की ओर से डिलीवरी स्टेटस ट्रैक करके किया जाता है।

SEBI के नियमों के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटर्स / AMC / RTA कर्मचारियों के ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर किसी फोलियो के लिए रजिस्टर नहीं किए जाने चाहिए, जब तक कि वह खुद का निवेश न हो। अगर अपडेट किया गया ईमेल/मोबाइल नंबर किसी AMC / RTA कर्मचारी / डिस्ट्रीब्यूटर के ईमेल/मोबाइल नंबर से मैच करता पाया जाता है, तो उसे इनवेस्टर रिकॉर्ड से सिस्टेमेटिक तरीके से हटा दिया जाता है।

ईमेल/ मोबाइल नंबर के अपडेशन के मामले में एक डिक्लेरेशन होती है और निवेशकों को यह घोषित करना होता है कि ईमेल/ मोबाइल नंबर खुद से / परिवार के सदस्य(यों) से संबंधित है या नहीं।

फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (FATCA):

- फोलियो के सभी यूनिट होल्डर्स के लिए FATCA डिक्लेरेशन एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- नॉन-इंडिविजुअल / NRI सहित सभी केटेगरी के निवेशकों को FATCA प्रदान करना ज़रूरी है।
- अगर निवेशक करदाता/नागरिक/भारत के बाहर का निवासी है तो सभी होल्डर्स का TIN नंबर या उसके समकक्ष नंबर देना ज़रूरी है।

अल्टीमेट बेनेफिशरी ओनर और नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन:

नॉन-इंडिविजुअल निवेशकों को UBO(s) डिटेल्स देनी होगी और KYC डॉक्युमेंट और विधिवत साइन किया हुआ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्डरिंग (मेटेनेंस ऑफ रिकार्ड्स) अमेंडमेंट रूल्स के मुताबिक, कॉर्पोरेट/ट्रस्ट को अल्टीमेट बेनेफिशरी ओनर (UBO) के तौर पर माने जाने के लिए 10% या उससे ज़्यादा के बराबर ओनरशिप इंटरेस्ट को कंट्रोल किया जाता है।

किसी भी सोसायटी / ट्रस्ट को एक अतिरिक्त नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन (NPO) डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी। किसी भी नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन को दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन की रसीद के साथ नीति आयोग आईडी भी प्रस्तुत करनी होगी।

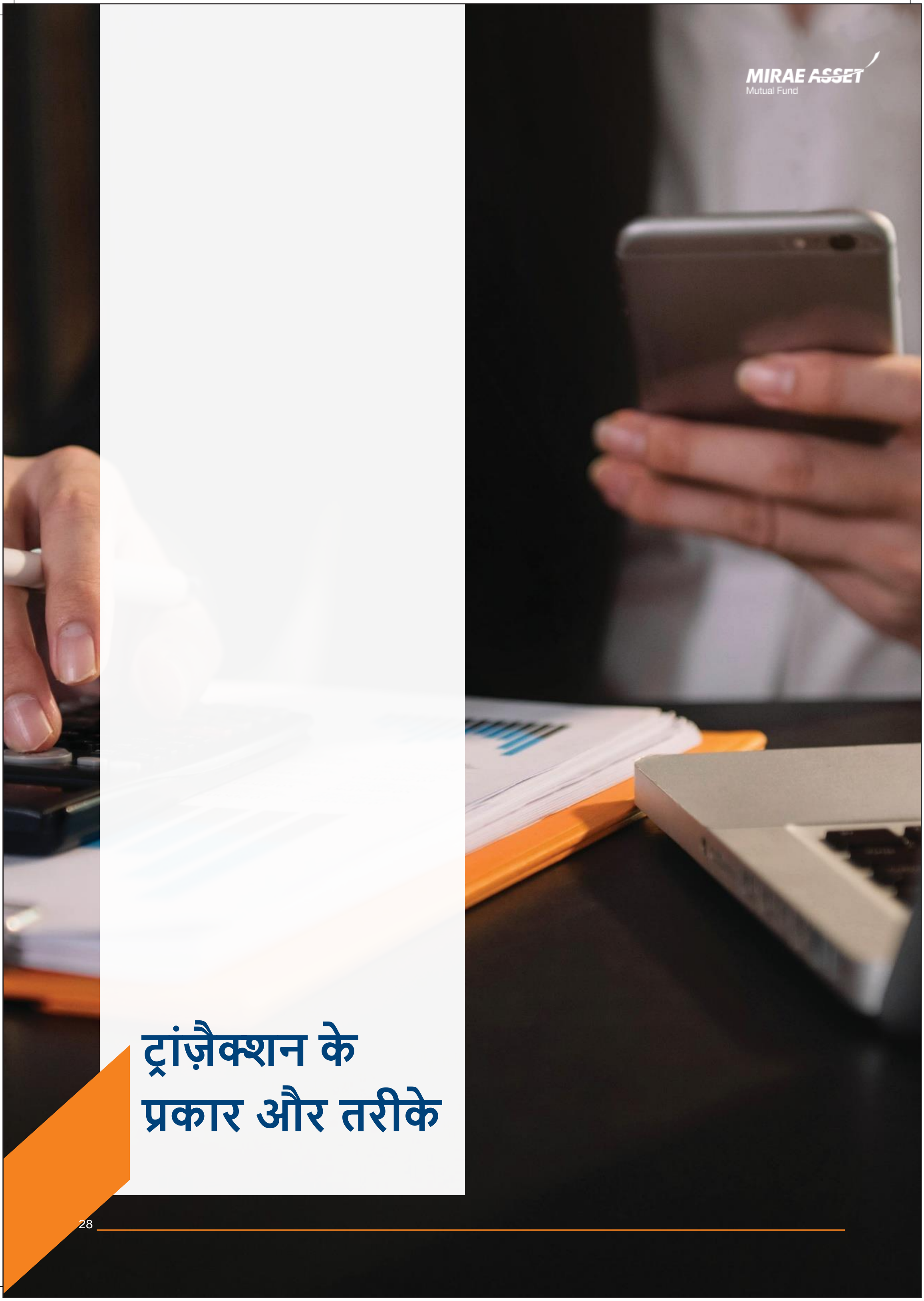

ट्रांज़ैक्शन के प्रकार और तरीके

ट्रांज़ैक्शन के प्रकार और तरीके

MIRAE ASSET
Mutual Fund

ट्रांज़ैक्शन के प्रकार:

ट्रांज़ैक्शन का स्वरुप फाइनेंशियल या नॉन-फाइनेंशियल हो सकता है।

फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन वह होता है जिसमें मोनेटरी विचार होता है और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन निवेशक की प्रोफाइल से संबंधित होता है।

ट्रांज़ैक्शन के तरीके:

निवेशक के पास निम्नलिखित तरीकों से अपनी रिक्वेस्ट करने का विकल्प है:

- फिजिकल ट्रांज़ैक्शन्स
- डिजिटल ट्रांज़ैक्शन्स
    - डीमैट
    - चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स
    - K-फिनटेक कार्ट
    - K-फिनटेक DIT
    - वेबसाइट
    - मोबाइल ऐप
    - व्हाट्सएप बॉट
    - डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल
    - K-फिनटेक पोर्टल
    - MF-सेंट्रल
    - म्यूचुअल फंड्स यूटिलिटी

कट-ऑफ टाइमिंग्स:

केटेगरी	कट-ऑफ टाइम
लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम्स को छोड़कर इक्विटी और डेट स्कीम्स	3:00 PM
लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम्स में पर्चेज़	1:30 PM
लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम्स में रिडेम्पशन / स्विच	3:00 PM
ऑनलाइन/डिजिटल (सभी ट्रांज़ैक्शन जिन्हें सिग्नेचर द्वारा वेलिडेट नहीं किया जा सकता) ओवरनाइट स्कीम्स में रिडेम्पशन / स्विच आउट (01 जून, 2025 से प्रभावी)	7:00 PM

** लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स के लिए: किसी नॉन-बिज़नेस डे के बाद प्राप्त रिडेम्पशन पर, अगले बिज़नेस डे से ठीक पहले वाले दिन का क्लोजिंग NAV लागू होता है। उदाहरण के लिए, शुक्रवार को रिपोर्ट किए गए रिडेम्पशन के लिए, रविवार का NAV लागू होता है। अगर सोमवार को भी छुट्टी है, तो ट्रांज़ैक्शन के लिए सोमवार का NAV लागू होगा और पे-आउट मंगलवार को किया जाएगा।

Scan to know more

फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन्स

फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन:

- फ्रेश पर्चेज़
- एडिशनल पर्चेज़
- रिडेम्पशन
- स्विच
- सिस्टेमेटिक ट्रांज़ैक्शन
  - सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान
  - सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान
  - सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान

फ्रेश पर्चेज़:

फिज़िकल मोड से फ्रेश पर्चेज़:

फ्रेश पर्चेज़ की रिक्वेस्ट तब सबमिट की जाती है जब कोई निवेशक किसी AMC में पहली बार इन्वेस्ट करता है या फिर कोई मौजूदा निवेशक भी ऐसा कर सकता है। फ्रेश पर्चेज़ की रिक्वेस्ट सबमिट करने पर एक नया फोलियो बन जाता है।

फिज़िकल मोड से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे बताई गई चीज़ों की ज़रुरत पड़ती है:

- अच्छी तरह से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म
- सभी होल्डर्स का KYC वेरिफाइड एक्नॉलेजमेंट
- सभी होल्डर्स की PAN कार्ड कॉपी
- PAN-आधार लिंकिंग, जहाँ भी लागू हो
- अगर पे-आउट बैंक अकाउंट नंबर इन्वेस्टमेंट के अलावा अन्य है तो प्री-प्रिंटेड ऑरिजिनल चेक कॉपी (या) अगर प्री-प्रिंटेड ऑरिजिनल चेक कॉपी उपलब्ध नहीं है तो इसके अतिरिक्त बैंक स्टेटमेंट / बैंक पासबुक जिसमें लेटेस्ट तीन महीने की एंट्री हों, वो भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- CTS कॉम्पलाइड चेक (फर्स्ट नेम्ड यूनिट होल्डर के बैंक अकाउंट से (अगर यह प्री-प्रिंटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट / बैंक पासबुक जैसे अतिरिक्त प्रूफ जिसमें लेटेस्ट तीन महीने की एंट्री हों, थर्ड पार्टी वेलिडेशन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।

  ध्यान दें: अगर निवेशक ने NEFT / RTGS के ज़रिए सीधे ट्रांसफर किया है तो रिक्वेस्ट लेटर में 'फ्रॉम' और 'टू' अकाउंट नंबर और नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए, साथ ही बैंकर से UTR स्लिप/एक्नॉलेजमेंट के तौर पर डेबिट का प्रूफ भी होना चाहिए।

ऑनलाइन फ्रेश पर्चेज़:

नए या मौजूदा निवेशक के पास www.miraeassetmf.co.in पर ऑनलाइन नया फोलियो खोलने का विकल्प है, जहाँ निवेशक को KYC कॉम्पलाइंस स्टेटस के लिए अपना PAN नंबर देना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। PAN-आधार लिंकिंग / PAN और नाम वेलिडेशन जैसे रेगुलेटरी कॉम्पलाइंस पहलुओं की भी एक साथ जाँच की जाती है।

- PAN नंबर / निवेशक का नाम और जन्म की तारीख (जैसा की PAN कार्ड में है) डाली जाती है और अगर KYC स्टेटस वेलिडेटेड है तो पेज अपने आप इन्वेस्टर डिटेल सेक्शन पर री-डायरेक्ट हो जाता है, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आती हैं।
- निवेशक के पास UPI / NEFT/ RTGS / नेट बैंकिंग के ज़रिए फंड्स ट्रांसफर करने का विकल्प होता है।

नए निवेशक की जर्नी - न्यू KYC के साथ ऑनलाइन:

- निवेशक को अतिरिक्त डिटेल्स - रेजिडेंट स्टेटस, व्यवसाय आदि भरने होंगे
- निवेशक को साइन किया हुआ कैंसिल्ड चेक अपलोड करना होगा।
- अपलोड किए गए चेक के आधार पर IMPS वेलिडेशन, चेक पर दिए गए नाम को PAN में दिए गए नाम से मैच करेगा।
- अगर फ़ज़ी लॉजिक % नाम मैच होता है, तो निवेशक ई-सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ेगा।
- डिटेल्स सफलतापूर्वक सबमिट करने पर, KYC स्टेटस - "अंडर प्रोसेस" हो जाता है और फ्रेश पर्चेज़ सफल हो जाता है।

एडिशनल पर्चेज़:

निवेशक पहले से मौजूद फोलियो नंबर से एडिशनल पर्चेज़ कर सकता है। ऐसा उसी स्कीम के तहत निवेश के लिए या उसी फोलियो नंबर को बनाए रखने वाली नई स्कीम के लिए किया जा सकता है। एडिशनल पर्चेज़ के मामले में, डिटेल्स पहले से ही उपलब्ध होती हैं इसलिए निवेशक की प्रोफाइल पर कोई एक्स्ट्रा जानकारी देने की ज़रुरत नहीं होती है।

एडिशनल पर्चेज़ के लिए किन चीज़ों की ज़रुरत पड़ती है - फिज़िकल:

- सही तरीके से भरा हुआ एडिशनल पर्चेज़ फॉर्म
- अगर फोलियो KYC वेरिफाइड नहीं है तो सभी होल्डर्स का KYC वेरिफाइड एक्नॉलेजमेंट
- CTS कम्प्लाइड चेक (फर्स्ट नेम्ड यूनिट होल्डर के बैंक अकाउंट से (अगर यह प्री-प्रिंटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट/बैंक पासबुक जैसे अतिरिक्त प्रूफ जिसमें लेटेस्ट तीन महीने की एंट्रीज़ हों, इसे थर्ड पार्टी के वेलिडेशन के लिए भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।

ऑनलाइन एडिशनल पर्चेज़ के लिए किन चीज़ों की ज़रुरत पड़ती है:

- ऑनलाइन या लॉगिन के बिना भी एडिशनल पर्चेज़ किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया एक नई पर्चेज़ के जैसी है।
- निवेशक केवल रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के ज़रिए ही पेमेंट कर सकता है।
- निवेशक के पास UPI / OTM / NEFT / RTGS / नेट बैंकिंग के ज़रिए फंड ट्रांसफर करने का विकल्प होता है
- चेक रिटर्न के मामले में, ऑरिजिनल चेक को रिटर्न मेमो के साथ रिकॉर्ड में मौजूद पते पर भेजा दिया जाता है।

सभी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए यहाँ बताए जा रहे पॉइंट्स को ध्यान में रखें:

- डीमैट ट्रांज़ैक्शन के मामले में, एप्लीकेशन फॉर्म पर दी गई डिटेल्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) की डिटेल्स से मेल खानी चाहिए, नहीं तो डीमैट में यूनिट्स के लिए रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और यूनिट्स को फिज़िकल मोड में अलॉट किया जाएगा।
- डीमैट फोलियो के लिए एडिशनल पर्चेज़ को छोड़कर कोई NCT या कोई अन्य रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। उसी फोलियो के तहत एडिशनल पर्चेज़ के लिए, निवेशक को हर एडिशनल पर्चेज़ रिक्वेस्ट के साथ क्लाइंट मास्टर लिस्ट (CML) की कॉपी जमा करवानी होगी।
- रिडेम्पशन ट्रांज़ैक्शन के लिए उपरोक्त चीज़ों की ज़रुरत नहीं होती है। रिडेम्पशन हमारी वेबसाइट https://www.miraeassetmf.co.in/ या RTA के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
- SIP, STP, SWP जैसे सिस्टमेटिक ट्रांज़ैक्शन के लिए ऊपर पॉइंट नंबर 2 के तहत बताई गई चीज़ों की ज़रुरत केवल रजिस्ट्रेशन के वक्त ही पड़ती है। फ्यूचर इंस्टॉलमेंट किसी भी अन्य सिस्टमेटिक ट्रांज़ैक्शन की तरह सामान्य तरीके से प्रोसेस की जाएगी।
- पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए निवेश करने के मामले में, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए भी KYC कंप्लायंस ज़रूरी है।
- माइनर प्राकृतिक/कोर्ट द्वारा नियुक्त गार्डियन के ज़रिए निवेश कर सकता है। गार्डियन की KYC अनिवार्य है। माइनर फोलियो में कोई जॉइंट होल्डर /नॉमिनी नहीं हो सकता है।
- निवेश की राशि माइनर के अकाउंट से या फोलियो में रजिस्टर्ड गार्डियन के अकाउंट से हो सकती है। गार्डियन को PAN देना ज़रूरी होगा और KYC का अनुपालन करना होगा।
- NRI निवेश के मामले में विदेश का पता देना ज़रूरी है।
- वेलिडेशन के उद्देश्य के लिए बैंक अकाउंट में IFSC कोड ज़रूर लिखा होना चाहिए।

रिडेम्पशन:

यूनिट्स के रिडेम्पशन का मतलब यूनिट्स बेचना होता है। निवेशक के पास अपनी पूरी यूनिट या पार्शियल यूनिट को रिडीम करने का विकल्प होता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिट्स का रिडेम्पशन नहीं किया जा सकता है:

- क्लोज-एंडेड स्कीम्स की यूनिट्स (यूनिट्स एक्सचेंज के ज़रिए किसी अन्य बायर को ट्रांसफर की जा सकती हैं)
- प्लेज के अंडर मार्क की गई यूनिट्स
- ELSS स्कीम्स जिनमें लॉक-इन पीरियड होता है

यह भी ध्यान रखें कि बैंक में बदलाव के साथ रिडेम्पशन प्रोसेस नहीं किया जाता है।

रिडेम्पशन के निम्नलिखित तरीके हैं:

- फिजिकल
- डिजिटल
  - ऑनलाइन
  - मोबाइल ऐप
  - K-फिनटेक DIT
  - K-फिनटेक कार्ट
  - चैनल डिस्ट्रीब्यूटर
  - एक्सचेंज
  - MF-सेंट्रल
  - म्यूचुअल फंड यूटिलिटी

स्कीम केटेगरी	सेटलमेंट साइकिल
इक्विटी (FOF और ओवरसीज स्कीम्स को छोड़कर)	T+2
डेट (FOF और ओवरसीज स्कीम्स को छोड़कर)	T+1
लिक्विड	T+1
फंड ऑफ फंड्स	T+2
ओवरसीज सिक्योरिटीज में निवेश करने वाली स्कीम्स	T+5

रिडेम्पशन के मामले में ध्यान देने योग्य कुछ पॉइंट्स:

- जॉइंट होल्डिंग वाले फोलियो के मामले में सभी होल्डर्स के साइन अनिवार्य हैं।
- माइनर फोलियो के लिए पे-आउट अकाउंट माइनर का होना चाहिए या ऐसा अकाउंट होना चाहिए जहां माइनर केवल जॉइंट अकाउंट होल्डर हो।
- जब भी बैंक मैंडेट में बदलाव की रिक्वेस्ट, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट के साथ या उसे सबमिट करने से ठीक पहले मिलती है, तो म्यूचुअल फंड्स / RTA अनधिकृत/धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन के विरुद्ध एहतियात के तौर पर दस दिनों के कूलिंग पीरियड की अनुमति देते हैं।
- इसके अलावा, बैंक अकाउंट वेलिडेशन विफलता के मामले में एक वारंट जारी किया जाता है और रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाता है।
- रिडेम्पशन सबमिट करने से पहले कृपया संबंधित एग्जिट लोड डिटेल्स ज़रूर चेक कर लें।
- रिडेम्पशन को सफलतापूर्वक प्रोसेस करने के लिए PAN कंप्लायंस, KYC कंप्लायंस और FATCA कंप्लायंस अनिवार्य हैं।
- NRI निवेशकों के मामले में जहां केवल विदेशी पता है और IMPS वेलिडेशन असफल हो जाता है, तो वारंट प्रिंट किया जाता है और FIRC कन्फर्मेशन के साथ निवेशक की बैंक ब्रांच को भेज दिया जाता है।
- रिडेम्पशन रिक्वेस्ट करने से पहले कृपया एग्जिट लोड (अगर कोई हो) की एप्लिकेबिलिटी चेक कर लें।

स्विच:

स्विच का मतलब एक सोर्स स्कीम से रिडेम्पशन और एक टारगेट स्कीम में पर्चेज़ है। यह निवेशक को दो रिक्वेस्ट करने के झंझट से बचने के लिए सिंगल ट्रांज़ैक्शन करने की सुविधा प्रदान करता है।
निवेशक के पास एक स्कीम / प्लान / ऑप्शन से यूनिट्स को मूव करने के लिए स्विच रिक्वेस्ट प्रदान करने का विकल्प होता है।
स्विच रिक्वेस्ट निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है:

- फिजिकल
- डिजिटल
  - ऑनलाइन
  - मोबाइल ऐप
  - K-फिनटेक DIT
  - K-फिनटेक कार्ट
  - चैनल डिस्ट्रीब्यूटर
  - एक्सचेंज
  - MF-सेंट्रल
  - म्यूचुअल फंड यूटिलिटी

स्विच के मामले में ध्यान देने योग्य कुछ पॉइंट्स:

- स्विच को प्रोसेस करने के लिए सोर्स और टारगेट स्कीम दोनों के लिए मिनिमम अमाउंट क्राइटेरिया उपलब्ध होना ज़रूरी है।
- क्लोज एंडेड स्कीम्स या लॉक इन या प्लेज के अंतर्गत स्कीम्स के मामले में स्विच की अनुमति नहीं होगी।
- एक स्कीम से दूसरी स्कीम में या एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच करने से पहले कैपिटल गेन्स और एग्जिट लोड चेक करना चाहिए।
- स्विच को प्रोसेस करने के लिए वैलिड KYC स्टेटस, PAN वेलिडेशन, FATCA कंप्लायंस अनिवार्य हैं।

स्विच का प्रकार	TAT	ट्रांज़ैक्शन	एग्जिट लोड
ग्रोथ - IDCW और एक ही स्कीम में वाइस-वर्सा	उसी दिन	स्विच	कोई एग्जिट लोड नहीं
री-इन्वेस्टमेंट के लिए IDCW पे-आउट और उसी स्कीम में वाइस-वर्सा	उसी दिन	NCT	कोई एग्जिट लोड नहीं
इंटर स्कीम - एक स्कीम से दूसरी स्कीम	रिडेम्पशन	स्विच	एग्जिट लोड स्कीम के मानदंडों के मुताबिक लागू होगा
प्लान चेंज - एक ही स्कीम में डायरेक्ट से रेगुलर	उसी दिन	स्विच	कोई एग्जिट लोड नहीं
प्लान चेंज - एक ही स्कीम में रेगुलर से डायरेक्ट	उसी दिन	स्विच	कोई एग्जिट लोड नहीं

सिस्टेमेटिक ट्रांज़ैक्शन्स:

निवेशक द्वारा इनिशिएट किए गए ट्रांज़ैक्शन के उलट, ये ट्रांज़ैक्शन सिस्टम में सेटअप होते हैं और या तो पीरिऑडिक आधार पर या किसी इवेंट के घटित होने पर होते हैं। सिस्टेमेटिक रिक्वेस्ट्स निवेशक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए रजिस्टर की जाती हैं।

सिस्टेमेटिक ट्रांज़ैक्शन्स के प्रकार:

- सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान
- सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान
- सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान

सुविधा	फ्रेक्वेंसी	दिन/तारीख	क्राइटेरिया*
STP और Flex STP	डेली	सोमवार से शुक्रवार	मिनिमम 5 ट्रांसफर, हर ट्रांसफर 1000 रुपये का और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में। STP और Flex STP के एनरॉलमेंट के समय मिनिमम अमाउंट बैलेंस: निल
	वीकली	हर बुधवार	
	फोर्टनाइटली	अल्टरनेट वीक के हर बुधवार	
STP और Flex STP	मंथली	01, 10, 15, 21 और 28 तारीख	
	क्वार्टरली		
SIP	मंथली	01 से 28 तारीख तक, लास्ट तीन कैलेंडर तारीखों 29, 30 और 31 को छोड़कर।	मिनिमम: 500 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में।
	क्वार्टरली		

* **नोट:** मिराए एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड की हर STP/Flex STP इंस्टॉलमेंट, रिडीम की जाने वाली प्रपोज़्ड यूनिट्स के अलॉटमेंट की तारीख से तीन साल के लॉक-इन पीरियड के अधीन होगी। इसलिए, उक्त लॉक-इन पीरियड पूरा होने के बाद, मिराए एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड, STP/Flex STP के लिए सोर्स स्कीम के तौर पर काम करेगा।

सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP):

सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP निवेश के लिए एक अनुशासित नज़रिया है, जहाँ निवेशक एक तय समय के लिए पहले से निर्धारित अंतराल पर अपने अकाउंट से राशि डेबिट करने का अनुरोध करता/करती है। निवेशक के पास मौजूदा फोलियो या नए फोलियो में निवेश करने का विकल्प होता है।

फ्रिक्वेंसी	मंथली	क्वार्टरली		
प्रकार	नॉर्मल SIP	मल्टी SIP	टॉप-अप SIP	गोल SIP
डेबिट मोड्स - फिजिकल	OTM			
डेबिट मोड्स - डिजिटल	ISIP	E-NACH	UPI	

वे तरीके जिनके ज़रिए SIP रजिस्टर की जा सकती है:

- फिजिकल
- डिजिटल
  - मिराए वेबसाइट – इन्वेस्टर लॉगिन
  - मिराए मोबाइल ऐप
  - मिराए व्हाट्सएप बॉट
  - मिराए DIT पोर्टल
  - K-फिनटेक DIT
  - K-फिनटेक कार्ट
  - चैनल डिस्ट्रीब्यूटर
  - एक्सचेंज
  - MF सेंट्रल
  - म्यूचुअल फंड यूटिलिटी

वन टाइम मैंडेट (OTM):

वन-टाइम मैंडेट वह मैंडेट होता है जो फोलियो लेवल पर सेटअप किया जाता है और निवेशक के अकाउंट से राशि डेबिट करने के लिए निवेशक के बैंक में रजिस्टर किया जाता है।

- SIP में निवेश करने और लम्पसम पर्चेज़ के लिए OTM का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- OTM रजिस्टर करने की अधिकतम अवधि चालीस (40) साल है।
- अधिकतम राशि ट्रांज़ैक्शन लेवल पर होती है, इसलिए वह चुनी गई अधिकतम राशि के लिए कई ट्रांज़ैक्शन ट्रिगर कर सकता है।
- सभी डिटेल्स अच्छी तरह भरी जानी चाहिए और मैंडेट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
- UMRN नंबर वह रेफरेंस नंबर है जिसे निवेशक को उसी बैंक मैंडेट का इस्तेमाल करके किसी अन्य SIP को रजिस्टर करते समय बताना होता है।
- OTM को फोलियो लेवल पर रजिस्टर किया जाएगा। निवेशक एक ही फोलियो में विभिन्न बैंकों के साथ 5 अलग-अलग OTM रजिस्टर कर सकेंगे। अलग-अलग फोलियो के लिए अलग-अलग OTM रजिस्टर करने होंगे। रजिस्टर होने के बाद OTM डेबिट मैंडेट, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ट्रांसक्शन के पीरिऑडिक डिडक्शन को इनेबल करता है।

Scan to know more

नॉर्मल SIP:

- नॉर्मल SIP लम्पसम पर्चेज / SIP पर्चेज के साथ या एक स्टैंडअलोन प्रोस्पेक्टिव SIP के तौर पर रजिस्टर की जाती है।
- SIP को मंथली / क्वार्टरली विकल्प के तहत रजिस्टर किया जा सकता है।
- हम हर महीने की 01 से 28 तारीख के बीच किसी भी दिन SIP रजिस्ट्रेशन ऑफर करते हैं।
- इंस्टॉलमेंट शुरू होने की तारीख एप्लीकेशन सबमिट करने की तारीख से कम से कम 25 कैलेंडर दिन होनी चाहिए, लेकिन 100 कैलेंडर दिनों के बाद की नहीं होनी चाहिए।
- अगर कोई तारीख नहीं चुनी जाती है, तो डिफ़ॉल्ट तारीख हर महीने की 05 तारीख मानी जाएगी।

Scan to know more

मल्टी गोल SIP:

- एक ही रिक्वेस्ट पर अधिकतम तीन स्कीम्स के लिए मल्टी SIP रजिस्टर की जा सकती है।
- चेक मिराए एसेट मल्टी SIP कलेक्शन अकाउंट के फेवर में होगा।
- मल्टी SIP में SIP टॉप-अप की अनुमति नहीं है।
- इसे केवल ऑफलाइन मोड के ज़रिए ही किया जा सकता है।
- मौजूदा OTM का इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर नहीं है, तो नया OTM फॉर्म अनिवार्य है।
- OTM लिमिट सभी स्कीम्स का टोटल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
- मल्टी SIP की रिक्वेस्ट केवल मल्टी SIP फॉर्म से ही की जानी चाहिए।

टॉप अप SIP:

- SIP टॉप-अप एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत SIP में एनरॉल करने के इच्छुक निवेशक के पास पहले से निर्धारित इंटरवल यानी हाफ इयरली और इयरली, पर SIP इंस्टॉलमेंट की राशि में एक फिक्स्ड राशि बढ़ाने का विकल्प होता है। SIP टॉप-अप राशि SIP एनरॉलमेंट फॉर्म में भरी जानी चाहिए।
- SIP टॉप-अप की न्यूनतम राशि 500 रुपये है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में।
- टॉप-अप के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प इयरली फ्रीक्वेंसी है।
- माइक्रो SIP के अंतर्गत SIP टॉप-अप सुविधा उपलब्ध नहीं है।

Scan to know more

फिजिकल मोड के ज़रिए SIP के मामले में आवश्यक डॉक्युमेंट्स:

- सामान्य एप्लीकेशन फॉर्म (अगर नया फोलियो चुना गया हो)
- SIP एप्लीकेशन, OTM के साथ।
- वन टाइम मैंडेट (अगर OTM रजिस्टर्ड नहीं है)

- फर्स्ट नेम्ड यूनिट होल्डर का नाम और अकाउंट नंबर प्री-प्रिंटेड वाला ऑरिजिनल कैंसिल्ड चेक (या उसकी कॉपी)।
- रजिस्टर किए जाने वाले बैंक अकाउंट का बैंक प्रूफ या मैंडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन लेटर, अगर पेमेंट मैंडेट के अलावा किसी अन्य बैंक से किया जा रहा हो।
- सभी यूनिट होल्डर्स के PAN कार्ड की कॉपी (नए फोलियो और उन फोलियो पर लागू जहाँ PAN वेलिडेशन अभी तक कम्प्लाई नहीं हुआ है)
- सभी यूनिट होल्डर्स का अच्छी तरह भरा हुआ KYC फॉर्म / KYC एक्नॉलेजमेंट जिसमें KYC स्टेटस "KYC वेरिफाइड" / "KYC- वेलिडेटेड" हो।
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर

नए और मौजूदा निवेशकों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:

- **E-NACH** – E-NACH मैंडेट एक इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट है जो म्यूचुअल फंड निवेश प्रक्रिया में हाल ही में शामिल हुआ है, ताकि पूरी निवेश प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाया जा सके। निवेशकों को अपने ट्रांज़ेक्ट ऑनलाइन अकाउंट में लॉग इन करना होगा और ENACH मैंडेट रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होगा। सेल्फ-हेल्प मैकेनिज्म रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी। प्रक्रिया इंस्टेंट है; हालांकि, बैंक की ओर से या NPCI साइट पर किसी भी तकनीकी समस्या के कारण इसमें देरी हो सकती है। पूरी प्रक्रिया (चाहे सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो या नहीं) में आम तौर पर एक से ज़्यादा दिन नहीं लगता है। कोई रजिस्टर्ड ENACH मैंडेट का बैंक नहीं बदल सकता है। मौजूदा ENACH मैंडेट को कैंसिल करना होगा और एक नया ENACH मैंडेट रजिस्टर करना होगा। मैंडेट कैंसिल होते ही पुराने मैंडेट के तहत रजिस्टर्ड SIP भी समाप्त हो जाएंगे।
- अधिकतम **1,00,00,000/- रु.** राशि की अनुमति है और अधिकतम अवधि 40 साल है। निवेशक E-NACH का लाभ तभी उठा सकता है जब बैंक रिकॉर्ड में अकाउंट का प्रकार सेविंग्स अकाउंट हो। E-NACH मैंडेट स्टेटस ENACH रजिस्ट्रेशन समरी के अंतर्गत दिखेगा।

  E-NACH रजिस्टर्ड हो जाने पर निवेशक **तुरंत SIP रजिस्टर कर सकता है। इंस्टॉलमेंट शुरू होने की तारीख कम से कम 5 कैलेंडर दिन होनी चाहिए।**

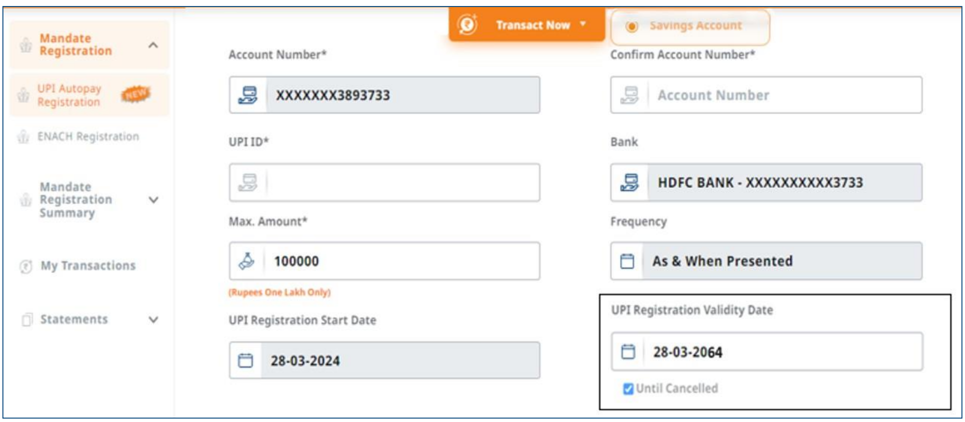

- **ISIP:** हमारे नए और मौजूदा निवेशकों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ वे बिना किसी पेपर वर्क के हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू कर सकते हैं। 37 लिस्टेड बैंकों में से किसी के साथ ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस रखने वाले सभी आवेदक इस शानदार सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

नई निवेशक की जर्नी - ISIP:

नए निवेशक आसान स्टेप्स को फॉलो करके जल्दी से SIP रजिस्टर कर सकते हैं:

स्टेप 1: "New Investor" टैब में PAN बताएं।

स्टेप 2: FATCA डिटेल्स को वेलिडेट और कन्फर्म करें।

स्टेप 3: कॉन्टेक्ट, बैंक और नॉमिनी के क्रेडेंशियल के साथ आवेदक की डिटेल्स भरें।

स्टेप 4: बैंक डिटेल्स में SIP चुनें।

स्टेप 5: स्कीम, प्लान, SIP राशि, SIP की तारीख और ड्यूरेशन/पीरियड चुनें।

स्टेप 6: नॉमिनेशन (अगर लागू हो) और डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल्स भरें।

स्टेप 7: अंडरटेकिंग और नियम एवं शर्तें कन्फर्म करें।

स्टेप 8: चाहे गए रजिस्ट्रेशन के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) जनरेट होगा।

स्टेप 9: उसी URN को URN की एक्सपायरी डेट को या उससे पहले आपके बैंक में लिस्टेड/रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए।

UPI (केवल मौजूदा निवेशक के लिए उपलब्ध है):

UPI ऑटो पे मैंडेट इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट सेट करने का एक विकल्प है जिससे यूज़र्स UP ऐप्स के ज़रिए आराम से रेकरिंग पेमेंट कर सकते हैं। निवेशक अब सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे रेकरिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए NPCI सपोर्टेड किसी भी UPI एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके रेकरिंग ई-मैंडेट इनेबल कर सकते हैं। इससे पूरी निवेश प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस हो जाती है।

अधिकतम 1,00,000 रुपये तक UPI मैंडेट रजिस्टर किया जा सकता है।

निवेशकों को मिराए एसेट म्यूचुअल फंड वेबसाइट (https://www.miraeassetmf.co.in/) पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करना होगा और मैंडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के तहत UPI ऑटो पे मैंडेट रजिस्ट्रेशन चुनना होगा। यह सेल्फ-हेल्प मैकेनिज्म रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करने में मदद करेगा।

UPI ऑटोपे मैंडेट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इंस्टेंट है; हालांकि, निवेशक के बैंक या NPCI में किसी तकनीकी समस्या के कारण इसमें देरी हो सकती है।

आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ मिराए एसेट म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर लॉग इन करने पर मैंडेट स्टेटस को UPI ऑटो पे रजिस्ट्रेशन समरी में चेक कर सकते हैं।

आप UPI ऑटो पे रजिस्ट्रेशन समरी में UMRN चुनकर मैंडेट के तहत रजिस्टर्ड अधिकतम राशि तक एक से ज़्यादा SIP रजिस्टर कर सकते हैं।

कोई रजिस्टर्ड UPI ऑटो पे मैंडेट का बैंक नहीं बदल सकता है। मौजूदा UPI ऑटो पे मैंडेट को कैंसिल करना होगा और एक नया UPI ऑटो पे मैंडेट रजिस्टर करना होगा। यह भी ध्यान रखें कि मैंडेट कैंसिल होते ही मैंडेट के तहत रजिस्टर्ड SIP भी समाप्त हो जाएंगे।

ऑटो पे रजिस्टर्ड हो जाने पर निवेशक 3 दिन के अंदर SIP रजिस्टर कर सकेगा।

SIP में वैल्यू एडेड सर्विसेज:

SIP पॉज़

- निवेशक किसी भी समय SIP पॉज़ कर सकते हैं, इसके लिए SIP पॉज़ फॉर्म भरकर उसे किसी भी मिराए एसेट MF/ K-फिनटेक ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। यह सुविधा AMC डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी उपलब्ध है।
- निवेशक SIP रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि के दौरान इस सुविधा का लाभ केवल दो बार उठा सकता है।
- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, अगली मंथली SIP इंस्टॉलमेंट की तारीख (यानी, रिक्वेस्ट की तारीख और अगली SIP इंस्टॉलमेंट तारीख को छोड़कर) से कम से कम 10 कैलेंडर दिन पहले AMC/K-फिनटेक को एक वैलिड एप्लीकेशन सबमिट की जानी चाहिए।
- निवेशक एक बार रिक्वेस्ट करने के बाद इस सुविधा को कैंसिल नहीं कर सकता है।
- यह सुविधा केवल मंथली SIP फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत उपलब्ध है।
- केवल वे निवेशक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने कम से कम छह वैलिड SIP इंस्टॉलमेंट पूरी कर ली हों।
- बताया गया पॉज़ पीरियड पूरा होने के तुरंत बाद, SIP अगली इंस्टॉलमेंट से अपने आप शुरू हो जाएगी।
- यह सुविधा MF यूटिलिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("MFUI"), NSE और BSE के स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स और चैनल डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सोर्स्ड/रजिस्टर्ड SIP के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि SIP मैंडेट संबंधित संस्थाओं द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं।
- इसके अलावा, यह सुविधा संबंधित बैंकों के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के तहत रजिस्टर्ड SIP के लिए भी उपलब्ध नहीं है।
- यह सुविधा मल्टी SIP के तौर पर रजिस्टर्ड SIP के लिए उपलब्ध नहीं है।
- किसी स्कीम में कई SIP रजिस्टर्ड होने के मामले में, यह सुविधा सर्फ उन SIP इंस्टॉलमेंट्स के लिए लागू होगी जिनकी SIP तारीख, फ्रीक्वेंसी, राशि और प्लान फॉर्म में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। अगर आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं भरी जाती है, तो स्कीम के सभी SIP को पॉज़ कर दिया जाएगा।

SIP का मॉडिफिकेशन:

SIP मॉडिफिकेशन एक वैल्यू एडेड फीचर है जिसके तहत निवेशक अब मौजूदा रजिस्टर्ड SIP को कैंसिल किए बिना SIP तारीख / फ्रीक्वेंसी / राशि / SIP समाप्त होने की तारीख / स्कीम ऑप्शन बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। यह सुविधा SIP प्रक्रिया के विभिन्न स्टेज में होने वाली सभी कैंसलेशन और फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं से बचाएगी। अगर निवेशक SIP स्कीम को मॉडिफाई करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में मौजूदा SIP स्कीम समाप्त हो जाएगी और नई SIP स्कीम फोलियो के अंतर्गत रजिस्टर हो जाएगी।

- SIP मॉडिफिकेशन सुविधा फिजिकल मोड से रजिस्टर्ड SIP, इंटरनेट SIP और E-NACH और UPI ऑटोपे के ज़रिए रजिस्टर्ड SIP के लिए उपलब्ध है। एक्सचेंज रजिस्टर्ड SIP, चैनल डिस्ट्रीब्यूटर और MFU के ज़रिए रजिस्टर्ड SIP के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- SIP मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट अगली SIP इंस्टॉलमेंट की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले सबमिट की जानी चाहिए (रिक्वेस्ट की तारीख और अगली SIP इंस्टॉलमेंट की तारीख को छोड़कर)।
- निवेशक अपनी मौजूदा SIP इंस्टॉलमेंट की राशि को बदल सकता है, हालांकि यूनिट होल्डर को मौजूदा NACH/OTM/ENACH मैंडेट में सेट की गई लिमिट को वेरीफाई करना होगा। अगर मॉडिफिकेशन डेबिट के लिए अधिकतम राशि से ज़्यादा है, तो SIP इंस्टॉलमेंट की राशि को मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी।
- SIP मॉडिफिकेशन सुविधा के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूटर बदलने की अनुमति नहीं है। SIP मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर कोड के साथ जारी रहेगी।
- अगर SIP को पॉज़ किया हुआ है, तो SIP मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है।
- SIP स्कीम का ओवरसीज स्कीम में मॉडिफिकेशन लागू नहीं होता है।
- SIP मॉडिफिकेशन के तहत प्लान लेवल मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं है, यानी डायरेक्ट से रेगुलर या रेगुलर से डायरेक्ट की अनुमति नहीं है।
- टॉप-अप सुविधा के साथ लाइव SIP रजिस्ट्रेशन किसी भी मॉडिफिकेशन के लिए पात्र नहीं है।
- राशि के मॉडिफिकेशन के मामले में, स्कीम की न्यूनतम राशि का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए।

SIP कैंसलेशन:

अगर कोई निवेशक अपने मौजूदा SIP रजिस्ट्रेशन को जारी नहीं रखना चाहता है, तो उसे SIP कैंसलेशन की रिक्वेस्ट करनी होगी। यह डिजिटल या फिजिकल रिक्वेस्ट के ज़रिए किया जा सकता है।

- निवेशकों के लिए एग्जिट को आसान बनाने के संबंध में SEBI के दिशानिर्देशों के मुताबिक, एक्सचेंज / MFU / MF-सेंट्रल / चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स / फिजिकल या ऑनलाइन (हमारे डिजिटल एसेट्स और K-फिनटेक डिजिटल एसेट्स) के ज़रिए रजिस्टर्ड SIP को मिराए एसेट म्यूचुअल फंड को रिक्वेस्ट करके कैंसिल किया जा सकता है।
- यह सलाह दी जाती है कि SIP कैंसलेशन रिक्वेस्ट अगली इंस्टॉलमेंट की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले की जानी चाहिए।
- SEBI के 25 अक्टूबर 2024 के लेटर के मुताबिक, SIP कैंसलेशन की समय-सीमा 10 कैलेंडर दिनों से संशोधित कर 2 कार्यदिवस कर दी गई है। प्रभावी तारीख 1 दिसंबर, 2024 है।

मिस्ड SIP की सुविधा:

अगर SIP इंस्टॉलमेंट सफल नहीं हुई तो निवेशक को सीमित अवधि का लिंक भेजकर डिजिटल तरीके से अपनी मिस्ड SIP ट्रिगर की निरंतरता सुनिश्चित करने का मौका दिया जाता है, इसे एडिशनल पर्चेज़ माना जाएगा और NAV क्रेडिट रिअलाइज़ेशन के मुताबिक अलॉट किया जाएगा।

- लिंक पर क्लिक करने के बाद निवेशक को लॉग इन करने के लिए अपना PAN नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बताना होगा।
- लिंक 10 कैलेंडर दिनों तक एक्टिव रहेगा और ट्रांज़ैक्शन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद लिंक एक्सपायर हो जाएगा।
- निवेशक ट्रांज़ैक्शन की राशि को एडिट कर सकता है, लेकिन यह उस स्कीम के लिए निर्धारित SIP न्यूनतम राशि के क्राइटेरिया से कम नहीं होनी चाहिए।
- यूनिट्स को क्रेडिट रिअलाइज़ेशन के मुताबिक अलॉट किया जाएगा।
- निवेशक के पास निम्नलिखित तरीकों से अपनी राशि भेजने का विकल्प है: नेट-बैंकिंग, NEFT और UPI
- आधार/PAN लिंक या KYC संबंधी रिजेक्शन के लिए निवेशक को पहले इन आपत्तियों को क्लियर करना होगा, जिसके बाद वे इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे।

कॉर्पोरेट SIP (पहले ग्रुप इन्वेस्टमेंट प्लान - GRIP के नाम से जाना जाता था):

कॉर्पोरेट SIP (C-SIP) से एम्प्लॉयर मिराए एसेट म्यूचुअल फंड की चुनिंदा ओपन-एंडेड स्कीम्स में निवेश करके कर्मचारियों के लिए निवेश कर सकता है। कर्मचारी को एप्लीकेशन फॉर्म अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के सैलरी डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। सैलरी डिपार्टमेंट सैलरी डिडक्शन को ऑथोराइज़ करने वाले हिस्से को अलग कर देगा और फॉर्म के शेष हिस्से को AMC पर्सन के ऑथराइजेशन फॉर्म की एक कॉपी के साथ मिराए एसेट म्यूचुअल फंड को भेज देगा।

मिराए एसेट कॉर्पोरेट SIP (C-SIP) के लिए विशिष्ट निर्देश

- C - SIP सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध सभी स्कीम्स
- यह फॉर्म सैलरी की तारीख से कम से कम 5 कार्यदिवस पहले सबमिट किया जाना चाहिए। निवेशक के पास अंतिम तीन कैलेंडर तारीखों 29, 30 और 31 को छोड़कर महीने की 01 से 28 तारीख तक किसी भी तारीख को SIP तारीख के रूप में चुनने का विकल्प होगा। प्रति डिडक्शन न्यूनतम निवेश राशि 500 रुपये है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में।
- सभी कर्मचारियों के साथ-साथ एम्प्लॉयर की KYC भी अनिवार्य है।
- सभी C-SIP पर्चेज़ ऑर्गेनाइज़ेशन के सैलरी डिपार्टमेंट द्वारा चेक/फंड ट्रांसफर के अधीन हैं।
- एम्प्लॉयर को अपने कर्मचारियों की ओर से क्युमुलेटिव SIP निवेश करते समय थर्ड-पार्टी डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करने होंगे।
- यूनिट्स केवल फिजिकल मोड में अलॉट की जाएँगी। यूनिट्स को डीमैट मोड में होल्ड करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
- NRI इस सुविधा के ज़रिए निवेश नहीं कर पाएंगे।
- कर्मचारी को इस सुविधा के लिए प्रथम/एकमात्र आवेदक होना आवश्यक है।
- क्लियरिंग हाउस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले बैंक के नाम से जारी चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- स्टॉक इन्वेस्ट, आउटस्टेशन चेक और कैश के ज़रिए पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन सेंटर में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स सर्विस सेंटर स्थित नहीं हैं, वहां के ऑर्गेनाइज़ेशन से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मोड/फंड ट्रांसफर के ज़रिए पेमेंट करें। फंड द्वारा किसी भी बैंकिंग चार्जेज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- ऑर्गेनाइज़ेशन को C-SIP में पार्टिसिपेट करने वाले कर्मचारी की कुल राशि के अनुसार C-SIP राशि रेमिट/ट्रांसफर करनी होगी और यह अपलोड फाइल /xls में राशि के साथ मेल खाना चाहिए।

सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान:

इस सुविधा से यूनिट होल्डर्स स्कीम में अपने यूनिट अकाउंट से मौजूदा स्कीम्स या समय-समय पर फंड द्वारा शुरू की गई अन्य स्कीम्स में निश्चित राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। यह ट्रांसफर यूनिट होल्डर द्वारा सुविधा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में बताई गई तारीख से शुरू होगा।

- STP के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम 5 दिनों की अवधि आवश्यक होगी।
- यूनिट्स को स्कीम की संबंधित तारीखों के लागू NAV पर अलॉट/रिडीम किया जाएगा, जिस दिन स्कीम से ऐसे ट्रांसफर मांगे गए हों।
- अगर जिस दिन ट्रांसफर मांगा गया है वह स्कीम के लिए गैर-कार्य दिवस है, तो सुविधा के लिए एप्लीकेशन तत्काल अगले कार्य दिवस को प्राप्त हुई मानी जाएगी।
- लॉक-इन पीरियड वाले निवेशों और प्लेज्ड निवेशों के लिए STP उपलब्ध नहीं है।
- यूनिटहोल्डर को सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान के अंतर्गत ट्रांसफर की तारीख / एग्जीक्यूशन की तारीख पर ट्रांसफरर स्कीम में चुने गए प्लान के अनुसार मिनिमम बैलें मेंटेन करना होगा।
- अगर निवेशक के पास लगातार 3 महीनों तक अपर्याप्त बैलेंस / अनक्लियर यूनिट्स बनी रहती हैं, तो STP बंद कर दिया जाएगा।

Scan to know more

STP और / FLEX STP सारांश		
डेली	सोमवार से शुक्रवार	1000 रुपये के न्यूनतम 5 ट्रांसफर, उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में। एनरॉलमेंट के समय मिनिमम बैलेंस: निल
वीकली	हर बुधवार	
फोर्टनाइटली	अल्टरनेट वीक के हर बुधवार	
मंथली	01, 10, 15, 21 और 28 तारीख	
क्वार्टरली	01, 10, 15, 21 और 28 तारीख	

FLEX STP (पहले वेरिएबल ट्रांसफर प्लान-VTP के नाम से जाना जाता था):

मिराए एसेट FLEX STP एक ऐसी सुविधा है, जिसमें मिराए एसेट म्यूचुअल फंड की डेसिग्नेटेड ओपन-एंडेड स्कीम्स के यूनिट होल्डर, मिराए एसेट म्यूचुअल फंड (ट्रांसफरर स्कीम) की डेसिग्नेटेड ओपन-एंडेड स्कीम्स से मिराए एसेट म्यूचुअल फंड (ट्रांसफरी स्कीम) की डेसिग्नेटेड ओपन-एंडेड स्कीम्स में प्रति-निर्धारित इंटरवल पर ट्रांसफर की तारीख पर FLEX STP के तहत निवेश की वैल्यू से लिंक्ड वेरिएबल अमाउंट को ट्रांसफर करने का विकल्प चुन सकते हैं।

- FLEX STP के तहत यूनिट होल्डर्स निम्नलिखित को ट्रांसफर कर सकेंगे:
  - प्रति इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड राशि (या)
  - निम्नलिखित फॉर्मूला द्वारा निर्धारित राशि: - [(प्रति इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की जाने वाली फिक्स्ड राशि X वर्तमान इंस्टॉलमेंट सहित इंस्टॉलमेंट की संख्या) - ट्रांसफर की तारीख पर टारगेट स्कीम में Flex STP के ज़रिए निवेश की मार्केट वैल्यू] ट्रांसफर की तारीख पर जो भी ज़्यादा हो।
  - पहली FLEX STP इंस्टॉलमेंट एनरॉलमेंट के समय यूनिट होल्डर द्वारा बताई गई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट राशि के आधार पर प्रोसेस की जाएगी। दूसरी FLEX STP इंस्टॉलमेंट से ट्रांसफर राशि की गणना ऊपर बताए गए फॉर्मूला के मुताबिक की जाएगी।
  - FLEX STP - डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और फोर्टनाइटली इंटरवल के मामले में, आरंभ होने की तारीख वैलिड रिक्वेस्ट प्राप्त होने की तारीख से 7 बिज़नेस दिनों के अंदर होगी।
    डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और फोर्टनाइटली FLEX STP के लिए जो शुक्रवार को या किसी भी व्यावसायिक दिन पर पड़ता है, जहां अगला दिन गैर-व्यावसायिक दिन है, तो लागू NAV ट्रांज़ैक्शन की तारीख होगा, यानी सोर्स और टारगेट स्कीम दोनों के लिए 3.00 PM से पहले।
  - अगर सुविधा को बंद करना चाहते हैं तो चुनी गई फ्रीक्वेंसी के लिए अगली लागू ट्रांसफर की तारीख से कम से कम 7 व्यावसायिक दिन पहले एक लिखित रिक्वेस्ट सबमिट की जानी चाहिए।

Scan to know more

सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान:

इस सुविधा से यूनिट होल्डर्स वन-टाइम रिक्वेस्ट के ज़रिए समय-समय पर स्कीम से विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल, सुविधा का लाभ उठाते समय निवेशक द्वारा बताई गई स्टार्ट डेट से शुरू होंगे।

- SWP के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम 5 दिनों की अवधि आवश्यक होगी।
- यूनिट्स को उन संबंधित तारीखों के लागू NAV पर रिडीम किया जाएगा जिन पर ऐसे विड्रॉल चाहिए होते हैं। हालाँकि, अगर रिडेम्पशन करने की तारीखों में से कोई तारीख गैर-व्यावसायिक दिन है, तो यूनिट्स को अगले व्यावसायिक दिन के लागू NAV पर रिडीम किया जाएगा।
- लॉक-इन पीरियड वाले निवेशों और प्लेज्ड निवेशों के लिए SWP उपलब्ध नहीं है।
- SWP विड्रॉल का विकल्प:
  - फिक्स्ड विड्रॉल: फिक्स्ड विड्रॉल के लिए न्यूनतम राशि ₹1,000/- या उससे ज़्यादा है।
- स्कीम एप्लीकेबल एग्जिट लोड (अगर कोई हो) संबंधित इंस्टॉलमेंट के लिए विड्रॉल के समय लागू होगा।

सुविधा	फ्रीक्वेंसी	तारीख	क्राइटेरिया
SWP	मंथली	1 या 10 या 15 या 21 या 28	1000 रुपये के न्यूनतम 5 ट्रांसफर, उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में। SWP के एनरॉलमेंट के समय मिनिमम बैलेंस: निल
	क्वार्टरली		
	सेमी-एनुअली		
	एनुअली		

Scan to know more

नॉन-फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन्स

नॉन-फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन्स:

नॉन-फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन वह होता है जिसमें कोई मोनेटरी विचार शामिल नहीं होता है और इसलिए ट्रेड की तारीख या NAV की तारीख का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है।

बैंक डिटेल्स में बदलाव:

- मोड ऑफ ऑपरेशन के अनुसार सभी यूनिट होल्डर्स द्वारा साइन किया गया रिक्वेस्ट लेटर।
- नए बैंक अकाउंट के प्रूफ के लिए सबमिट किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स
  - नए बैंक मैंडेट का कैंसिल्ड ऑरिजिनल चेक, जिस पर चेक के फेस पर फर्स्ट यूनिट होल्डर का नाम और बैंक अकाउंट नंबर प्रिंटेड हो, या ऑरिजिनल के साथ सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (वेरिफिकेशन और काउंटर पर रिटर्न के लिए) या बैंक द्वारा अटेस्टेड कॉपी। (या)
  - नए बैंक स्टेटमेंट की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी, जिसमें एंट्रीज 3 महीने से ज़्यादा पुरानी न हों (या)
  - बैंक पासबुक जिसमें वर्तमान एंट्रीज 3 महीने से ज़्यादा पुरानी न हों। (या)
  - माइनर के फोलियो के मामले में, माइनर के बैंक अकाउंट से या गार्डियन के साथ माइनर के जॉइंट अकाउंट से उपर्युक्त में से कोई भी प्रूफ दिया जाना चाहिए।
  - फोलियो में वर्तमान में रजिस्टर्ड मौजूदा बैंक मैंडेट के लिए सबमिट किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स।
    - नए बैंक मैंडेट का कैंसिल्ड ऑरिजिनल चेक, जिस पर चेक के फेस पर फर्स्ट यूनिट होल्डर का नाम और बैंक अकाउंट नंबर प्रिंटेड हो, या ऑरिजिनल के साथ सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (वेरिफिकेशन और काउंटर पर रिटर्न के लिए) या बैंक/नोटरी पब्लिक द्वारा अटेस्टेड कॉपी। (या)
    - ऑरिजिनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट / पासबुक (या)
    - अगर ऐसा बैंक अकाउंट पहले ही बंद हो चुका है, तो ऐसे बैंक के लेटर हेड पर उस बैंक अकाउंट के बंद होने की पुष्टि करने वाला बैंक द्वारा साइन किया गया और स्टाम्प लगा ऑरिजिनल लेटर या लेटर की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (वेरिफिकेशन और काउंटर पर रिटर्न के लिए)।
  - AMFI गाइडलाइन्स के मुताबिक, रिस्क कम करने के लिए नए बैंक के अपडेशन के बाद 10 दिनों का कूलिंग पीरियड होगा। इसलिए, इस बीच की अवधि के दौरान रिडेम्पशन (अगर कोई हो) के पे-आउट की तारीख तदनुसार बदल दी जाएगी।

मल्टीपल बैंक मैंडेट रजिस्ट्रेशन:

- "मल्टीपल बैंक मैंडेट रजिस्ट्रेशन" फॉर्म (डिफॉल्ट बैंक का उल्लेख किया जाना चाहिए)
- बैंक प्रूफ (प्री-एग्जिस्टिंग - डिफॉल्ट बैंक मैंडेट रजिस्टर्ड) की एक कॉपी अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए।
- नीचे बताए गए डॉक्युमेंट्स में से कोई एक:
  - नए बैंक मैंडेट का कैंसिल्ड ऑरिजिनल चेक, जिस पर चेक के फेस पर फर्स्ट यूनिट होल्डर का नाम और बैंक अकाउंट नंबर प्रिंटेड हो, या ऑरिजिनल के साथ सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (वेरिफिकेशन और काउंटर पर रिटर्न के लिए) या बैंक द्वारा अटेस्टेड कॉपी। (या)
  - लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी या बैंक पासबुक, जिसमें वर्तमान एंट्रीज 3 महीने से अधिक पुरानी न हों।
  - इंडिविजुअल फोलियो में अधिकतम 5 बैंक रजिस्टर किए जा सकते हैं और नॉन-इंडिविजुअल फोलियो में अधिकतम 10 बैंक रजिस्टर किए जा सकते हैं।
- रजिस्टर्ड बैंक (नॉन-डिफॉल्ट बैंक) डिलीट करना
  - डिलीट किए जाने वाले बैंक की डिटेल्स के साथ MBR फॉर्म।

कॉन्टेक्ट डिटेल्स का अपडेशन – ईमेल / मोबाइल नंबर:

रिक्वेस्ट लेटर (जिसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेक्शन से संबंधित है यानि फैमिली डिक्लेरेशन) पर मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक सभी यूनिट होल्डर्स के साइन होने चाहिए। किसी एक या सर्वाइवर के मामले में, कोई भी रिक्वेस्ट पर साइन कर सकता है।

होल्डिंग के तरीके का अपडेशन / बदलाव:

सभी यूनिट होल्डर्स द्वारा साइन किया गया रिक्वेस्ट लेटर।

Scan to know more

नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन, बदलाव और ऑप्ट-आउट:

SEBI के दिनांक 10 जून, 2024 के सर्क्युलर SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 के मुताबिक, नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट की आवश्यकताओं का पालन न करने वाले फोलियो को डेबिट ट्रांज़ैक्शन के लिए फ्रीज नहीं किया जाएगा। बिना नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट वाले लीगेसी फोलियो पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा।

इसके अलावा, सिंगल होल्डिंग कैपेसिटी वाले सभी नए फोलियो को अनिवार्य रूप से नॉमिनेशन और ऑप्ट आउट का पालन करना होगा।

नॉमिनेशन के लिए अनिवार्य फील्ड्स निम्नलिखित हैं:

- नॉमिनी का नाम
- नॉमिनेशन परसेंटेज (अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी हों)
- फर्स्ट होल्डर के साथ संबंध।
- अगर नॉमिनी माइनर है, तो जन्मतिथि अनिवार्य है और गार्डियन का नाम वैकल्पिक है।

नॉमिनेशन के मामले में ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य पॉइंट्स:

- एक फोलियो में अधिकतम तीन (3) नॉमिनी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा नॉमिनी अपॉइंट करने की स्थिति में, परसेंटेज और शेयर स्पष्ट तरीके से बताए जाने चाहिए। अगर यह नहीं बताया जाता है, तो दो नॉमिनी के लिए यह 50% और तीन के लिए 33%, 33% और 34% माना जाएगा।
- माइनर नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं।
- यूनिट होल्डर्स के पास फोलियो में नॉमिनी को अपडेट/मॉडिफाई करने का विकल्प होता है। मौजूदा नॉमिनेशन में मॉडिफिकेशन के मामले में, होल्डिंग के मोड की परवाह किए बिना, फोलियो में सभी यूनिट होल्डर्स की स्पष्ट सहमति होनी चाहिए।

नॉमिनेशन फॉर्म अच्छी तरह से भरा हुआ और सभी यूनिट होल्डर्स (मोड ऑफ ऑपरेशन पर ध्यान दिए बिना) के साइन होने चाहिए, जिसमें एक से ज़्यादा नॉमिनी के मामले में हर नॉमिनी को परसेंटेज के हिसाब से एलोकेशन भी बताया जाना चाहिए।

ध्यान दें:

- सभी नए बनाए गए इंडिविजुअल / सोल प्रोप्राइटर- सिंगल होल्डिंग फोलियो के लिए नॉमिनेशन /ऑप्ट-आउट अनिवार्य है।
- परसेंटेज एलोकेशन कुल 100% होना चाहिए। SEBI की गाइडलाइन्स के मुताबिक, अधिकतम 3 नॉमिनी की अनुमति होगी, जो 100% के बराबर होंगे।
- भारतीय निवासी जिन्हें नॉमिनेट किया जा सकता है:
  - इंडिविजुअल;
  - माइनर, माता-पिता/कानूनी अभिभावक के ज़रिए (जिनका नाम और पता देना आवश्यक है)
  - धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट;
  - केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल ऑथोरिटी या अपने पद के आधार पर कोई व्यक्ति।
- माइनर की ओर से होल्ड किए गए फोलियो/ अकाउंट में नॉमिनेशन की अनुमति नहीं होगी।
- जॉइंट होल्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर नॉमिनी माइनर है - तो फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर को या सेकंड होल्डर फर्स्ट होल्डर को नॉमिनी का गार्डियन नियुक्त कर सकता है।
- HUF सहित नॉन-इंडिविजुअल संस्थाओं के लिए नॉमिनेशन की अनुमति नहीं है।
- नॉमिनेशन फॉर्म पर पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) होल्डर्स साइन नहीं कर सकते हैं और हर नया नॉमिनेशन फोलियो/ अकाउंट में मौजूदा नॉमिनेशन को ओवरराइट कर देगा।
- जो निवेशक सिंगल होल्डिंग कैपेसिटी में फोलियो होल्ड करते हैं/ करने के इच्छुक हैं और अपने फोलियो में किसी व्यक्ति को नॉमिनी के तौर पर नॉमिनेट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म पर अलग से नॉमिनेट न करने की अपनी इच्छा कन्फर्म करनी होगी।

निवेशक निम्नलिखित तरीकों से नॉमिनेशन को अपडेट कर सकता है या नॉमिनेशन से ऑप्ट आउट कर सकता है:

- www.miraeassetmf.co.in पर लॉग इन करें। यह सुविधा केवल सिंगल मोड ऑफ होल्डिंग के लिए उपलब्ध है।
- K-फिनटेक सर्विसेज फंड:https://mfs.kfintech.com/investor/General/NCTNomineeUpdation
- https://www.mfcentral.com/ में MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर सभी AMC में
- इसके अलावा निवेशक अपनी नज़दीकी AMC ब्रांच या K-फिनटेक इन्वेस्टर सर्विस सेंटर पर सभी होल्डर्स के साइन वाली लिखित रिक्वेस्ट या नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म www.miraeassetmf.co.in पर उपलब्ध हैं।

फोलियो का कंसोलिडेशन:

मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से सभी यूनिट होल्डर्स द्वारा साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर, जिसमें उन टारगेटऔर सोर्स फोलियो का उल्लेख हो जिन्हें कंसोलिडेट करना है।

कंसोलिडेशन के मामले में निम्नलिखित पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए:

- सभी फोलियो में नीचे दिए गए आइडेंटिकल नॉन-फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होने चाहिए, जैसे
  - निवेशक का नाम और होल्डिंग पैटर्न
  - होल्डिंग का तरीका
  - टैक्स स्टेटस (रेजिडेंट इंडिविजुअल और नॉन-रेजिडेंट इंडिविजुअल)
  - प्राइमरी बैंक की डिटेल्स
  - नॉमिनेशन

माइनर यूनिट होल्डर के गार्डियन में बदलाव:

- माइनर यूनिट होल्डर के गार्डियन में बदलाव के लिए रिक्वेस्ट लेटर।
- नए गार्डियन के PAN कार्ड की कॉपी
- नए गार्डियन का केवाईसी एक्नॉलेजमेंट या CKYC फॉर्म
- गार्डियन के डेथ सर्टिफिकेट की अटेस्टेड* कॉपी (अगर लागू हो)
- अगर गार्डियन में बदलाव कोर्ट द्वारा लीगल गार्डियन की नियुक्ति के कारण हुआ है, तो कोर्ट के ऑर्डर की अटेस्टेड* कॉपी।
- नए गार्डियन का माइनर के साथ संबंध दर्शाने वाले डॉक्युमेंट प्रूफ (जैसे माइनर का पासपोर्ट/ बर्थ सर्टिफिकेट/ PAN कार्ड / स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आदि, जिसमें नए गार्डियन का नाम लिखा हो)
- नए गार्डियन के नाम से माइनर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के संबंध में गार्डियन बदलने का प्रमाण देने वाला कैंसिल्ड चेक (अगर लागू हो)
- FATCA और CRS डिटेल्स
- नए गार्डियन को फोलियो में अपडेट करने से पहले PAN वेलिडेशन किया जाएगा।

* नोटरी पब्लिक या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) या गजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड किया जाना चाहिए।

फोलियो का ट्रांसमिशन:

दूसरे या तीसरे होल्डर की मृत्यु की स्थिति में मृतक यूनिट होल्डर का नाम हटाना:

- T1 फॉर्म
- मृतक यूनिट होल्डर/होल्डर्स का ऑरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट या सेल्फ-अटेस्टेड और नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड फोटोकॉपी
- नया बैंक मैंडेट फॉर्म, कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
- नॉमिनेशन / ऑप्ट-आउट फॉर्म
- नए बैंक अकाउंट के कैंसिल्ड चेक के साथ नया बैंक मैंडेट फॉर्म (केवल तभी जब मौजूदा बैंक मैंडेट में कोई बदलाव हो)
- प्राइमरी होल्डर और जॉइंट होल्डर/होल्डर्स की सेल्फ-अटेस्टेड PAN कॉपी, अगर पहले सबमिट नहीं की गई हो
- जीवित यूनिट होल्डर/होल्डर्स का KYC एक्नॉलेजमेंट या KYC फॉर्म, अगर KYC कम्प्लाइंट नहीं है।
- कृपया जीवित होल्डर्स का PAN-आधार लिंकेज स्टेटस चेक करें।
- FATCA और CRS डिटेल्स (अगर सबमिट नहीं की गई है तो)

ध्यान दें: फोलियो नंबर ट्रांसमिशन के बाद भी वही रहेगा।

पहले होल्डर की मृत्यु की स्थिति में जीवित यूनिट होल्डर को यूनिट्स का ट्रांसमिशन:

- T2 फॉर्म
- मृतक यूनिट होल्डर/होल्डर्स का ऑरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट या सेल्फ-अटेस्टेड और नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड फोटोकॉपी
- दावेदार/ नए कर्ता / गार्डियन की KYC (नॉमिनी /दावेदार के माइनर होने /मानसिक रूप से अस्वस्थ के मामले में)
- नॉमिनेशन / ऑप्ट-आउट रिक्वेस्ट
- अगर बैंक डिटेल्स में कोई बदलाव है, तो कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों। अगर कोई बदलाव नहीं है तो प्रूफ की आवश्यकता नहीं है।
- प्राइमरी होल्डर और जॉइंट होल्डर/होल्डर्स की सेल्फ-अटेस्टेड PAN कॉपी, अगर पहले सबमिट नहीं की गई हो
- जीवित यूनिट होल्डर/होल्डर्स का KYC एक्नॉलेजमेंट या KYC फॉर्म, अगर KYC कम्प्लाइंट नहीं है।
- अगर दावेदार माइनर है तो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी।
- कृपया जीवित होल्डर्स का PAN-आधार लिंकेज स्टेटस चेक करें।
- FATCA और CRS डिटेल्स (अगर कम्प्लाइंट नहीं है)

ध्यान दें: एक नया फोलियो बनाया जाएगा।

एकमात्र या सभी यूनिटहोल्डर्स की मृत्यु की स्थिति में रजिस्टर्ड नॉमिनी को यूनिट्स का ट्रांसमिशन

- T3 फॉर्म
- मृतक यूनिट होल्डर/होल्डर्स का ऑरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट या सेल्फ-अटेस्टेड और नोटरी पब्लिक/गजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड फोटोकॉपी। अगर नॉमिनी माइनर है तो बर्थ सर्टिफिकेट की ऑरिजिनल कॉपी।
- दावेदार/गार्डियन की KYC (नॉमिनी /दावेदार के माइनर होने /मानसिक रूप से अस्वस्थ के मामले में)
- कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
- मृतक व्यक्ति का आईडी प्रूफ [PAN/संशोधित आधार/वोटर आईडी/पासपोर्ट या PMLA गाइडलाइन्स के मुताबिक कोई अन्य वैलिड OVD], दावेदार/दावेदारों द्वारा अटेस्टेड, नोटराइज़्ड या ऑरिजिनल AMC ब्रांचेज में दिखाई जा सकती हैं और उनके द्वारा अटेस्टेड OSV सील
- अगर नॉमिनी माइनर है तो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी।
- नॉमिनी/गार्डियन के PAN कार्ड की कॉपी (अगर नॉमिनी माइनर है)
- दावेदार द्वारा नॉमिनेशन/ऑप्ट आउट फॉर्म।
- FATCA और CRS डिटेल्स (अगर कम्प्लाइंट नहीं है)
- कृपया नॉमिनी का PAN-आधार लिंकेज स्टेटस चेक करें।
- 5 लाख रुपये तक की PAN लेवल वैल्यू के लिए –
- जहां ट्रांसमिशन वैल्यू 5,00,000 रुपये तक है, एनेग्ज़र -I(A)) के अनुसार बैंक मैनेजर द्वारा दावेदार/गार्डियन (अगर दावेदार माइनर है) के साइन का बैंक अटेस्टेशन।

5 लाख रुपये से ज़्यादा की PAN लेवल वैल्यू के लिए –

- अगर T3 फॉर्म में ट्रांसमिशन वैल्यू 5,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो नोटरी पब्लिक या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा दावेदार/गार्डियन के साइन का अटेस्टेशन।

ध्यान दें: एक नया फोलियो बनाया जाएगा।

जहां कोई नॉमिनेशन रजिस्टर्ड नहीं है, उस स्थिति में एकमात्र यूनिटहोल्डर या सभी यूनिटहोल्डर्स की मृत्यु पर दावेदार/दावेदारों को यूनिट्स का ट्रांसमिशन:

- T3 फॉर्म
- मृतक यूनिट होल्डर/होल्डर्स का ऑरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट या सेल्फ-अटेस्टेड और नोटरी पब्लिक/गजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड फोटोकॉपी। अगर दावेदार माइनर है तो बर्थ सर्टिफिकेट की ऑरिजिनल कॉपी।
- दावेदार/ नए कर्ता / गार्डियन की KYC (नॉमिनी /दावेदार के माइनर होने /मानसिक रूप से अस्वस्थ के मामले में)
- कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
- दावेदार/गार्डियन की सेल्फ-अटेस्टेड PAN कार्ड कॉपी (अगर दावेदार माइनर है)
- सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा साइन किया गया और निष्पादित इंडेम्निटी बॉन्ड, जो दावेदारों की पुष्टि करता है (एनेग्ज़र II) - नोटराइज़्ड - 500/- का स्टाम्प पेपर
- सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत शपथ पत्र (एनेग्ज़र III) - नोटराइज़्ड - 100/- का स्टाम्प पेपर
- अगर दावेदार माइनर है तो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी
- दावेदार द्वारा नॉमिनेशन/ऑप्ट आउट फॉर्म (अगर कम्प्लाइंट नहीं है)

5 लाख रुपये तक की PAN लेवल वैल्यू के

लिए –

- जहां ट्रांसमिशन वैल्यू 5,00,000 रुपये तक है, एनेग्ज़र -I(A)) के अनुसार बैंक मैनेजर द्वारा दावेदार/गार्डियन (अगर दावेदार माइनर है) के साइन का बैंक अटेस्टेशन।
- दावेदारों के अलावा NOC/शपथपत्र पर साइन करने वाले सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का आइडेंटिटी प्रूफ (इसमें प्रोबेट/ LOA / सक्सेशन सर्टिफिकेट में उल्लिखित दावेदार शामिल नहीं हैं)
- मृतक यूनिटहोल्डर/होल्डर्स के साथ दावेदार के संबंध को प्रमाणित करने वाले डॉक्युमेंट। दावेदार द्वारा अटेस्टेड मृतक के PAN कार्ड/संशोधित आधार कार्ड की कॉपी, नोटराइज़्ड या ऑरिजिनल AMC ब्रांचेज में दिखाई जा सकती हैं और उनके द्वारा अटेस्टेड OSV सील।
- अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से NOC (एनेग्ज़र - IV): अगर PAN लेवल पर वैल्यू 5 लाख रुपये तक है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों/दावेदारों, जिन्हें सिक्योरिटीज ट्रांसमिट की जानी हैं, उनसे निर्दिष्ट फॉर्म में नोटराइज़्ड इंडेम्निटी बॉन्ड लेना ज़रूरी है। हालाँकि, गैर-दावेदारों से नो ऑब्जेक्शन केवल तभी चाहिए होगा जब रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार कई बेनेफिशरी हों, लेकिन उन सभी ने अपना दावा छोड़ दिया हो और आवेदक (दावेदार) द्वारा यूनिट्स के ट्रांसमिशन का दावा करने पर उन्हें कोई आपत्ति न हो। ऐसे मामलों में, निर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार नोटरी पब्लिक या किसी गज़ेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड NOC के साथ PAN/ OVD भी प्राप्त करना होगा।

अगर PAN लेवल वैल्यू 5 लाख रुपये से ज़्यादा लेकिन 10 लाख रुपये तक है -

- अगर ट्रांसमिशन वैल्यू 5,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो नोटरी पब्लिक या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा दावेदार के साइन का अटेस्टेशन।
- (i) प्रमाणित या रजिस्टर्ड वसीयत की नोटराइज़्ड कॉपी। रजिस्टर्ड वसीयत के मामले में, इसके साथ दावेदार (मतलब वसीयत के उपयुक्त बेनेफिशरी) से नोटराइज़्ड इंडेम्निटी बॉन्ड भी दिया जाएगा या
  (ii) कानूनी उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष, साथ में (i) कानूनी उत्तराधिकारी/दावेदार, जिन्हें सिक्योरिटीज ट्रांसमिट की जानी हैं, उनसे फॉर्मेट के अनुसार नोटराइज़्ड इंडेम्निटी बॉन्ड। (ii) सभी गैर-दावेदारों (शेष कानूनी उत्तराधिकारियों) से फॉर्मेट के अनुसार NOC, जो नोटरी पब्लिक या गज़ेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए।

अगर PAN लेवल वैल्यू 10 लाख रुपये से ज़्यादा है -

- नीचे बताए गए डॉक्युमेंट्स में से कोई एक:

  i. प्रमाणित वसीयत की नोटराइज़्ड कॉपी (या)

  ii.सक्षम न्यायालय द्वारा जारी सक्सेशन सर्टिफिकेट (या)

  iii. बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामले में प्रशासन का लेटर या कोर्ट का आदेश

ध्यान दें: अगर 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की राशि के लिए बताए गए डॉक्युमेंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ऊपर दी गई डॉक्युमेंट्स लिस्ट में बताए गए इंडेम्निटी बॉन्ड की ज़रुरत नहीं है।

ध्यान दें: नया फोलियो बनाया जाएगा।

हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के कर्ता की मृत्यु पर कर्ता में बदलाव:

- T4 फॉर्म
- मृतक कर्ता का ऑरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड और नोटरी पब्लिक/गज़ेट ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड फोटो कॉपी।
- कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
- 5 लाख रुपये से कम की वैल्यू के लिए एनेग्ज़र-1b के अनुसार HUF के बैंक अकाउंट में नए कर्ता के साइन और डिटेल्स को सर्टिफाई / अटेस्ट करने वाला बैंकर लेटर और 5 लाख रुपये से ज़्यादा वैल्यू के लिए नोटरी पब्लिक/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा साइन का अटेस्टेशन।
- नए कर्ता सहित सभी कोपार्सनर (सहदायिक) द्वारा साइन किया हुआ इंडेम्निटी बॉन्ड (एनेग्ज़र V)
- HUF के लिए KYC वेरिफाइड स्टेट में होनी चाहिए
- नए कर्ता के लिए PAN-आधार लिंकिंग स्टेटस
- PAN और निवेशक के नाम का वेलिडेशन
- नए कर्ता की सेल्फ-अटेस्टेड PAN कॉपी
- मृतक कर्ता का आईडी प्रूफ [PAN/संशोधित आधार/वोटर आईडी/पासपोर्ट या PMLA गाइडलाइन्स के अनुसार कोई अन्य वैलिड OVD] नए कर्ता द्वारा अटेस्टेड, नोटराइज़्ड या ऑरिजिनल जो AMC ब्रांचेज में दिखाना होगा
- नए कर्ता और अन्य कोपार्सनर (सहदायिक) का मृतक कर्ता के साथ संबंध प्रमाणित करने वाला कोई भी उपयुक्त डॉक्युमेंट।

ध्यान दें: नया फोलियो बनाया जाएगा।

HUF के कर्ता की मृत्यु पर दावेदार/दावेदारों को यूनिट्स का ट्रांसफर, जहां कोई जीवित कोपार्सनर (सहदायिक) नहीं है या कर्ता की मृत्यु के बाद HUF टूट गया है / बंटवारा हो गया है:

- T5 फॉर्म
- मृतक कर्ता का ऑरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और नोटरी पब्लिक/गज़ेट ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट ऑरिजिनल।
- कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
- एनेग्ज़र-1a अनुसार HUF के बैंक अकाउंट में नए कर्ता के साइन और डिटेल्स को सर्टिफाई / अटेस्ट करने वाला बैंक का लेटर
- दावेदार द्वारा साइन किया गया इंडेम्निटी बॉन्ड, जहां कोई जीवित कोपार्सनर (सहदायिक) नहीं है या कर्ता की मृत्यु के बाद HUF HUF टूट गया है /बंटवारा हो गया है (एनेग्ज़र VI)
- दावेदार का सेल्फ-अटेस्टेड PAN कार्ड
- दावेदार/गार्डियन का KYC एक्नॉलेजमेंट या KYC फॉर्म (अगर दावेदार माइनर है)
- FATCA, CRS और UBO (अगर एप्लीकेबिलिटी के अनुसार कम्प्लाइंट नहीं है)

5 लाख रुपये तक की PAN लेवल वैल्यू के लिए –

- जहां ट्रांसमिशन वैल्यू 5,00,000 रुपये तक है, एनेग्ज़र -I(A) के अनुसार बैंक मैनेजर द्वारा दावेदार/गार्डियन (अगर दावेदार माइनर है) के साइन का बैंक अटेस्टेशन।

5 लाख रुपये से ज़्यादा की PAN लेवल वैल्यू के लिए –

- अगर ट्रांसमिशन वैल्यू 5,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो नोटरी पब्लिक या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा दावेदार के साइन का अटेस्टेशन।
- इनकी नोटराइज़्ड कॉपी - सेटलमेंट डीड या पार्टीशन डीड या संबंधित सक्षम न्यायालय के आदेश की अगर कोपार्सनर (सहदायिक) नहीं है और ट्रांसमिशन वैल्यू 5,00,000 रुपये से ज़्यादा है या जहां HUF के किसी भी जीवित सदस्य की ओर से कोई आपत्ति हो।

PAN का अपडेशन:

- मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक सभी यूनिटहोल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
- PAN कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी।
- दिया गया PAN KYC, FATCA और CRS कम्प्लाइंट होना चाहिए।
- PAN और आधार लिंक होना चाहिए।
- रिकॉर्ड में PAN को सफलतापूर्वक अपडेट करने से पहले नाम, DOB/DOI का वेलिडेशन किया जाता है।

PAN में बदलाव:

- मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक सभी यूनिटहोल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
- नए PAN कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी।
- दिया गया PAN KYC, FATCA और CRS कम्प्लाइंट होना चाहिए।
- नया PAN और आधार लिंक्ड होना चाहिए।
- इनकम टैक्स को पुराने PAN सबमिशन का एक्नॉलेजमेंट/सरेंडर कॉपी
- रिकॉर्ड में PAN को अपडेट करने से पहले नाम, DOB/DOI का वेलिडेशन किया जाता है।

लिअन मार्किंग / प्लेज:

- प्लेज द्वारा प्लेज रिक्वेस्ट लेटर (अधिमानतः हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या उसके जैसा)।
- रिकॉर्ड में लिअन मार्किंग अपडेट करने से पहले वैलिड KYC स्टेटस, PAN आधार लिंकिंग, नाम का वेलिडेशनकिया जाना चाहिए।
- प्लेज करने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की लिस्ट।
- सफल लिअन मार्किंग होने पर निवेशक और फाइनेंशियर दोनों को एक कन्फर्मेशन भेजा जाता है।

लिअन अन-मार्किंग / अनप्लेज:

- प्लेज करने वाले द्वारा यूनिट्स के अनप्लेज के लिए (अधिमानतः हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या उसके जैसा) ऑरिजिनल में
- प्लेज करने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की लिस्ट (अगर मौजूदा ASL में कोई बदलाव हुआ हो)

पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन:

सभी यूनिट होल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर (चाहे मोड ऑफ़ ऑपरेशन कोई भी हो)

- 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी, सभी यूनिट होल्डर्स और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर द्वारा साइन किया गया, और नोटरी पब्लिक/गज़ेटेड ऑफिसर द्वारा ऑरिजिनल अटेस्टेशन।
- अगर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एक कंपनी है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की लिस्ट देनी होगी, जिनके साइन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की कंपनी द्वारा अटेस्टेड हों।
- पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर/होल्डर्स का KYC, FATCA, UBO और CRS (एप्लीकेबिलिटी के अनुसार)

पावर ऑफ अटॉर्नी का रेवोकेशन / कैंसलेशन:

सभी यूनिट होल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर (चाहे मोड ऑफ़ ऑपरेशन कोई भी हो)

टैक्स स्टेटस का माइनर से मेजर में बदलाव:

- MAM AMFI डेज़िग्नेटेड रिक्वेस्ट फॉर्म
- MAM फॉर्म में गार्डियन द्वारा या रिक्वेस्ट फॉर्म (एनेग्ज़र 1A) में बैंकर द्वारा मेजर के साइन को अटेस्ट किया जा सकता है।
- आवेदक के नाम के साथ नया और पुराना कैंसिल्ड चेक या आवेदक का बैंक स्टेटमेंट/पासबुक
- आवेदक के PAN कार्ड की कॉपी
- आवेदक का KYC एक्नॉलेजमेंट या KYC फॉर्म
- FATCA और CRS डिटेल्स
- नॉमिनेशन/ऑप्ट आउट फॉर्म

सिग्नेचर में बदलाव:

- दावेदार का रिक्वेस्ट फॉर्म
- बैंक मैनेजर द्वारा एनेग्ज़र 1A में नए सिग्नेचर का अटेस्टेशन
- प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (POI) डॉक्युमेंट
- क्लाइंट को नीचे बताए गए किसी भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ उपरोक्त डॉक्युमेंट व्यक्तिगत रूप से सबमिट करने होंगे:
  - वोटर आईडी कार्ड
  - ड्राइविंग लाइसेंस
  - गवर्नमेंट / डिफेंस आइडेंटिफिकेशन कार्ड
  - पासपोर्ट
  - फोटो लगा राशन कार्ड
  - कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त डेबिट कार्ड, कर्मचारी पहचान पत्र
  - सरकार द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक/स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
    शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के बैंक मैनेजर /गज़ेटेड ऑफिसर / विधानसभा / संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
  - शेड्यूल्ड कमर्शियल / स्टेट / डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र
  - यूनिवर्सिटी / डीम्ड यूनिवर्सिटी या संस्थानों द्वारा ICAI, ICWAI, ICSI जैसे क़ानूनों के तहत जारी कार्ड
  - CRA (NSDL) द्वारा न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स को जारी किया गया परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड
  - केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / नगरपालिका प्राधिकरण / ESIC / EPFO जैसे सरकारी संगठनों द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र
  - परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN)
- पुराने और नए बैंक का प्रूफ (अगर सिग्नेचर अटेस्टेशन मौजूदा बैंक से नहीं है)

वारंट का रीवेलिडेशन:

- मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक सभी यूनिटहोल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
- बैंक डिटेल्स में बदलाव होने पर, नए बैंक अकाउंट के लिए डॉक्युमेंट सबमिट किए जाने चाहिए (नीचे दिए गए डॉक्युमेंट्स में से कोई एक)
  - नए बैंक मैंडेट का कैंसिल्ड ऑरिजिनल चेक, जिस पर फर्स्ट यूनिट होल्डर का नाम और बैंक अकाउंट नंबर चेक के फेस पर प्रिंट हो, या ऑरिजिनल के साथ एक सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (वेरिफिकेशन और काउंटर पर रिटर्न के लिए) या बैंक द्वारा अटेस्टेड कॉपी।
  - बैंक स्टेटमेंट की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी
  - बैंक पासबुक जिसमें वर्तमान एंट्रीज 3 महीने से अधिक पुरानी न हों
  - बैंक मैनेजर / अधिकृत कर्मचारी द्वारा साइन किया हुआ बैंक लेटर, जिसमें एम्प्लॉई कोड और बैंक की सील लगी हो।
- फोलियो / अकाउंट में वर्तमान में रजिस्टर्ड मौजूदा बैंक मैंडेट के लिए सबमिट किए जाने वाले डॉक्युमेंट (नीचे दिए गए डॉक्युमेंट्स में से कोई एक)
  - कैंसिल्ड ऑरिजिनल चेक, जिस पर फर्स्ट यूनिट होल्डर का नाम और बैंक अकाउंट नंबर चेक के फेस पर प्रिंट हो
  - ऑरिजिनल बैंक स्टेटमेंट / पासबुक
  - अगर ऐसा बैंक अकाउंट पहले ही बंद हो चुका है, तो बैंक के लेटर हेड पर ऐसे बैंक का साइन किया और स्टाम्प लगा हुआ ऑरिजिनल लेटर, जिसमें उस अकाउंट को बंद करने की पुष्टि की गई हो।

रेजिडेंशियल इंडिविजुअल से नॉन-रेजिडेंशियल इंडिविजुअल स्टेटस में बदलाव (या इससे उलट):

- मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक सभी यूनिटहोल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
- नए KYC डाक्यूमेंट्स
- FATCA और CRS डिटेल्स
- अगर पुराने और नए बैंक की डिटेल्स समान हैं और केवल बैंक अकाउंट का प्रकार बदला है, तो बैंक के लेटर हेड पर मौजूदा बैंक की डिटेल्स (जैसे SB से NRO या NRO से SB) में बदलने की पुष्टि करने वाला बैंकर लेटर, बैंक एम्प्लॉई के कोड और एम्प्लॉई कोड के साथ आवश्यक है।
- पुराने और नए बैंक प्रूफ के साथ चेंज ऑफ बैंक फॉर्म।
  - **नये बैंक अकाउंट प्रूफ के लिए सबमिट किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स।**
    - नए बैंक मैंडेट का कैंसिल्ड ऑरिजिनल चेक, जिस पर फर्स्ट यूनिट होल्डर का नाम और बैंक अकाउंट नंबर चेक के फेस पर प्रिंट हो, या ऑरिजिनल के साथ एक सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (वेरिफिकेशन और काउंटर पर रिटर्न के लिए) या बैंकर/नोटरी पब्लिक द्वारा अटेस्टेड कॉपी।
    - नए बैंक स्टेटमेंट की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी, जिसमें एंट्रीज 3 महीने से ज़्यादा पुरानी न हों
    - बैंक पासबुक जिसमें वर्तमान एंट्रीज 3 महीने से ज़्यादा पुरानी न हों।
  - **फोलियो में वर्तमान में रजिस्टर्ड मौजूदा बैंक मैंडेट के लिए सबमिट किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स।**
    - नए बैंक मैंडेट का कैंसिल्ड ऑरिजिनल चेक, जिस पर फर्स्ट यूनिट होल्डर का नाम और बैंक अकाउंट नंबर चेक के फेस पर प्रिंट हो, या ऑरिजिनल के साथ एक सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (वेरिफिकेशन और काउंटर पर रिटर्न के लिए) या बैंकर/नोटरी पब्लिक द्वारा अटेस्टेड कॉपी।
    - ऑरिजिनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट / पास बुक
    - अगर ऐसा बैंक अकाउंट पहले ही बंद हो चुका है, तो बैंक के लेटर हेड पर ऐसे बैंक का साइन किया और स्टाम्प लगा हुआ ऑरिजिनल लेटर, जिसमें उस अकाउंट को बंद करने की पुष्टि की गई हो।

नोट: हस्तलिखित/रबर स्टाम्प आधारित पासबुक, जिस पर बैंक का स्टाम्प और सिग्नेचर, कर्मचारी का कोड और पदनाम हो, उसे स्वीकार किया जा सकता है।

ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स:

टैक्स स्टेटस में बदलाव - स्थितियां		
बैंक अकाउंट प्रकार से	बैंक अकाउंट प्रकार में	अनुमति है
SB	NRO	हाँ
SB	NRE	नहीं
NRO	NRE	नहीं
NRO	SB	हाँ
NRE	SB	हाँ
NRE	NRO	हाँ

जन्म तिथि का अपडेशन:

- मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक सभी यूनिट होल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
- नीचे दिए गए डॉक्युमेंट्स में से कोई एक जो जन्म तिथि को प्रमाणित करते हैं।
  - बर्थ सर्टिफिकेट
  - स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट
  - पासपोर्ट
  - CBSE, ICSE या संबंधित राज्यों के हायर सेकेंडरी बोर्ड द्वारा जारी मार्कशीट जिसमें माइनर की जन्मतिथि अंकित हो
  - आधार कार्ड (अगर पूरी जन्मतिथि उपलब्ध हो)

IFSC और MICR कोड का अपडेशन:

- मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक सभी यूनिट होल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
- नीचे बताए गए डॉक्युमेंट्स में से कोई एक
  - मौजूदा बैंक अकाउंट का कैंसिल्ड ऑरिजिनल चेक, जिस पर फर्स्ट यूनिट होल्डर का नाम और बैंक अकाउंट नंबर चेक के फेस पर प्रिंट हो
  - बैंक स्टेटमेंट की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी, MICR और IFSC कोड सहित
  - बैंक पासबुक और वर्तमान एंट्रीज 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, MICR और IFSC कोड सहित
  - बैंक मैनेजर/अधिकृत कर्मचारी द्वारा साइन किया हुआ बैंक लेटर, MICR और IFSC कोड सहित

थम्ब इम्प्रैशन का अपडेशन:

- निवेशक का रिक्वेस्ट लेटर
- बैंकर का अटेस्टेशन
- PAN की कॉपी
- कैंसिल्ड चेक (ऑरिजिनल)
- डॉक्टर का सर्टिफिकेट (आवश्यक परिस्थितियों में)

ध्यान दें:

- पुरुषों के लिए अंगूठे के निशान बाएँ हाथ के और महिलाओं के लिए दाएँ हाथ के होने चाहिए और सभी मामलों में मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। HUF के मामले में, कर्ता HUF की ओर से साइन करेगा।
- अंगूठे के निशान को अपडेट किए जाने के बाद, अंगूठे के निशान से भविष्य में की जाने वाली किसी भी ट्रांज़ैक्शन रिक्वेस्ट को हर बार अनिवार्य रूप से नोटराइज़्ड करना होगा।

FATCA डिटेल्स का अपडेशन:

फोलियो के सभी यूनिट होल्डर्स के लिए FATCA डिक्लेरेशन एक अनिवार्य आवश्यकता है।

- नॉन-इंडिविजुअल / NRI सहित सभी केटेगरी के निवेशकों को FATCA प्रदान करना आवश्यक है।
- अगर निवेशक करदाता / नागरिक /भारत के बाहर का निवासी है, तो सभी होल्डर्स का TIN नंबर या उसके समकक्ष विवरण देना आवश्यक है।
- FATCA डिटेल्स अपडेट करने के लिए साइन किया हुआ निर्दिष्ट फॉर्म

नोट: सभी होल्डर्स के FATCA को MOH की परवाह किए बिना अनुपालन करना चाहिए

Scan to know more

UBO अपडेशन:

नॉन-इंडिविजुअल निवेशकों को UBO(s) डिटेल्स देनी होगी और KYC डॉक्युमेंट और विधिवत साइन किया हुआ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्डरिंग (मेटेनेंस ऑफ रिकार्ड्स) अमेंडमेंट रूल्स के मुताबिक, कॉर्पोरेट/ट्रस्ट को अल्टीमेट बेनेफिशरी ओनर (UBO) के तौर पर माने जाने के लिए 10% या उससे ज़्यादा के बराबर ओनरशिप इंटरेस्ट को कंट्रोल किया जाता है।

किसी भी सोसायटी / ट्रस्ट को एक अतिरिक्त नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन (NPO) डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी। किसी भी नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन को दर्पण पोर्टल पर भी रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन की रसीद के साथ नीति आयोग आईडी भी प्रस्तुत करनी होगी।

- UBO डिटेल्स अपडेट करने के लिए साइन किया हुआ डेज़िग्नेटेड फॉर्म
- सभी पात्र अल्टीमेट बेनेफिशरी का KYC अनुपालन।
- लिस्टेड संस्थाओं को ISIN नंबर और उस एक्सचेंज की डिटेल्स जहाँ उनकी संस्था लिस्टेड है, के साथ UBO डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी।

नोट: केवल नॉन-इंडिविजुअल संस्थाओं (कंपनी, ट्रस्ट, फर्म आदि) के लिए लागू।

NPO अपडेशन:

- NPO डिटेल्स अपडेट करने के लिए साइन किया हुआ डेज़िग्नेटेड फॉर्म
- अगर NPO के तौर पर एनरॉल हैं तो दर्पण नंबर।

ध्यान दें: केवल ट्रस्ट/सोसाइटी पर लागू है। 1 मई 2025 से, नई/मौजूदा संस्थाओं से प्राप्त पर्चेज़ ट्रांज़ैक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर उन्होंने NPO डिक्लेरेशन सबमिट नहीं की है। हालाँकि, रिडेम्पशन की अनुमति फिर भी दी जाएगी।

DTAA अपडेशन:

DTAA का लाभ उन देशों में रहने वाले निवेशक उठा सकते है जिनके साथ भारत ने DTAA एग्रीमेंट किया है। DTAA फॉर्म सबमिट करने पर, रिडेम्पशन इनिशिएट होने पर कोई TDS शुल्क नहीं लगेगा।

IDCW के लिए TDS लगना जारी रहेगा।

- डेज़िग्नेटेड साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर (एनेग्ज़र S: DTAA बेनिफिट लेने के लिए डिक्लेरेशन)
- वैलिड TRC (टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट)
- पासपोर्ट की कॉपी
- निवेशक का डिक्लेरेशन
- फॉर्म 10F
- एड्रेस प्रूफ (हाल ही के 6 महीनों का)
- PAN की कॉपी

फॉर्म 15H / फॉर्म 15G अपडेशन:

फॉर्म 15H/15G रेजिडेंट इंडिविजुअल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें यह घोषित किया जाता है कि उसकी आय निर्धारित सीमा से ज़्यादा नहीं है। वैलिड फॉर्म सबमिट करने पर IDCW से अर्जित आय पर कोई TDS नहीं लगेगा।

- एप्लीकेबिलिटी के मुताबिक साइन किय हुआ डेज़िग्नेटेड फॉर्म 15G और H
- पार्ट I निवेशक के लिए और पार्ट II डिडक्टर, यानी AMC के लिए लागू होता है।
- 5G या 15H में बताया गया PAN हमारे डेटाबेस में उपलब्ध PAN से मैच करना चाहिए।
- दिए गए PAN के आधार पर AMC के सभी फोलियो के लिए फॉर्म 15G या 15H को अपडेट किया जाएगा।
- रिपोर्टिंग PAN लेवल पर होगी और AMC के अंदर PAN के आधार पर सभी फोलियो के लिए IH नंबर जनरेट किया जाएगा।

फॉर्म 15G से संबंधित विशिष्ट शर्तें:

- इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), ट्रस्ट या कोई अन्य करदाता, लेकिन कंपनी या फर्म नहीं।
- करदाता की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए।
- निवेशक द्वारा दिए गए डिक्लेरेशन के आधार पर डिविडेंड इनकम पर टैक्स की गणना शून्य होगी।
- अगर PAN आधार लिंकिंग नहीं की गई है, तो ज़्यादा TDS चार्ज किया जाएगा।

फॉर्म 15H से संबंधित विशिष्ट शर्तें:

- फॉर्म 15H केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- निवेशक द्वारा दिए गए डिक्लेरेशन के आधार पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा।
- अगर PAN आधार लिंकिंग नहीं की गई है, तो एलिजिबल मामलों में ज़्यादा TDS लागू होगा।

अनक्लेम्ड IDCW / रिडेम्पशन:

नीचे बताई गई किसी भी स्थिति में निवेश अनक्लेम्ड IDCW / रिडेम्पशन स्कीम में चला जाता है:

- फोलियो रेगुलेटरी कम्प्लाइंट नहीं है, जैसे KYC रिजेक्टेड / KYC ऑन होल्ड / KYC डी-एक्टिवेटिड आदि।
- फोलियो को ट्रांज़ैक्शन के लिए प्रतिबंधित / लॉक कर दिया गया है।
- ट्रांसमिशन सूचना प्राप्त होने के कारण फोलियो को फ्रीज़ कर दिया गया है।
- नाबालिग वयस्क हो गया है - टैक्स स्टेटस डॉक्युमेंट्स सबमिट नहीं किए गए हैं।
- वारंट की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद अनडिलीवर्ड वारंट की राशि को अनक्लेम्ड स्कीम में ट्रांसफर कर दिया गया है।

अनक्लेम्ड के तहत केवल डायरेक्ट प्लान ही उपलब्ध है, इसलिए यह जानकारी मेल बैक रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होगी। इसके अलावा, अनक्लेम्ड स्कीम्स के अंदर दो क्लासिफिकेशन हैं, एक 3 साल तक और दूसरा 3 साल से ज़्यादा।

अनक्लेम्ड स्कीम्स के अंतर्गत निवेश को क्लेम करने की प्रक्रिया:

- साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर जिसमें बैंक, स्कीम, यूनिट और राशि की डिटेल्स / डेज़िग्नेटेड फॉर्म शामिल हो
- नए और पुराने बैंक के ऑरिजिनल प्रूफ या सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (वेरिफिकेशन और काउंटर पर रिटर्न के लिए) बैंक में बदलाव की आवश्यकता के अधीन।
- केवल IFSC अपडेशन - पुराने बैंक के प्रूफ की आवश्यकता नहीं है
- जब फोलियो में बैंक डिटेल्स वेलिडेट और अपडेट हो जाती हैं, तो स्कीम में ऑटो रिडेम्पशन हो जाएगा और अगर बैंक अकाउंट वेलिडेशन सफल हो जाता है, तो राशि सीधे निवेशक के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।

नाम में बदलाव:

30 अप्रैल 2024 से प्रभावी नेम वेलिडेशन रिवाइज्ड गाइडलाइन्स के मुताबिक, सभी नाम में बदलाव की रिक्वेस्ट को केवल नाम और DOB/DOI दोनों के ITD के विरुद्ध सफल नेम वेलिडेशन पर अपडेट किया जाएगा।

स्थितियां	डॉक्युमेंट्स की लिस्ट
	मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक यूनिटहोल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
	नाम में सुधार के लिए, इंडिविजुअल निवेशकों (NRI सहित) के लिए, यूनिट होल्डर से 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
	नया सिग्नेचर अटेस्टेड बैंकर (एनेग्ज़र 1A)
सामान्य	कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
	नए PAN की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और नए नाम के साथ KYC
	नए नाम के साथ FATCA और CRS
नाम में सुधार	मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक यूनिटहोल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
	नए PAN की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और नए नाम के साथ KYC
	मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक यूनिटहोल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
	नया सिग्नेचर अटेस्टेड बैंकर (एनेग्ज़र 1A)
शादी	कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों। अगर सिग्नेचर अटेस्टेशन नए बैंक से किया गया है तो पुराने बैंक के प्रूफ की भी ज़रूरत पड़ेगी
	मैरिज सर्टिफिकेट की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी - नोटराइज़्ड
	नए PAN की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और नए नाम के साथ KYC
	नए नाम के साथ FATCA और CRS
	मोड ऑफ ऑपरेशन के मुताबिक यूनिटहोल्डर्स का साइन किया हुआ रिक्वेस्ट लेटर
	नया सिग्नेचर अटेस्टेड बैंकर (एनेग्ज़र 1A) - अगर सिग्नेचर में बदलाव है
तलाक	कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों। अगर सिग्नेचर अटेस्टेशन नए बैंक से किया गया है तो पुराने बैंक के प्रूफ की भी ज़रूरत पड़ेगी
	डिवोर्स डिक्री की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी - नोटराइज़्ड
	नए PAN की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और नए नाम के साथ KYC
	नए नाम के साथ FATCA और CRS

स्थितियां	डॉक्युमेंट्स की लिस्ट
	अगर तलाक के कारण पहला और अंतिम नाम दोनों बदल गए हैं, तो निम्न में से कोई एक आवश्यक है: A) मैरिज सेर्टिफिकेट जिसमें से पहले का और शादी के बाद का नाम दोनों हो या B) सर्टिफिकेट की गज़ेट अटेस्टेड ट्रू कॉपी।
ट्रस्ट के नाम में बदलाव	ट्रस्ट के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से लिखित रिक्वेस्ट
	नाम में बदलाव के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा पारित प्रस्ताव की सर्टिफाइड कॉपी और ASL
	नाम में बदलाव की सहमति के लिए सभी ट्रस्टियों द्वारा साइन की गई सर्टिफाइड कॉपी
	ट्रस्ट डीड की अटेस्टेड फोटोकॉपी
	नए नाम के साथ PAN और KYC
	कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
	FATCA और UBO डिटेल्स
	NPO फॉर्म
प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड	नई संस्था से उनके संबंधित लेटर हेड पर लिखित रिक्वेस्ट और पुरानी संस्था से एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट
	इनकॉर्पोरेशन (निगमन) सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी या हाई कोर्ट का ऑर्डर
	नई संस्था का MOA और AOA
	नई संस्था का Pan या KYC
	नई संस्था का BR और ASL
	कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
	FATCA और UBO डिटेल्स
प्राइवेट लिमिटेड से LLP	नई संस्था से उनके संबंधित लेटर हेड पर लिखित रिक्वेस्ट और पुरानी संस्था से एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट
	LLP डीड की अटेस्टेड कॉपी
	इनकॉर्पोरेशन (निगमन) सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी या हाई कोर्ट का ऑर्डर
	नई संस्था का BR और ASL
	नई संस्था का Pan या KYC
	पुराना और नया कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
	FATCA और UBO डिटेल्स

स्थितियां	डॉक्युमेंट्स की लिस्ट
	इंडिविजुअल की लिखित रिक्वेस्ट या पुरानी संस्था (LLP) से उनके लेटर हेड पर रिक्वेस्ट
	LLP डीड या विघटन की अटेस्टेड कॉपी
	LLP का BR और ASL
LLP से इंडिविजुअल	इंडिविजुअल का सेल्फ-अटेस्टेड PAN या KYC डॉक्युमेंट्स (अगर कम्प्लाइंट नहीं है)
	इंडिविजुअल सिग्नेचर अटेस्टेड बैंकर (एनेग्ज़र 1A)
	पुराना और नया कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
	FATCA और CRS डिटेल्स
	PAN और आधार को लिंक किया जाना चाहिए
	रिक्वेस्ट लेटर
	नए बैंक और पुराने बैंक के प्रूफ के साथ चेंज ऑफ बैंक फॉर्म।
प्रोप्राइटरशिप फर्म से इंडिविजुअल	PAN की कॉपी (इंडिविजुअल)
	प्रोप्राइटरशिप सरेंडर प्रूफ (GST, VAT आदि)
	KYC डॉक्युमेंट्स
	FATCA और CRS डिटेल्स
	नई संस्था से उनके संबंधित लेटर हेड पर लिखित रिक्वेस्ट और पुरानी संस्था से एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट
	मर्जर / डी-मर्जर की स्कीम के साथ-साथ मर्जर के अप्रूवल के लिए संबंधित हाई कोर्ट या उपयुक्त ट्रिब्यूनल / अथॉरिटी का ऑर्डर, नोटराइज़्ड - अमेल्गमेशन (समामेलन) डीड
	संबंधित हाई कोर्ट या उपयुक्त ट्रिब्यूनल / अथॉरिटी ऑर्डर सबमिट करने के लिए ROC के साथ फाइल किया गया फॉर्म 21 या फॉर्म 28, पेमेंट चालान की कॉपी के साथ (दोनों कंपनियों द्वारा फाइल्ड)
मर्जर / डी-मर्जर / अमेल्गामेशन / एक्वीज़ीशन	नई संस्था का PAN या KYC
	नई संस्था के इनकॉर्पोरेशन (निगमन) सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी
	नई संस्था का MOA और AOA
	नई संस्था का BR और ASL
	कैंसिल्ड चेक प्री- प्रिंटेड नाम और बैंक अकाउंट नंबर के साथ (या) बैंक स्टेटमेंट की कॉपी / बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें वर्तमान एंट्रीज़ (3 महीने से अधिक पुरानी न हों) नोटरी पब्लिक या गजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड हों।
	FATCA और UBO डिटेल्स

MIRAE ASSET
Mutual Fund

नॉन-डीमैट [स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ('SOA')] मोड में रखी गई यूनिट्स का ट्रांसफर

फेज़ I

AMFI ने 14 अगस्त, 2024 को जारी अपने बेस्ट प्रैक्टिसेज गाइडलाइन्स सर्क्युलर नंबर 116/2024-25 के ज़रिए 'नॉन-डीमैट (SoA) मोड में रखी गई यूनिट्स के ट्रांसफर के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस ('AMFI गाइडलाइन्स') पर, 14 नवंबर, 2024 से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) के मामले को छोड़कर म्यूचुअल फंड की सभी स्कीम्स के तहत नॉन-डीमैट (स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 'SOA') मोड में रखी गई यूनिट्स के ट्रांसफर के संबंध में सुविधा शुरू की है।

- AMFI बेस्ट प्रैक्टिसेज गाइडलाइन्स सर्क्युलर नंबर 116/2024-25 दिनांक 14 अगस्त, 2024 के प्रावधानों के मुताबिक, नॉन-डीमैट ('SoA') मोड में इंडिविजुअल यूनिटहोल्डर्स द्वारा होल्ड की गई यूनिट्स को निम्नलिखित केटेगरीज़ के तहत ट्रांसफर किया जा सकता है:
    - जीवित जॉइंट होल्डर, जो एक या अधिक जॉइंट यूनिट होल्डर/होल्डर्स की मृत्यु के बाद फोलियो में नए जॉइंट होल्डर/होल्डर्स को जोड़ना चाहता है।
    - मृतक यूनिटहोल्डर का नॉमिनी, जो नॉमिनी के नाम पर यूनिट्स के ट्रांसमिशन के बाद, मृतक यूनिटहोल्डर के कानूनी उत्तराधिकारियों को यूनिट्स ट्रांसफर करना चाहता है।
    - माइनर यूनिटहोल्डर जो वयस्क हो गया है और अपना स्टेटस माइनर से मेजर में बदल लिया है, वह जॉइंट होल्डर के तौर पर फोलियो में माता-पिता /गार्डियन, भाई-बहन, पति/पत्नी आदि का नाम जोड़ना चाहता है।

किसी फोलियो में होल्ड की गई यूनिट्स के पार्शियल ट्रांसफर की अनुमति होगी। हालाँकि, अगर ट्रांसफरर के फ़ोलियो में बैलेंस्ड यूनिट्स SID में निर्दिष्ट सीमा / मिनिमम यूनिट्स से कम हो जाती हैं, तो ऐसी शेष यूनिट्स को अनिवार्य रूप से रिडीम किया जाएगा, और रिडेम्पशन राशि ट्रांसफरर को दे दी जाएगी।

अगर यूनिट्स के ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड डेट पर लॉज किया जाता है, तो IDCW पेआउट/रीइन्वेस्टमेंट ट्रांसफरर को किया जाएगा।

ट्रांसफर की गई यूनिट्स को ट्रांसफर की तारीख से 10 दिनों तक रिडीम करने की अनुमति नहीं होगी। इससे निवेशक को धोखाधड़ी से ट्रांसफर शुरू होने की स्थिति में रिवर्ट का अधिकार मिल जाएगा।

नॉन-डीमैट (SOA) मोड में होल्ड की गई यूनिट्स के ट्रांसफर की सुविधा केवल RTA और MF सेंट्रल के ट्रांज़ेक्शन पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन मोड से उपलब्ध कराई जाएगी, यानि SOA मोड में होल्ड की गई यूनिट्स के ट्रांसफर को फिजिकल / पेपर-बेस्ड मोड या स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, MFU, चैनल पार्टनर्स और EOP आदि के ज़रिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

II. इसके अलावा, मिराए एसेट म्यूचुअल फंड के SAI सेक्शन IX के तहत ट्रांसफर और स्टाम्प ड्यूटी के पेमेंट के लिए आवश्यक अपेक्षाएं के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे:

आवश्यक अपेक्षाएं:

- जीवित यूनिट होल्डर/नॉमिनी/माइनर यूनिट होल्डर जो वयस्क हो गया है, उसे फोलियो में मौजूद यूनिट्स के वैध यूनिट होल्डर के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि वह SOA मोड में होल्ड की गई यूनिट्स के ट्रांसफर हेतु आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो सके।
- ट्रांसफर की जा रही यूनिट्स पर किसी भी कारण से कोई "लिअन" या फ्रीज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही, यूनिट्स किसी भी लॉक-इन पीरियड में नहीं होनी चाहिए।
- ट्रांसफरी अनिवार्य रूप से एक इंडिविजुअल / इंडिविजुअल्स होना चाहिए, जिसके पास उस म्यूचुअल फंड में एक वैलिड फोलियो हो जिसमें ट्रांसफरर यूनिट्स को ट्रांसफर करना चाहता है। ट्रांसफरी के पास वैलिड PAN, CBS अकाउंट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ KYC वेलिडेटेड स्टेटस होना चाहिए। ट्रांसफरी ने अनिवार्य रूप से अच्छी तरह से भरा हुआ नॉमिनेशन फॉर्म या ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन सबमिट की होनी चाहिए। ट्रांसफरी को संबंधित SID के अनुसार यूनिट्स होल्ड करने और लागू होने वाली किसी भी अन्य नियामक आवश्यकता को पूरा करने के योग्य होना चाहिए।
- ट्रांसफरी फोलियो में यूनिट्स के ट्रांसफर पर ट्रांसफरर के फोलियो में प्राइमरी होल्डर, प्लान, ऑप्शन और ARN (रेगुलर प्लान के मामले में) अपरिवर्तित रहेंगे।

यूनिट्स के ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट:

- यूनिट्स के ट्रांसफर के लिए स्टाम्प ड्यूटी, अगर हो /जहाँ लागू हो, ट्रांसफरर द्वारा देय होगी।
- स्टाम्प ड्यूटी की राशि की गणना के लिए, कंसीडरेशन की गणना अंतिम उपलब्ध NAV के मुताबिक की जाएगी (ट्रांसफर रिक्वेस्ट में ट्रांसफरर द्वारा उल्लिखित कंसीडरेशन की राशि पर ध्यान दिए बिना)।
- स्टाम्प ड्यूटी, अगर/जहां लागू हो, RTA द्वारा ट्रांसफरर से ऑनलाइन तरीके से कलेक्ट की जाएगी और यह ध्यान रखा जाएगा कि पेमेंट फोलियो में रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से प्राप्त हुआ है।

नॉन-डीमैट [स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ('SOA')] मोड में रखी गई यूनिट्स का ट्रांसफर

फेज़ II

फेज़ II - यूनिट्स का फिजिकल ट्रांसफर	
सवाल	**जवाब**
बेहतर ऑनलाइन ट्रांसफर विकल्प	KFIN पोर्टल [यूनिट्स का ट्रांसफर] में मौजूदा ऑनलाइन विकल्प को फेज़ II विकल्पों (केटेगरी 2) को समायोजित करने के लिए बेहतर किया गया है: यूनिट्स का थर्ड पार्टी को ट्रांसफर (स्टाम्प ड्यूटी लागू)** भाई/बहन को ट्रांसफर (स्टाम्प ड्यूटी लागू)** होल्डर को जोड़ना (स्टाम्प ड्यूटी लागू नहीं) होल्डर को हटाना (स्टाम्प ड्यूटी लागू नहीं) यूनिट्स केवल पिता/माता/पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को ही गिफ्ट की जा सकती है (स्टाम्प ड्यूटी लागू नहीं)
ट्रांसफर एलिजिबिलिटी	यूनिट्स का ट्रांसफर उन सभी निवेशकों (माइनर को छोड़कर, RI/NRI) के लिए लागू है जिनके पास फ्री यूनिट्स हैं। (लॉक-इन / प्लेज्ड यूनिट्स वाले ELSS को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता) RI/ NRO से NRE अकाउंट वाले NRI को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
KYC वेलिडेशन	सभी होल्डर्स की KYC "KYC वेलिडेटेड [KYC कोड 07]" होनी चाहिए, ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों फोलियो में।
एक्सक्लूज़न - स्कीम केटेगरीज़	ETF, सोल्युशन ओरिएंटेड स्कीम्स जैसे बच्चों की स्कीम्स और रिटायरमेंट स्कीम्स के अंतर्गत यूनिट्स को ट्रांसफर के लिए एक्सक्लूड रखा गया है।
OTP कन्फर्मेशन	जब यूनिट्स किसी अन्य होल्डर या होल्डर्स को ट्रांसफर की जाती हैं, तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों को निर्धारित समय सीमा के अंदर OTP कन्फर्मेशन प्रदान करना होगा। यह उन सभी ट्रांसफर पर लागू होता है जिनमें सोर्स और टारगेट में फर्स्ट होल्डर अलग-अलग हों।
होल्डर जोड़ना	इसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब सोर्स और टारगेट दोनों फोलियो में फर्स्ट होल्डर एक ही हो
ट्रांज़ैक्शन के तरीके	डिजिटल मोड - केवल MF सेंट्रल / K-फिनटेक पोर्टल
NRI के लिए TDS	ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान TDS की गणना नहीं की जाएगी और TDS नहीं लगाया जाएगा और यह ट्रांसफरर द्वारा अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हैंडल किया जाएगा।
स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन	स्टाम्प ड्यूटी केवल थर्ड पार्टी को ट्रांसफर पर ही लागू होती है। वर्तमान में, स्टाम्प ड्यूटी, किसी भी राशि के लिए, फोलियो में ट्रांसफरर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से एडवांस में कलेक्ट की जाती है और लागू कलेक्शन चार्जेज AMC द्वारा वहन किए जाते हैं। अगर कुल स्टाम्प ड्यूटी Re 1 से कम है, तो इसे ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान Re 1 तक अपवार्ड राउंडेड किया जाएगा।
कम्युनिकेशन	सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को K-फिनटेक के ज़रिए सेंट्रल कम्युनिकेशन भेजा गया है
TAT	T+2 कार्य दिवस
** यूनिट्स के ट्रांसफर के लिए स्टाम्प ड्यूटी 0.015% की रेट से लागू होगी	

हमारे डिजिटल एसेट्स

डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए उपलब्ध डिजिटल सर्विसेज

MIRAE ASSET
Mutual Fund

डिस्ट्रीब्यूटर इनिशिएटेड ट्रांज़ेक्शन पोर्टल

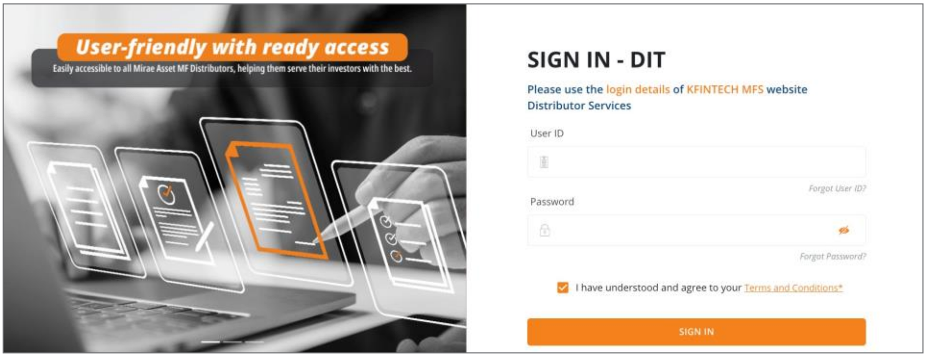

मुख्य फीचर्स

- कस्टमर के लिए निवेश इनिशिएट करें	- क्लाइंट का निवेश ट्रैक करें	- ARN लिंक्स जनरेट और शेयर करें	- नए कस्टमर की KYC इनिशिएट करें	- निवेशक की हिस्ट्री एक्सेस करें

बिज़नेस रेडी पोर्टल

मुख्य फीचर्स - कम्युनिकेशन कोलैटरल मैनेज करने के आसान स्टेप्स	- मार्केटिंग कोलैटरल पर फुल एक्सेस	वीडियो, लीफलेट्स और बैनर जैसे विभिन्न फॉर्मेट में सभी मार्केटिंग और प्रोडक्ट कम्युनिकेशन मटेरियल डाउनलोड और कॉ-ब्रांड करें

डिस्ट्रीब्यूटर इनिशिएटेड ट्रांज़ैक्शन पोर्टल:

हमारे DIT पोर्टल पर एक्सेस करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.miraeassetmf.co.in पर जाकर डिस्ट्रीब्यूटर कार्नर पर क्लिक करें।

इस सेक्शन का इस्तेमाल हमारे साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर सूचीबद्ध होने के लिए भी किया जा सकता है।

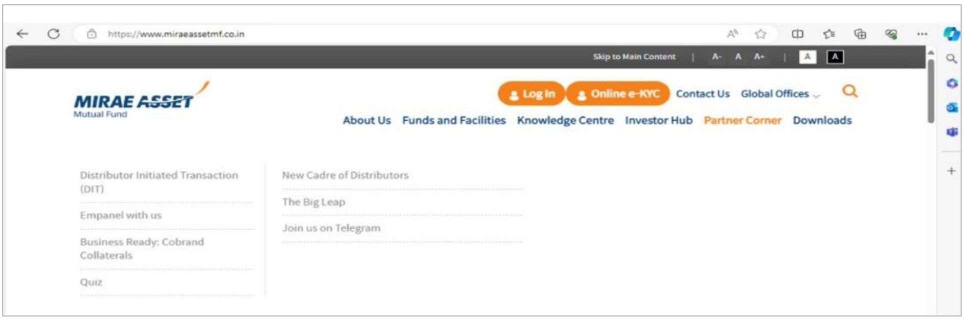

K-फिनटेक डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज के लिए उपयोग किए जाने वाला लॉगिन क्रेडेंशियल इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की ज़रुरत नहीं है।

- ट्रांज़ैक्शन के लिए कस्टमाइज़्ड ARN लिंक इनिशिएट करने का प्रावधान है जो किसी विशिष्ट स्कीम रेकमेंडेशन के लिए भी किया जा सकता है।

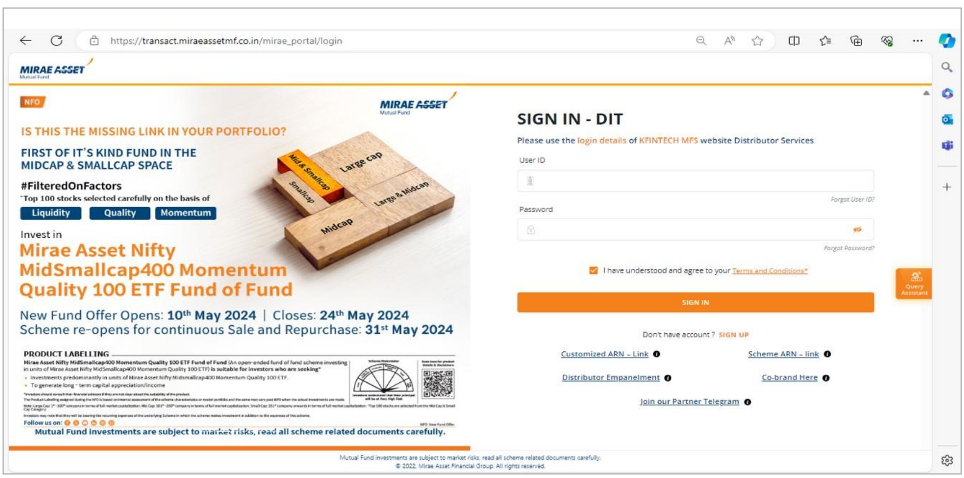

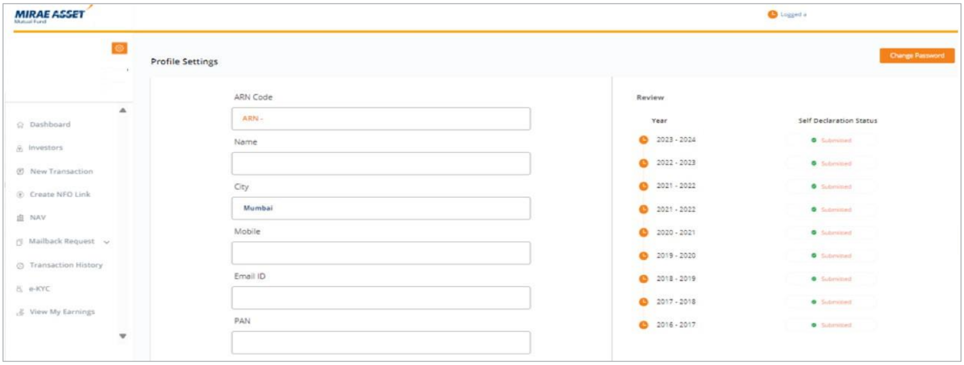

होम पेज:

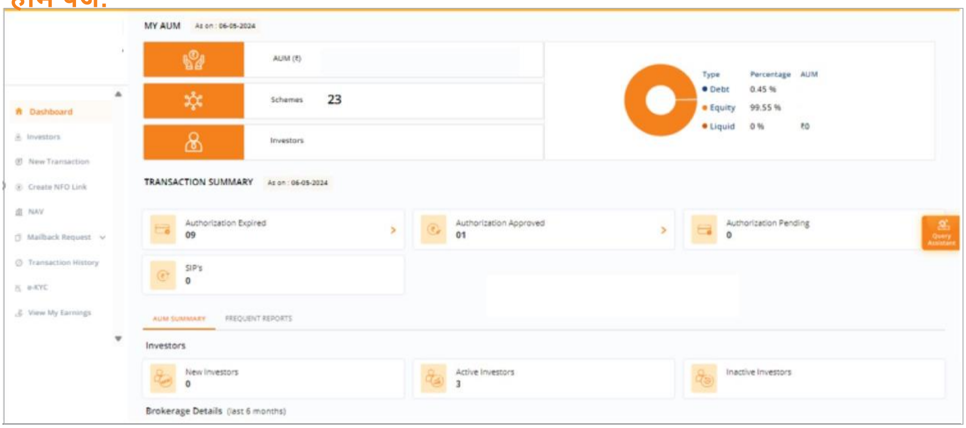

DIT में एक्टिव /इनएक्टिव/नए निवेशकों की लिस्ट प्राप्त करने का प्रावधान है।

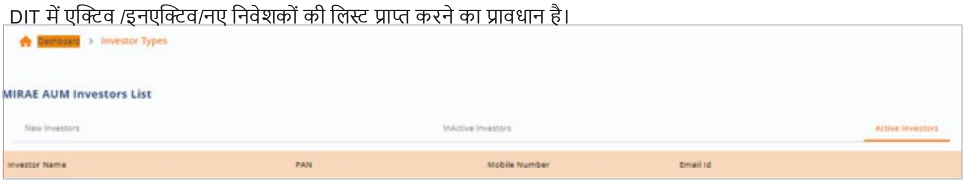

डिस्ट्रीब्यूटर होम पेज पर ही "फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड रिपोर्ट्स" सेक्शन तक आसानी से एक्सेस कर सकता है। आसान रेफरेंस के लिए फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स सेक्शन में उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट्स को एनक्लोज़ किया गया है:

- ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट
- नेट AUM रिपोर्ट
- क्लाइंट-वाइज AUM रिपोर्ट
- ब्रोकरेज रिपोर्ट
- इन्वेस्टर मास्टर इन्फॉर्मेशन
- NAV रिपोर्ट
- रिजेक्शन रिपोर्ट
- ट्रांज़ैक्शन वाइज इन्वेस्टर मास्टर
- SIP / STP रिपोर्ट
- वैलिड केस PAN लेवल KYC रिपोर्ट
- रजिस्टर्ड ऑन होल्ड PAN लेवल KYC रिपोर्ट

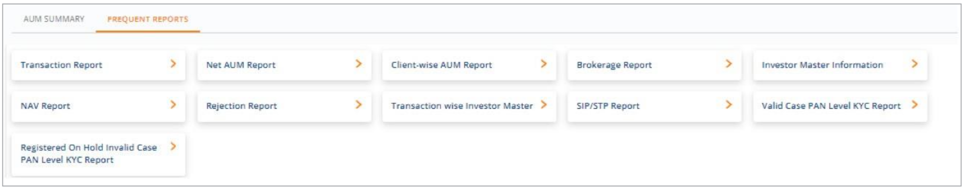

इन्वेस्टर टैब के अंतर्गत PAN/ फोलियो नंबर /मोबाइल / ईमेल का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं:

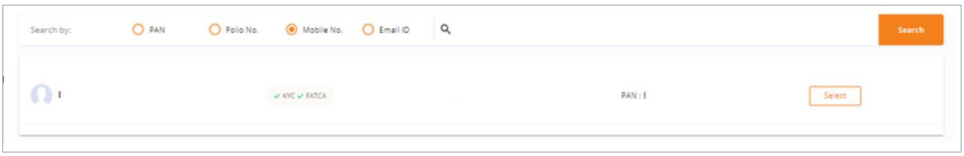

डिस्ट्रीब्यूटर इनिशिएटेड ट्रांज़ैक्शन के प्रकार:

डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ओर से निम्नलिखित ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट कर सकता है जिसे निवेशक द्वारा अप्रूव किया जा सकता है:

- लम्पसम
- एडिशनल पर्चेज़
- रिडेम्पशन
- स्विच
- सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान
- सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान
- सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान
- SIP पॉज़ / कैंसलेशन

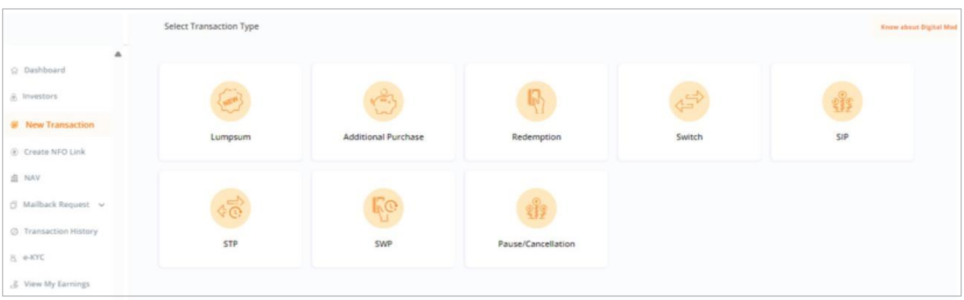

NFO लिंक:

जब भी कोई नया फंड ऑफर आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास लॉग इन सेक्शन का इस्तेमाल करके हार्ड कोडेड ARN वाले अपने निवेशकों के लिए एक लिंक ट्रिगर करने का विकल्प होता है। यह विकल्प क्रिएट NFO लिंक सेक्शन में उपलब्ध है।

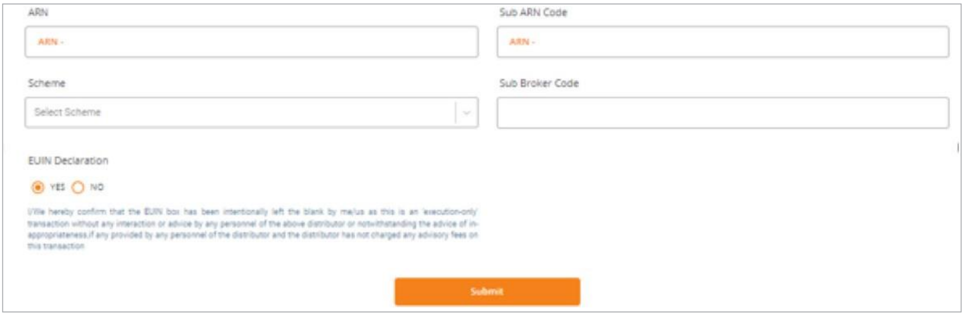

NAV:

NAV सेक्शन में विभिन्न समय अवधियों में सभी स्कीम्स के लिए स्कीम लेवल NAV आसानी से उपलब्ध है।

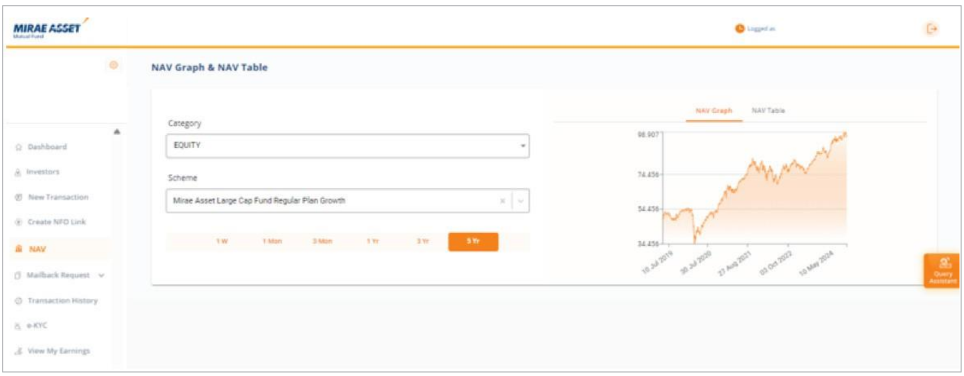

मेल बैक रिपोर्ट्स:

डिस्ट्रीब्यूटर Mail back Request → Myself section से DBF / Excel फॉर्मेट में निम्नलिखित रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। रिपोर्ट के टाइम पीरियड को कस्टमाइज किया जा सकता है। रिपोर्ट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल के रूप में भेजी जाती है।

- ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट
- नेट AUM रिपोर्ट
- क्लाइंट-वाइज AUM रिपोर्ट
- ब्रोकरेज रिपोर्ट
- इन्वेस्टर मास्टर इन्फॉर्मेशन
- NAV रिपोर्ट
- रिजेक्शन रिपोर्ट
- ट्रांज़ैक्शन वाइज इन्वेस्टर मास्टर
- SIP / STP रिपोर्ट
- वैलिड केस PAN लेवल KYC रिपोर्ट
- रजिस्टर्ड ऑन होल्ड इनवेलिड केस PAN लेवल KYC रिपोर्ट

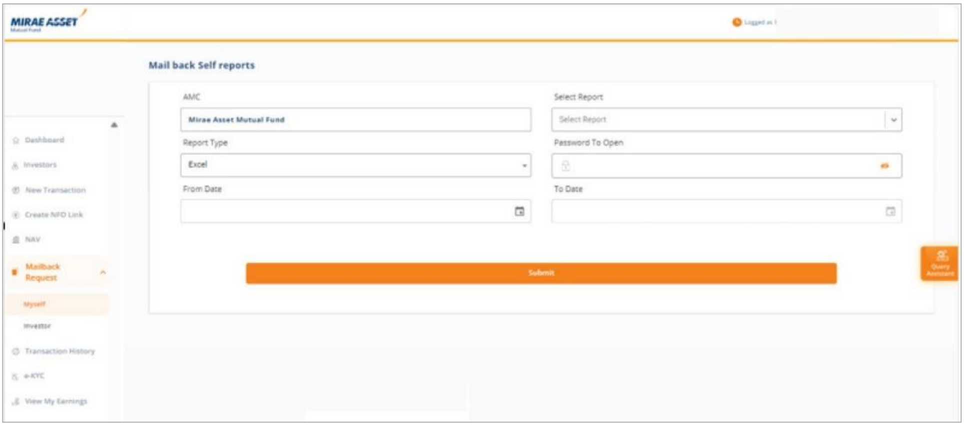

मेल बैक रिक्वेस्ट्स – निवेशक:

जनरेट किए जाने वाले, निवेशक को ईमेल किए जाने वाले विभिन्न स्टेटमेंट इस प्रकार हैं:

- मेल बैक SOA
- कंसॉलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट
- ELSS स्टेटमेंट
- कैपिटल गेन्स स्टेटमेंटt
- ग्रैंड फादरिंग अकाउंट स्टेटमेंट
- नेट वर्थ रिपोर्ट

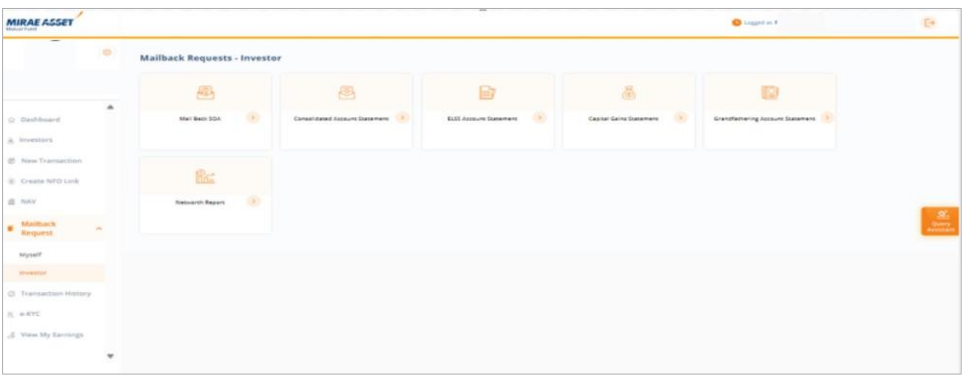

ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री:

ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री टैब हाल ही में इन्वेस्टर लेवल पर किए गए ट्रांज़ैक्शन की लिस्ट दिखाता है। यह सेक्शन यह भी बताता है कि ट्रांज़ैक्शन सफल रहा या नहीं। इस सेक्शन से एक नया ट्रांज़ैक्शन शुरू करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

E-KYC सेक्शन:

डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ओर से E-KYC शुरू कर सकता है। ऐसा करने पर, निवेशक की ईमेल आईडी पर KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। निवेशक को संबंधित डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे और वीडियो KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

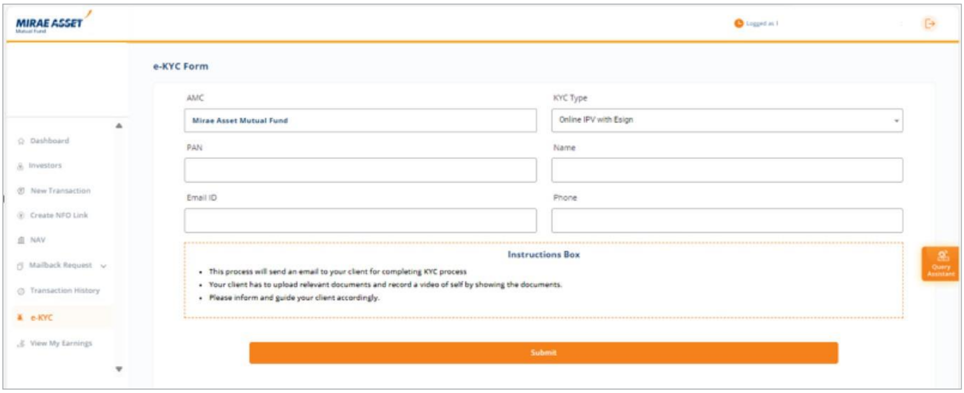

डिस्ट्रीब्यूटर-KYC विकल्प के अंतर्गत E-KYC:

निवेशक के पास मास्क्ड डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड तैयार होना चाहिए, यह आधार बेस्ड KYC है।

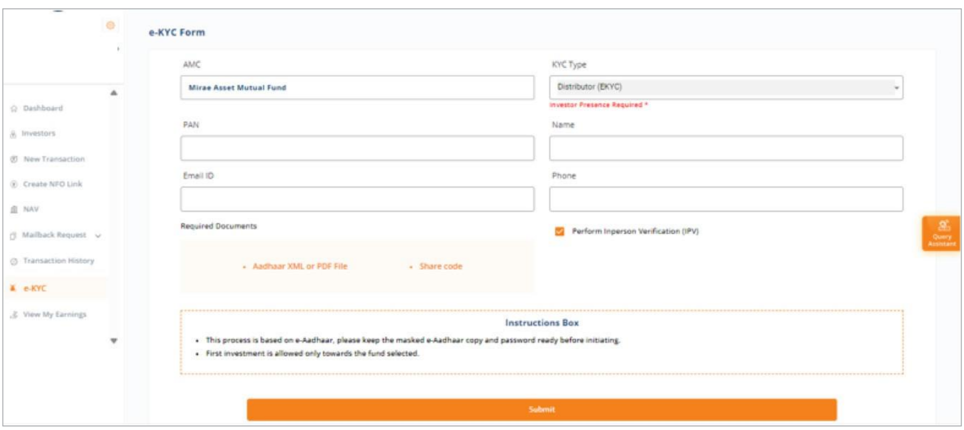

व्यू माय अर्निंग्स:

यह सेक्शन पिछले 6 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कमाए गए ब्रोकरेज की डिटेल्स बताता है।

DIT मॉड्यूल में एग्ज़िस्टिंग वन टाइम मैंडेट (OTM) के साथ SIP रजिस्ट्रेशन

नया ट्रांज़ैक्शन > इन्वेस्टर सर्च करें > SIP > एग्ज़िस्टिंग OTM

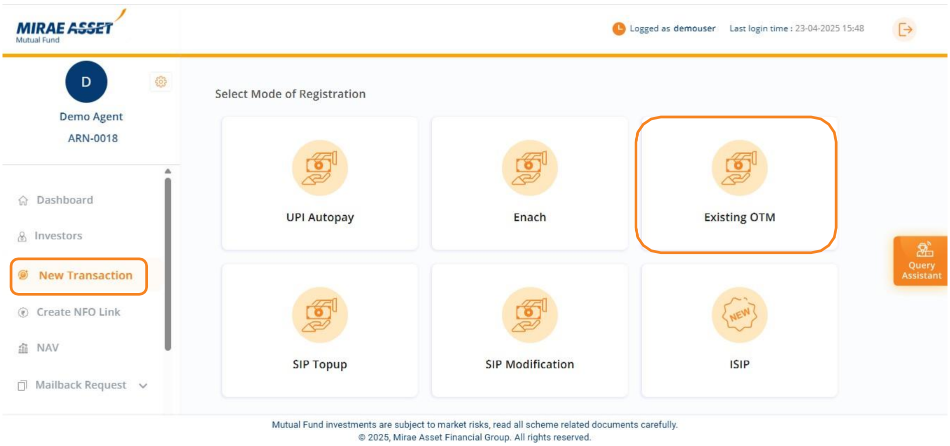

दी गई लिस्ट से रजिस्टर्ड OTM चुनें और आगे बढ़ें।

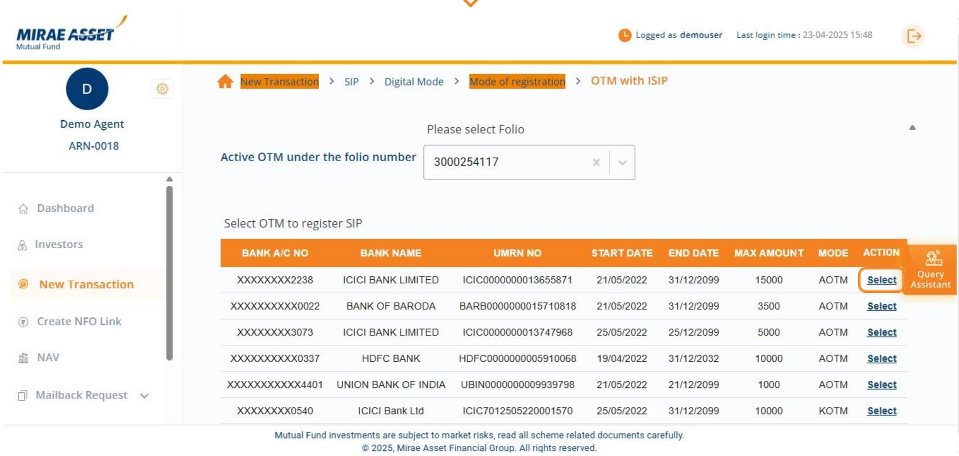

BANK A/C NO	BANK NAME	UMRN NO	START DATE	END DATE	MAX AMOUNT	MODE	ACTION
XXXXXXXX2238	ICICI BANK LIMITED	ICIC0000000013655871	21/05/2022	31/12/2099	15000	AOTM	Select
XXXXXXXXXX0022	BANK OF BARODA	BARB0000000015710818	21/05/2022	31/12/2099	3500	AOTM	Select
XXXXXXXX3073	ICICI BANK LIMITED	ICIC0000000013747968	25/05/2022	25/12/2099	5000	AOTM	Select
XXXXXXXXXX0337	HDFC BANK	HDFC0000000005910068	19/04/2022	31/12/2032	10000	AOTM	Select
XXXXXXXXXXX4401	UNION BANK OF INDIA	UBIN0000000009939798	21/05/2022	21/12/2099	1000	AOTM	Select
XXXXXXXX0540	ICICI Bank Ltd	ICIC7012505220001570	25/05/2022	31/12/2099	10000	KOTM	Select

डिस्ट्रीब्यूटर को आवश्यक SIP रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे कि स्कीम चुननी होगी और ARN और EUIN डिटेल्स, फ्रीक्वेंसी, इंस्टॉलमेंट की संख्या, SIP डेट, SIP स्टार्ट और एन्ड डेट, इंस्टॉलमेंट की राशि आदि डालने होंगे और सबमिट पर क्लिक करना होगा।

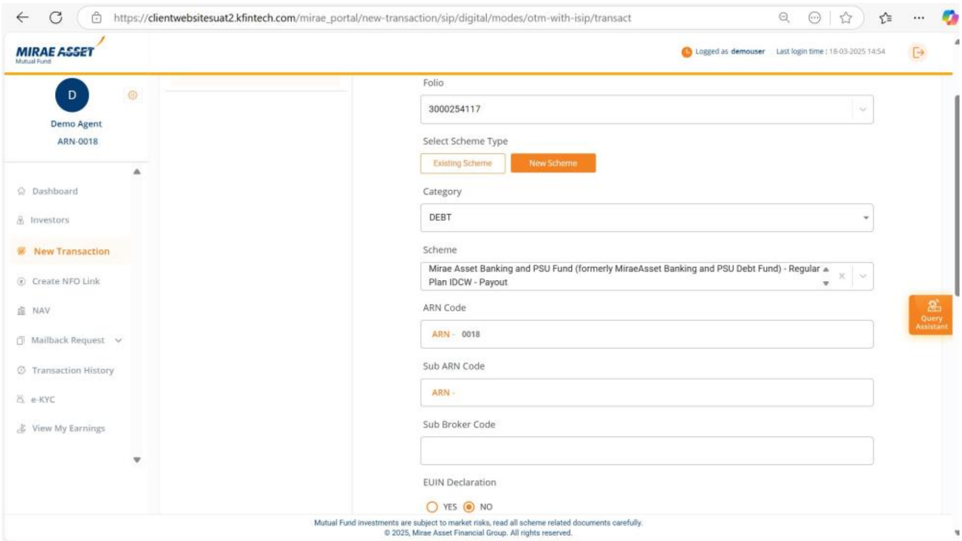

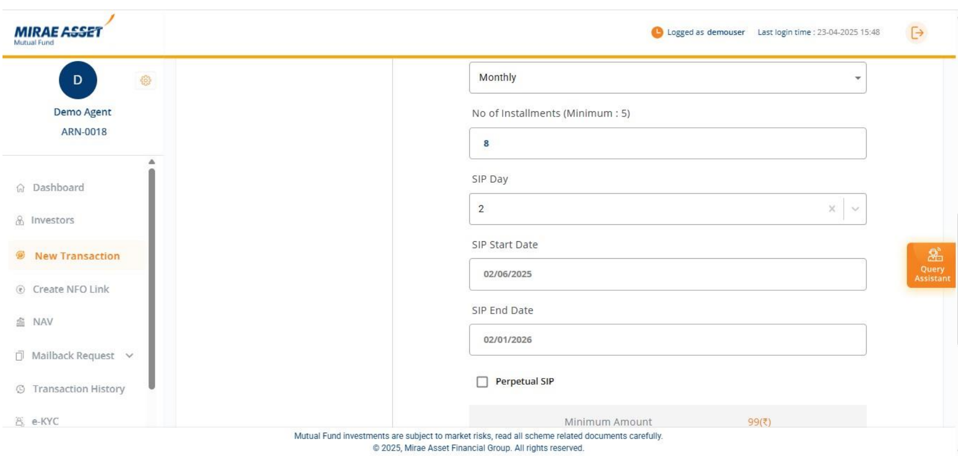

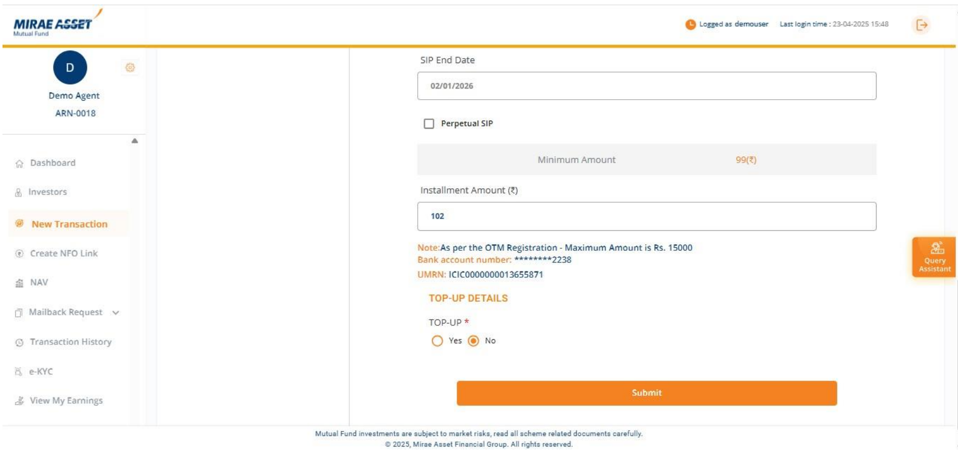

डिस्ट्रीब्यूशन से सबमिशन के बाद निवेशक डिटेल्स को रिव्यु कर सकेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे

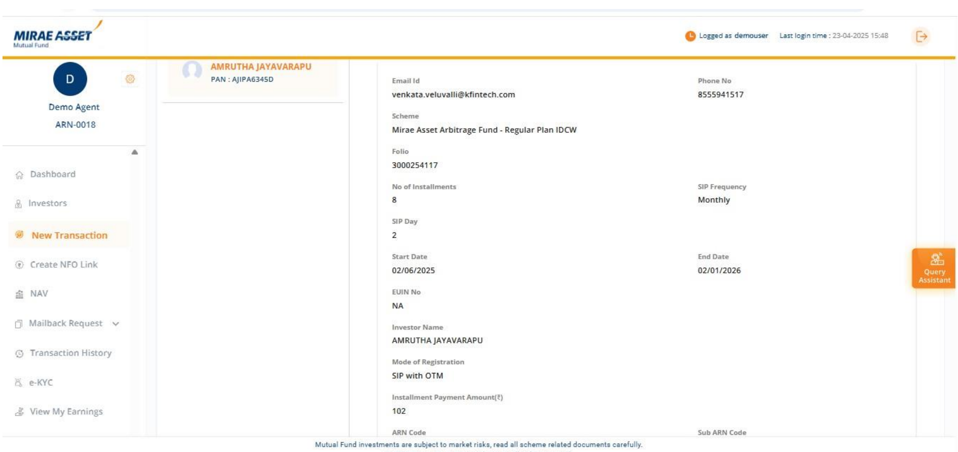

रजिस्ट्रेशन सबमिट होने के बाद निवेशक को लिंक के साथ SIP रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करने के लिए एक ईमेल मिलेगा

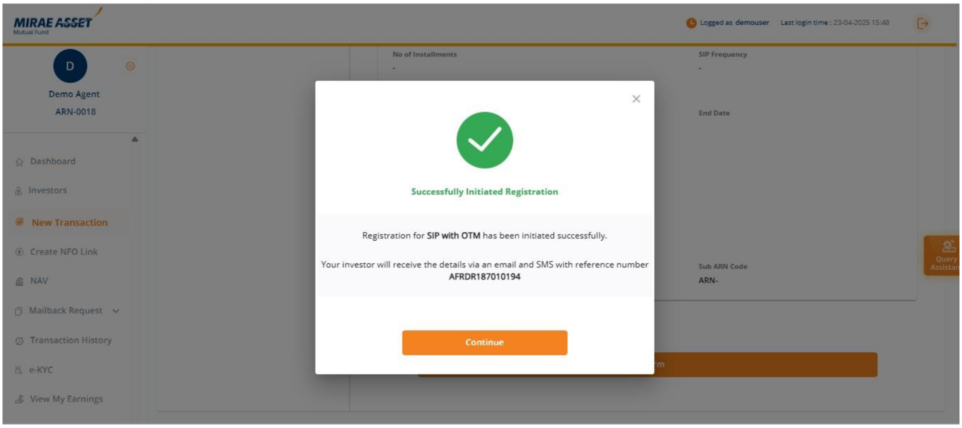

निवेशक की जर्नी

निवेशक को लिंक के साथ SIP रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करने के लिए एक ईमेल मिलेगा

MA

Tue 18-03-2025 15:21

Mirae Asset Mutual Fund <OnlineTrxn.miraeasset.kfpl@kfintech.com>

Authorisation required for Distributor Initiated OTM SIP Transaction - Ref BPRDD186995806

To Veluvalli Venkata

If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.
Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

Dear **Jayavarapu Amrutha ,**

Greetings from Mirae Asset Mutual Fund !!

Your Financial Advisor Demo Agent has recommended you to invest Rs. 101.00 in Mirae Asset Banking and PSU Fund (formerly MiraeAsset Banking and PSU Debt Fund) / Regular Plan IDCW / Payout, through the Systematic Investment Plan (SIP).

We request you to check the details and the credentials of the SIP transaction so generated for you, and kindly proceed by clicking on the below link.Upon clicking the link, you will receive an OTP on your registered Email ID / Mob ile number, which will authenticate the link to proceed further.

Confirm SIP ⇦ Click on **Confirm SIP**

For more detailed information like features, product label, risk factors, etc. please visit the following link on the AMC website:https://www.miraeassetmf.co.in/funds .We also request you to go through the Scheme Information Document of respective schemes and consult your financial advisor before making the investment decision.

This is an auto generated email, please do not reply. For any further assistance, call us: Toll-free:1800-2090-777 or email to: customercare@miraeasset.com

We assure you of our best services at all times.

निवेशक को डिटेल्स रिव्यु करनी होगी और OTP डालकर SIP रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करना होगा।

Transaction Type	SIP
Fund	Mirae Asset Mutual Fund
Folio No	3000254117
Scheme	Mirae Asset Banking and PSU Fund (formerly MiraeAsset Banking and PSU Debt Fund) Regular Plan IDCW Payout
PAN	AJIPA6345D
Investor Name	Jayavarapu Amrutha
Mobile	8555941517
Email	venkata.veluvalli@kfintech.com
SIP Start Date	04/04/2025
SIP End Date	04/01/2026

https://clientwebsitesuat3.kfintech.com/DITMiraeUAT/OnlinePurchase/PurchaseConfirmation_RedSwitch.aspx

SIP End Date	04/01/2026
Frequency	Monthly
UMRN	BARB0000000015710818
ARN Code	ARN-0018
EUIN Number	
EUIN Declaration	Yes
SIP Amount	101
Mode Of registration	OTM
Enter OTP (OTP has been sent to your registered Email ID / Mobile number)	OTP यहाँ डालें

Confirm

डिटेल्स कन्फर्म करने के बाद निवेशक को ईमेल और SMS के साथ UMRN, SIP रेफरेंस नंबर आदि जैसी डिटेल्स वाला कन्फर्मेशन पेज मिलेगा।

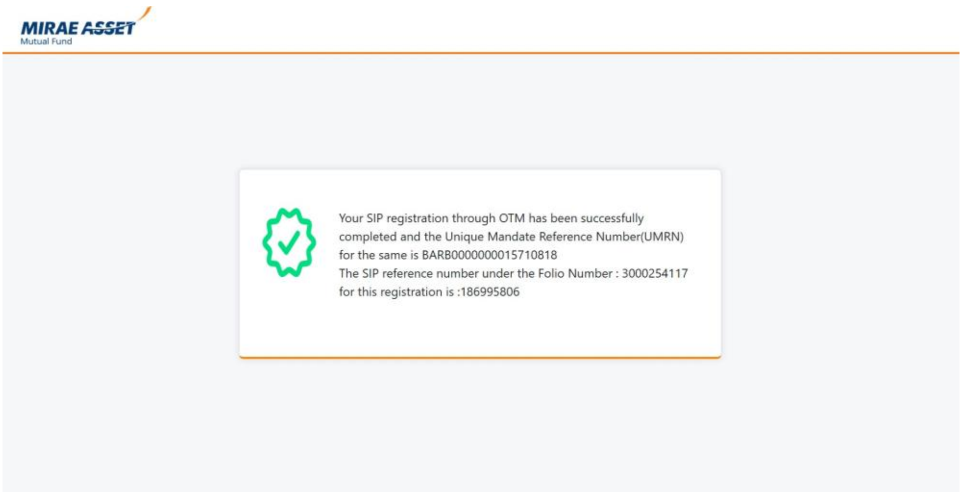

AMC के DIT पोर्टल के ज़रिए SIP मॉडिफिकेशन ऑप्शन की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

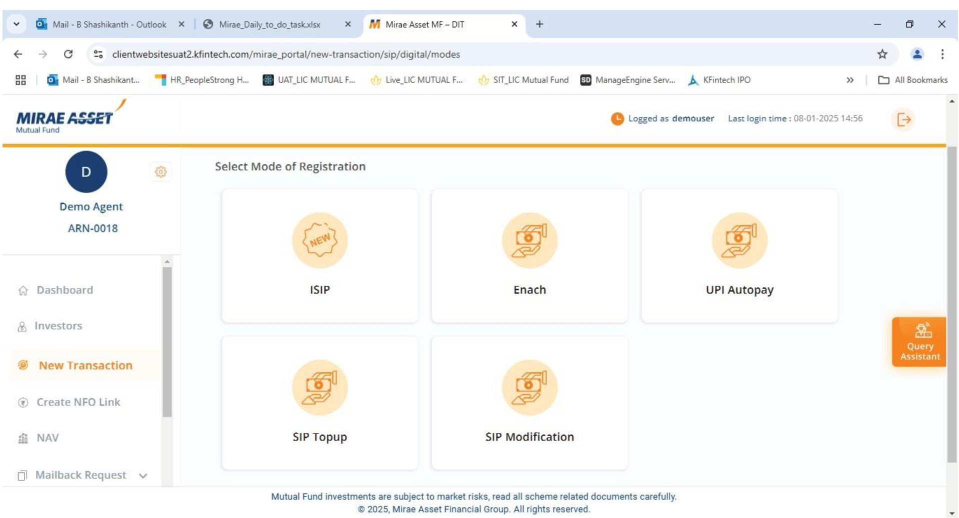

MIRAE ASSET
Mutual Fund

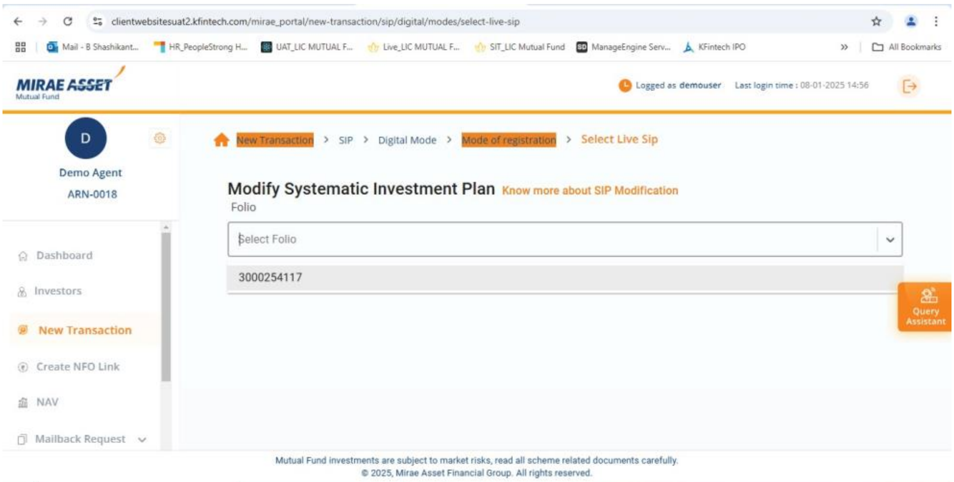

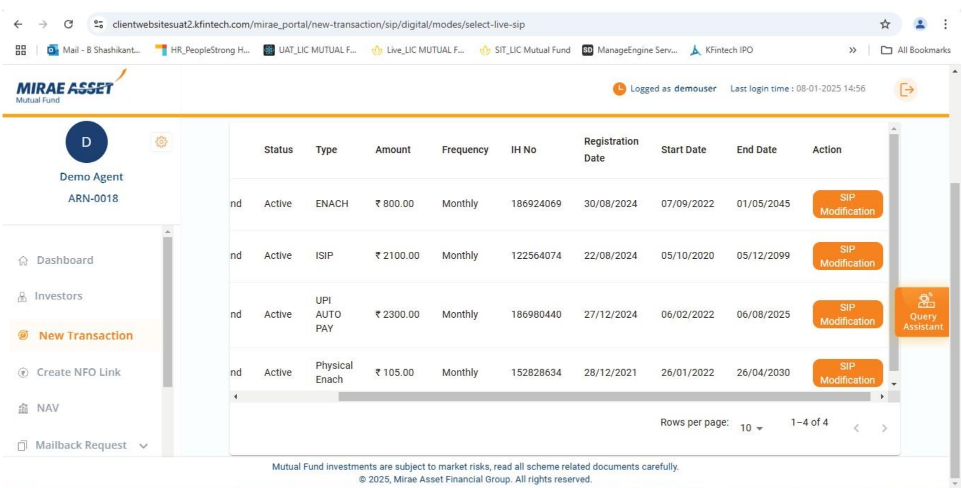

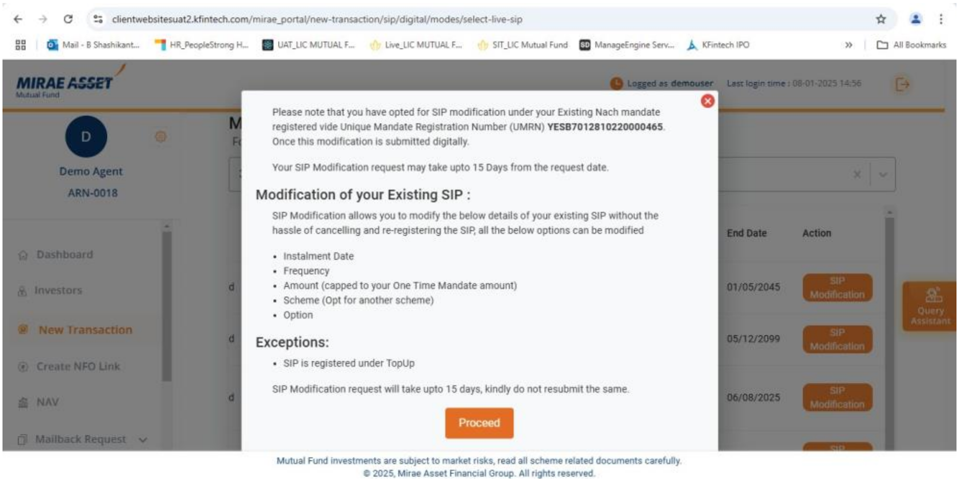
clientwebsitesuat2.kfintech.com/mirae_portal/new-transaction/sip/digital/modes/select-live-sip
Please note that you have opted for SIP modification under your Existing Nach mandate registered vide Unique Mandate Registration Number (UMRN) YESB7012810220000465. Once this modification is submitted digitally.
Your SIP Modification request may take upto 15 Days from the request date.
Modification of your Existing SIP :
SIP Modification allows you to modify the below details of your existing SIP without the hassle of cancelling and re-registering the SIP, all the below options can be modified
• Instalment Date
• Frequency
• Amount (capped to your One Time Mandate amount)
• Scheme (Opt for another scheme)
• Option
Exceptions:
• SIP is registered under TopUp
SIP Modification request will take upto 15 days, kindly do not resubmit the same.
Proceed
Demo Agent
ARN-0018
Dashboard
Investors
New Transaction
Create NFO Link
NAV
Mailback Request
End Date
Action
01/05/2045
05/12/2099
06/08/2025
SIP Modification
Logged as demouser
Last login time : 08-01-2025 14:56
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
© 2025, Mirae Asset Financial Group. All rights reserved.

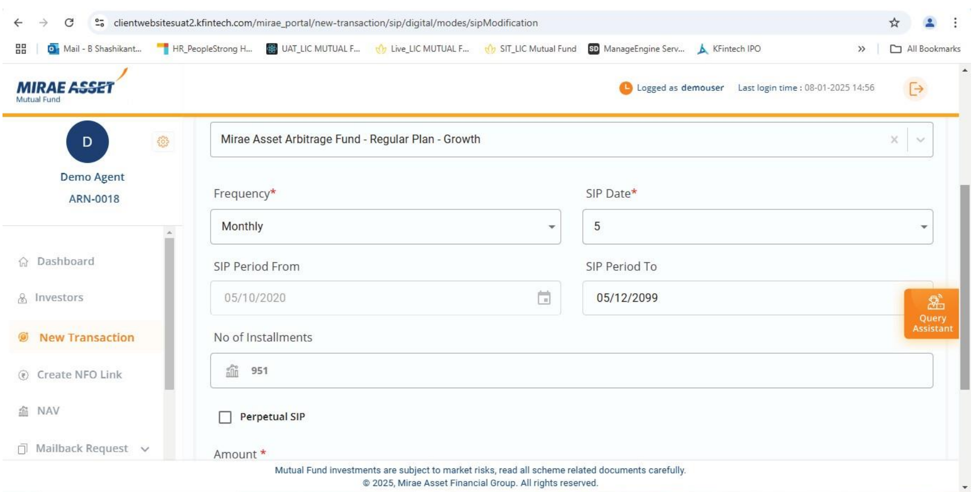
clientwebsitesuat2.kfintech.com/mirae_portal/new-transaction/sip/digital/modes/sipModification
Logged as demouser
Last login time : 08-01-2025 14:56
Demo Agent
ARN-0018
Dashboard
Investors
New Transaction
Create NFO Link
NAV
Mailback Request
Mirae Asset Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth
Frequency*
Monthly
SIP Date*
5
SIP Period From
05/10/2020
SIP Period To
05/12/2099
No of Installments
951
Perpetual SIP
Amount *
Query Assistant
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
© 2025, Mirae Asset Financial Group. All rights reserved.

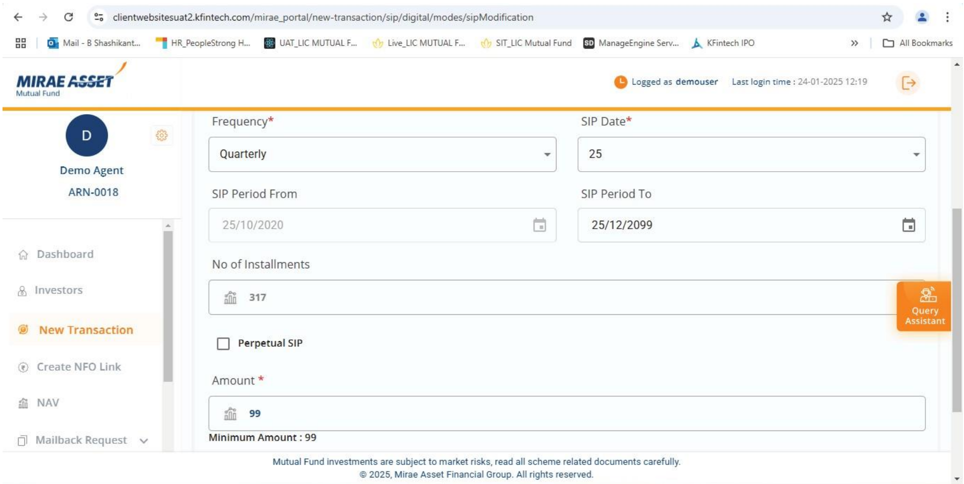
clientwebsitesuat2.kfintech.com/mirae_portal/new-transaction/sip/digital/modes/sipModification
MIRAE ASSET
Mutual Fund
Logged as demouser
Last login time : 24-01-2025 12:19
D
Demo Agent
ARN-0018
Dashboard
Investors
New Transaction
Create NFO Link
NAV
Mailback Request
Frequency*
Quarterly
SIP Date*
25
SIP Period From
25/10/2020
SIP Period To
25/12/2099
No of Installments
317
Query Assistant
Perpetual SIP
Amount *
99
Minimum Amount : 99
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
© 2025, Mirae Asset Financial Group. All rights reserved.

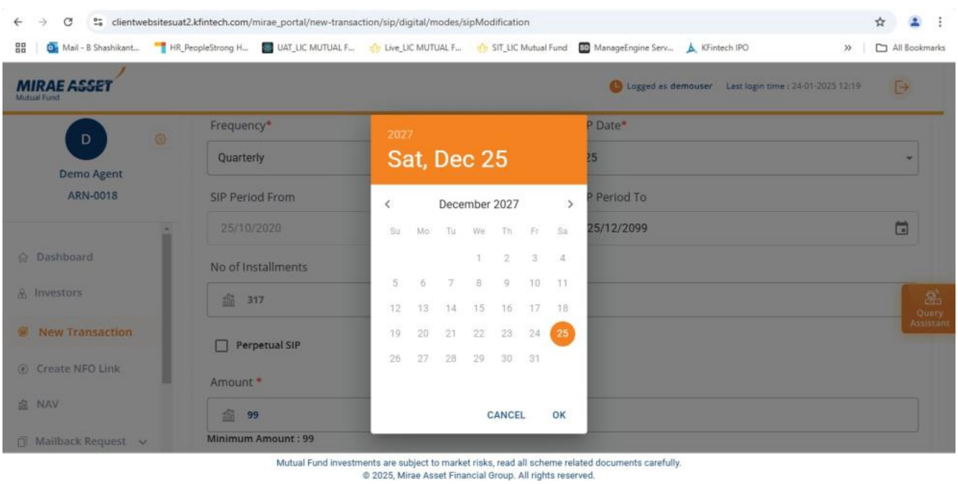
clientwebsitesuat2.kfintech.com/mirae_portal/new-transaction/sip/digital/modes/sipModification
2027
Sat, Dec 25
December 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
CANCEL
OK
Frequency*
Quarterly
SIP Period From
25/10/2020
25/12/2099
No of Installments
317
Perpetual SIP
Amount *
99
Minimum Amount : 99
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
© 2025, Mirae Asset Financial Group. All rights reserved.

![MIRAE ASSET Mutual Fund]

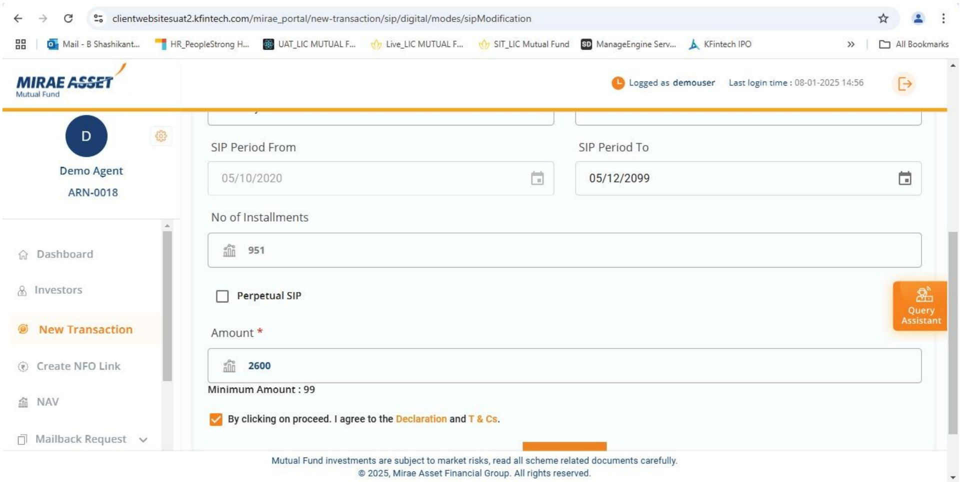

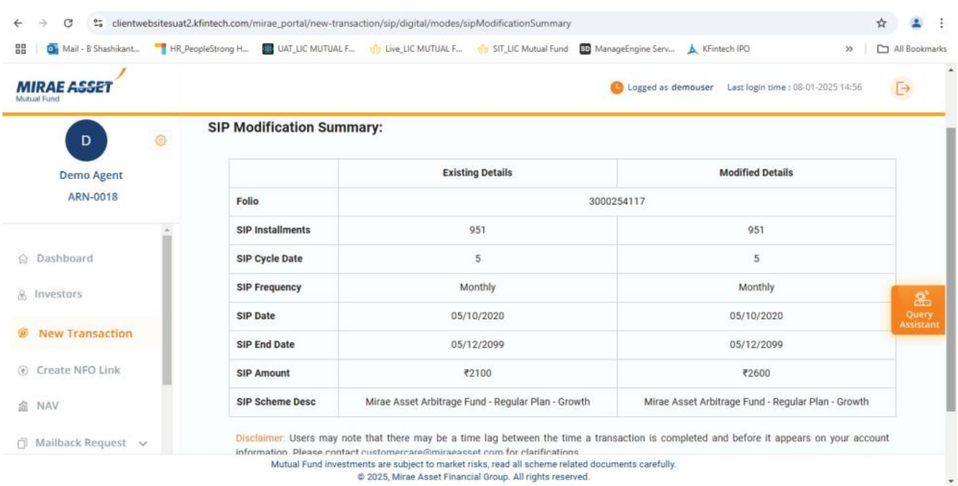

	Existing Details	Modified Details
Folio	3000254117	
SIP Installments	951	951
SIP Cycle Date	5	5
SIP Frequency	Monthly	Monthly
SIP Date	05/10/2020	05/10/2020
SIP End Date	05/12/2099	05/12/2099
SIP Amount	₹2100	₹2600
SIP Scheme Desc	Mirae Asset Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth	Mirae Asset Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth

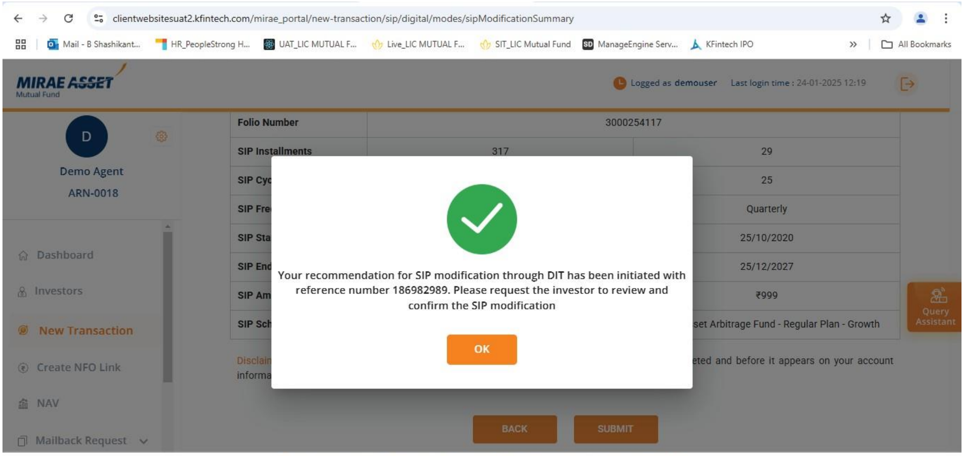

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

© 2025, Mirae Asset Financial Group. All rights reserved.

डिस्ट्रीब्यूटर को मेल जिसमें बताया गया है कि निवेशक को लिंक के साथ मेल भेज दिया गया है।

Distributor Initiated SIP Modification Registration - Ref AFRGG186983239

Mirae Asset Mutual Fund<OnlineTrxn.miraeasset.kfpl@kfintech.com>
To: Popuri Sindhu
Fri 1/24/2025 6:06 PM

MIRAE ASSET
Building on principles

Dear Partner,

Greetings from Mirae Asset Mutual Fund!!

We thank you for recommending SIP modification request to your esteemed investor Jayavarapu Amrutha.

We have sent an email requesting the investor to review and confirm the SIP modification request. As such, we also request you to kindly check with the investor on the receipt of the link.

Should you require any other assistance or clarification, you may please get in touch with your M utual Fund Distributor or Registered Investment Advisor or write to us at customercare@miraeasset.com or reach out to our nearest Investor Service Centre or call us at 1800 2090 777 between 9:00 am to 6:00 pm, Monday to Saturday except on non-business day.

This being an auto generated e-mail, any reply to this email may not be received by us to service your request or enquiry.Kindly do not reply to this mail.
We assure you of our best services at all times.

रिक्वेस्ट को ऑथराइज करने के लिए लिंक सहित निवेशक को मेल:

Authorisation required for Distributor Initiated Enach SIP Modification Registration - Ref AFRDR186980649

Dear **Jayavarapu Amrutha ,**

Greetings from Mirae Asset Mutual Fund !!

Your Financial Advisor Demo Agent has recommended SIP Modification to your Existing SIP For the RefNo-AFRDR186980649

SIP Modification Details		
Folo Number	xxxxxxxx4117	
Requested Date	08/01/2025	
	Existing Details	Change Details requested
In House No	186924069	186924069
SIP Cycle Date	07	06
SIP Frequency	Monthly	Monthly
SIP Installments	273	68
SIP Start Date	07/09/2022	06/09/2022
SIP End Date	01/05/2045	06/04/2028
SIP Amount	₹ 800.00	₹ 2200.00
SIP Scheme Name	Mirae Asset Arbitrage Fund - Regular Plan - Reinvestment	Mirae Asset Arbitrage Fund - Regular Plan - Reinvestment

We request you to check the details and the credentials of the SIP Modification registration so generated for you, and kindly proceed by clicking on the below link.Upon clicking the link, you will receive an OTP on your registered Email ID / Mobile number, which will authenticate the link to proceed further.

Confirm SIP Modification

लिंक रीडायरेक्ट करेगा और ट्रांज़ैक्शन को वेरीफाई और को ऑथराइज के लिए नीचे दिया गया वेब पेज खुल जाएगा:

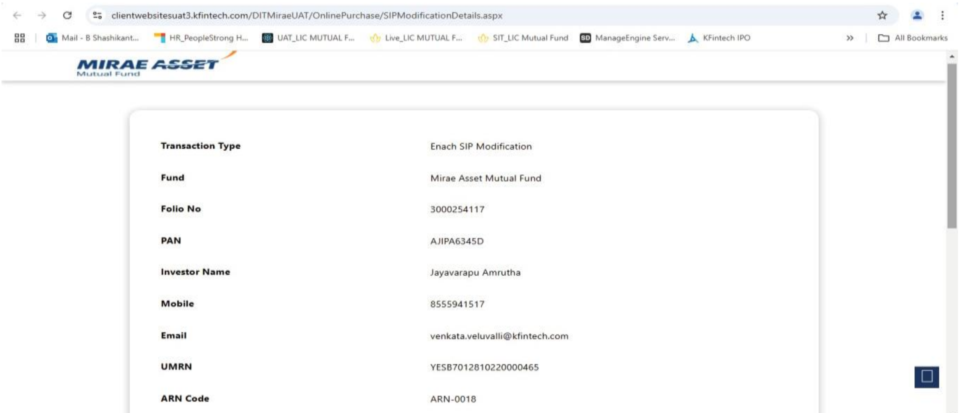

Transaction Type	Enach SIP Modification
Fund	Mirae Asset Mutual Fund
Folio No	3000254117
PAN	AJIPA6345D
Investor Name	Jayavarapu Amrutha
Mobile	8555941517
Email	venkata.veluvalli@kfintech.com
UMRN	YESB7012810220000465
ARN Code	ARN-0018

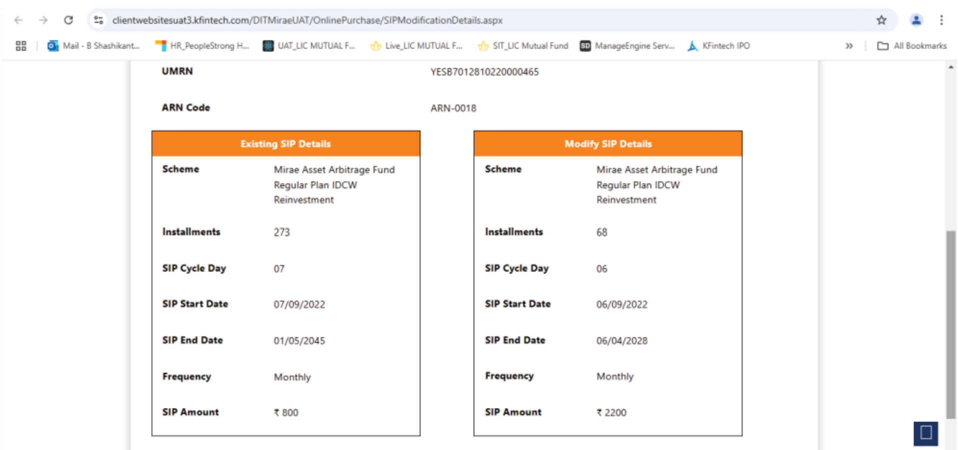

UMRN	YESB7012810220000465
ARN Code	ARN-0018

Existing SIP Details	
Scheme	Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Plan IDCW Reinvestment
Installments	273
SIP Cycle Day	07
SIP Start Date	07/09/2022
SIP End Date	01/05/2045
Frequency	Monthly
SIP Amount	₹ 800

Modify SIP Details	
Scheme	Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Plan IDCW Reinvestment
Installments	68
SIP Cycle Day	06
SIP Start Date	06/09/2022
SIP End Date	06/04/2028
Frequency	Monthly
SIP Amount	₹ 2200

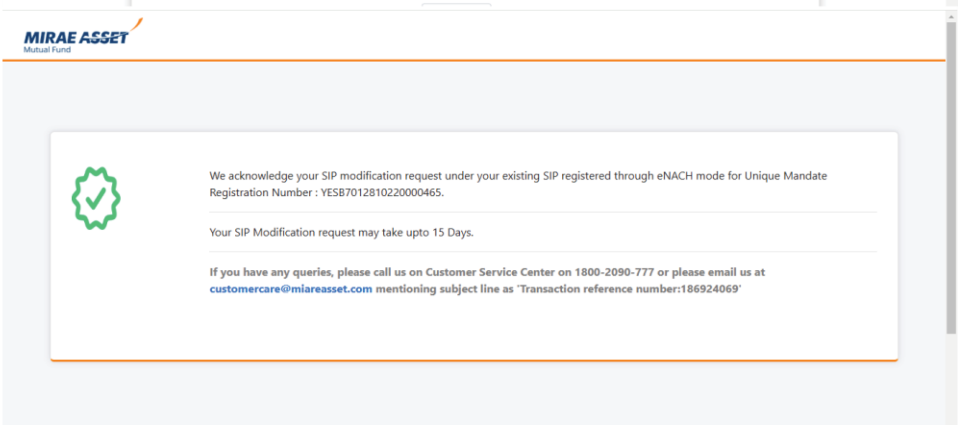

We acknowledge your SIP modification request under your existing SIP registered through eNACH mode for Unique Mandate Registration Number : YESB7012810220000465.

Your SIP Modification request may take upto 15 Days.

If you have any queries, please call us on Customer Service Center on 1800-2090-777 or please email us at customercare@miraeasset.com mentioning subject line as 'Transaction reference number:186924069'

MIRAE ASSET
Mutual Fund

डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनल मेल कन्फर्मेशन:

Dear Partner,

Greetings from Mirae Asset Mutual Fund!!

This is with reference to your SIP Modification done to the Investor **Jayavarapu Amrutha** online on 24/01/2025 3:26:50 PM recorded under the Folio-3000254117
Please find Below details:

SIP Modification Details		
Folio Number	3000254117	
Request Date	24/01/2025 3:26:50 PM	
URN	MAAF4074-A63027	
	Existing Details	New Details
In house / Reference No	122564074	122564074
SIP Scheme Name	Mirae Asset Arbitrage Fund-Regular Plan - Growth	Mirae Asset Arbitrage Fund-Regular Plan - Growth
SIP Cycle Date	25	20
SIP Frequency	Quarterly	Quaterly
SIP Start Date	25/10/2020	20/10/2020

Mirae Asset MutualFund: Enach SIP Modification Acknowledgement- AFRDR186980649

SIP Cycle Date	05	06
SIP Frequency	Monthly	Monthly
SIP Start Date	05/09/2022	06/09/2022
SIP End Date	05/06/2026	06/04/2028
SIP Amount	₹ 86000.00	₹ 2200.00

Your request is under process and will soon be registered within 15 days, subject to standard process validations.

We thank you for your continued patronage and once again assure you of our best services at all times.

Should you require any other assistance or clarification, you may please get in touch with your Mutual Fund Distributor or Registered Investment Advisor or write to us at customercare@miraeasset.com or reach out to our nearest Investor Service Centre or call us at 1800 2090 777 between 9:00 am to 6:00 pm, Monday to Saturday except on non-business day.

With Best Regards,

Team-Investor Relations
Mirae Asset Mutual Fund

निवेशक को फाइनल मेल कन्फर्मेशन।

Mirae Asset MutualFund: Enach SIP Modification Acknowledgement- AFRDR186980649

Dear Investor,

Greetings from Mirae Asset Mutual Fund!!

At the outset we thank you for choosing to invest with Mirae Asset Mutual Fund. Please treat this as an acknowledge towards your request SIP Modification submitted for the following

SIP Modification Details		
Folio Number	3000254117	
Request Date	08-01-2025 16:00:39	
UMRN	YESB7012810220000465	
	Existing Details	New Details
In house / Reference No	186924069	186924069
SIP Scheme Name	Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Plan IDCW Reinvestment	Mirae Asset Arbitrage Fund Regular Plan IDCW Reinvestment
SIP Cycle Date	05	06

Mirae Asset MutualFund: Enach SIP Modification Acknowledgement- AFRDR186980649

SIP Cycle Date	05	06
SIP Frequency	Monthly	Monthly
SIP Start Date	05/09/2022	06/09/2022
SIP End Date	05/06/2026	06/04/2028
SIP Amount	₹ 86000.00	₹ 2200.00

Your request is under process and will soon be registered within 15 days, subject to standard process validations.

We thank you for your continued patronage and once again assure you of our best services at all times.

Should you require any other assistance or clarification, you may please get in touch with your Mutual Fund Distributor or Registered Investment Advisor or write to us at customercare@miraeasset.com or reach out to our nearest Investor Service Centre or call us at 1800 2090 777 between 9:00 am to 6:00 pm, Monday to Saturday except on non-business day.

With Best Regards,

Team-Investor Relations
Mirae Asset Mutual Fund

इन्वेस्टर प्रोफाइल:

इस सेक्शन में शामिल हैं:

- इन्वेस्टर की डिटेल्स
- नॉमिनी की डिटेल्स
- बैंक डिटेल्स
- PAN/KYC डिटेल्स

इन्वेस्टर की डिटेल्स:

इस विकल्प का इस्तेमाल करके ईमेल/मोबाइल नंबर को मॉडिफाई किया जा सकता है।

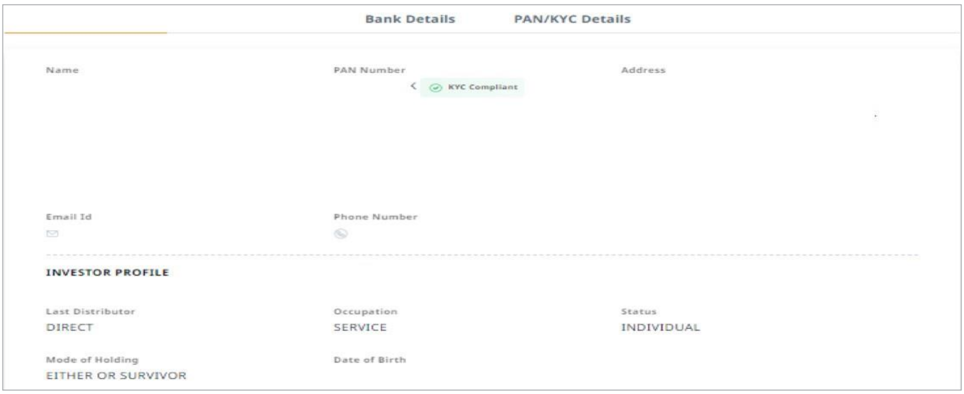

नॉमिनी की डिटेल्स:

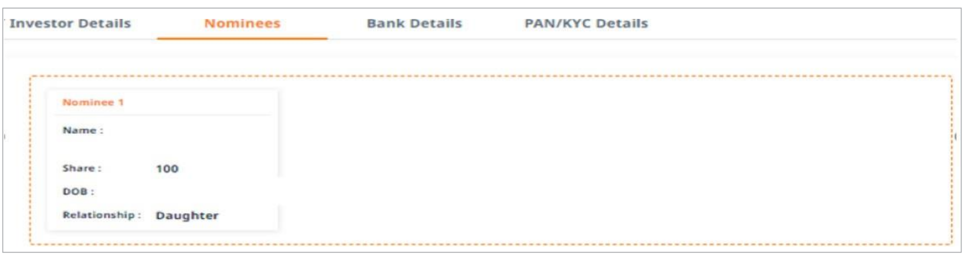

ऐड बैंक सेक्शन:

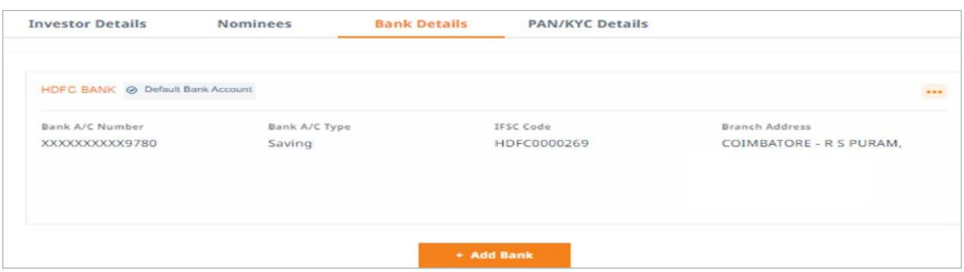

जॉइंट होल्डर्स सहित सभी आवेदकों के लिए मॉडिफिकेशन सेक्शन में KYC मॉडिफिकेशन की अनुमति है:

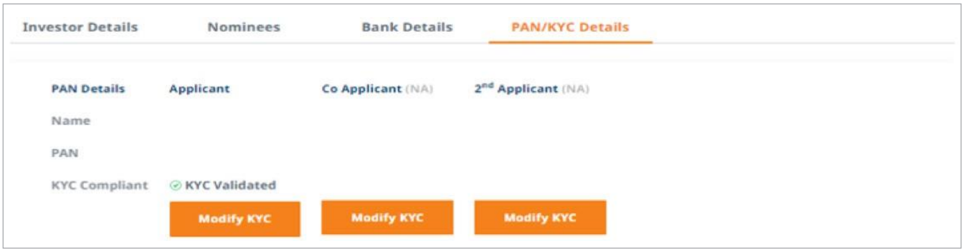

डैशबोर्ड व्यू:

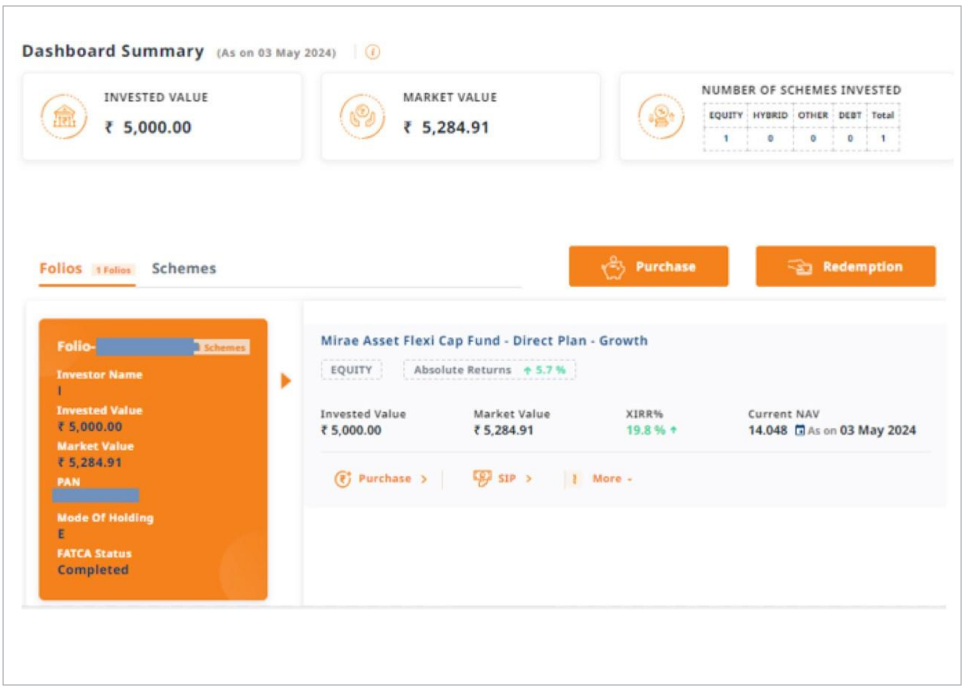

पोर्टफोलियो सेक्शन:

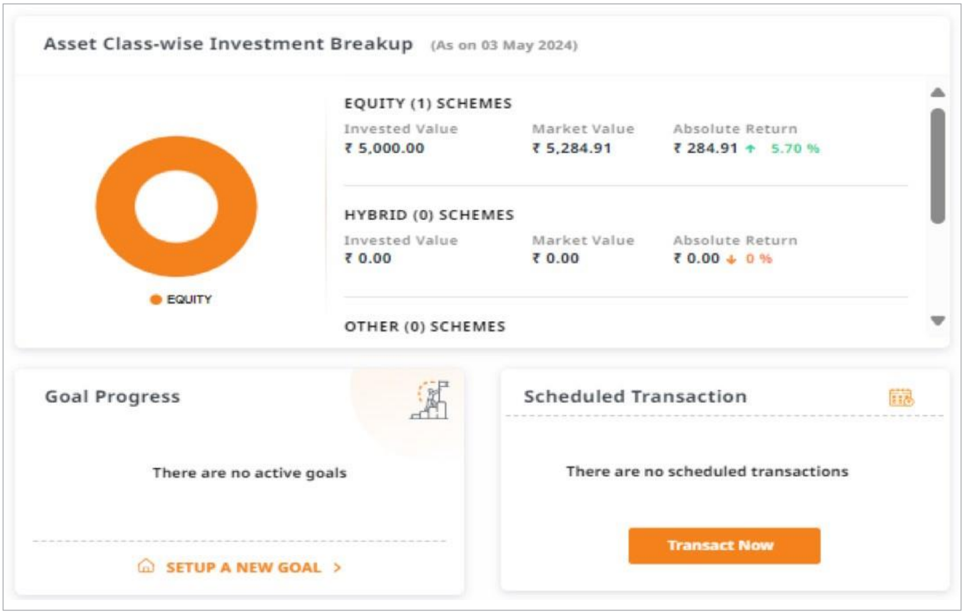
Asset Class-wise Investment Breakup (As on 03 May 2024)
EQUITY (1) SCHEMES
Invested Value
₹ 5,000.00
Market Value
₹ 5,284.91
Absolute Return
₹ 284.91 5.70 %
HYBRID (0) SCHEMES
Invested Value
₹ 0.00
Market Value
₹ 0.00
Absolute Return
₹ 0.00 0 %
OTHER (0) SCHEMES
EQUITY
Goal Progress
There are no active goals
SETUP A NEW GOAL >
Scheduled Transaction
There are no scheduled transactions
Transact Now

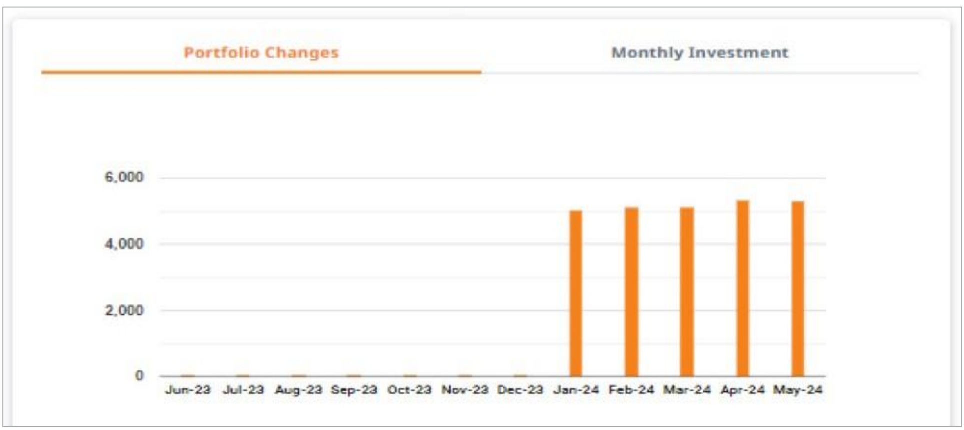
Portfolio Changes
Monthly Investment
6,000
4,000
2,000
0
Jun-23
Jul-23
Aug-23
Sep-23
Oct-23
Nov-23
Dec-23
Jan-24
Feb-24
Mar-24
Apr-24
May-24

ट्रांज़ैक्ट सेक्शन:

निवेशक के पास हमारे ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए सभी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने का विकल्प है। वे हमारे पोर्टल के ज़रिए e-Nach / UPI / ISIP भी रजिस्टर कर सकते हैं।

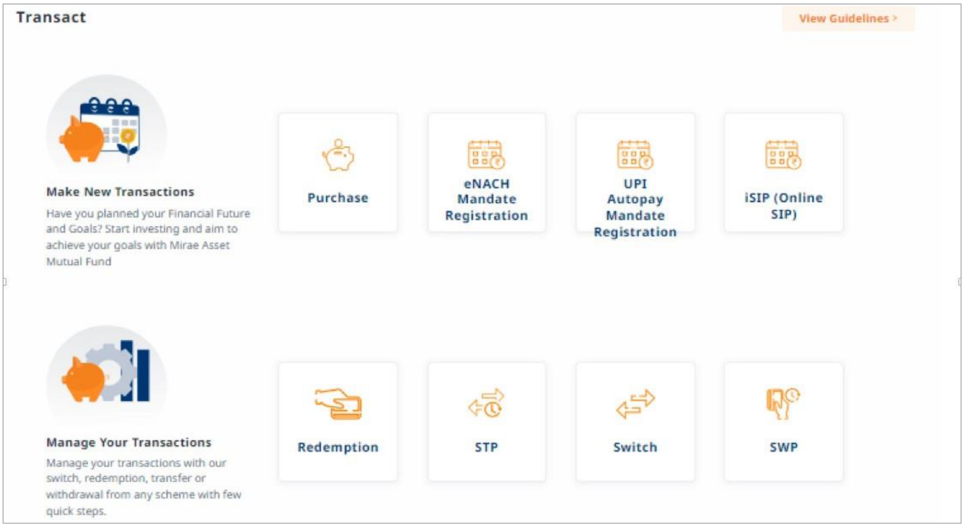

सिस्टेमेटिक ट्रांज़ैक्शन्स सेक्शन:

इस सेक्शन में एक्टिव / कैंसिल्ड / एक्सपायर्ड / टर्मिनेटेड / पॉज़्ड / पेंडिंग सिस्टेमेटिक ट्रांज़ैक्शन्स की डिटेल्स देख सकते हैं।

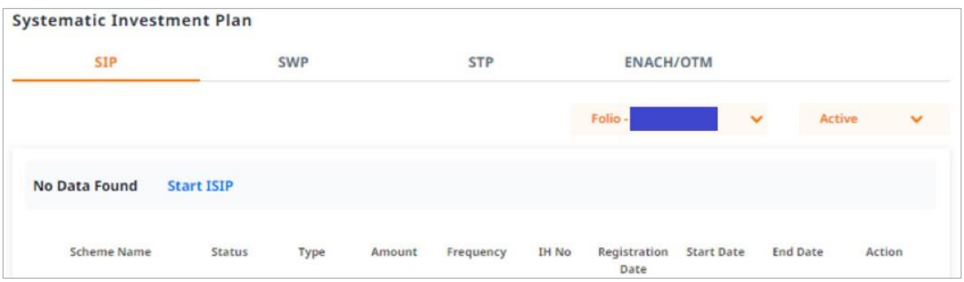

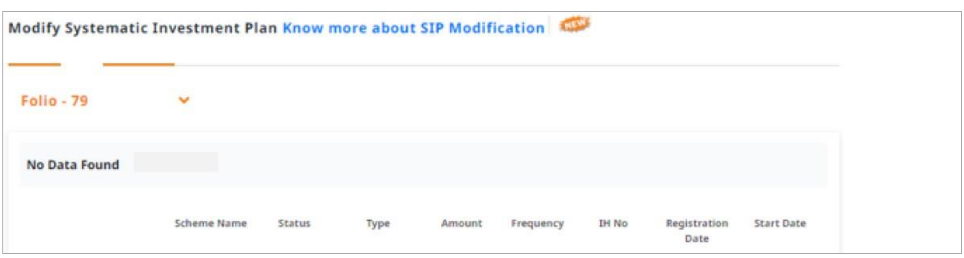

माय ट्रांज़ैक्शन्स सेक्शन:

पहले टैब में पिछले दस ट्रांज़ैक्शन्स उपलब्ध हैं।

इस सेक्शन से किसी ट्रांज़ैक्शन को बाद की तारीख के लिए भी शेड्यूल किया जा सकता है। पेंडिंग फॉर एक्शन सेक्शन में सभी ट्रांज़ैक्शन्स पेंडिंग फीचर है।

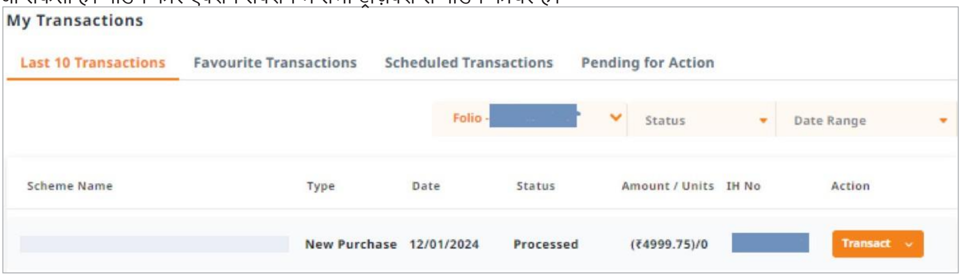

अकाउंट स्टेटमेंट:

निवेशक अपनी पसंद के मुताबिक फोलियो / PAN बेस्ड स्टेटमेंट जनरेट करने का विकल्प चुन सकता है।

वह पिछले फाइनेंशियल ईयर / करंट फाइनेंशियल ईयर / डेट रेंज / इन्सेप्शन से अब तक के लिए SOA और कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट भी जनरेट कर सकता है।

हम वीकली / मंथली / क्वार्टरली के अंतर्गत एक ऑटो शेड्यूलिंग विकल्प भी प्रदान करते हैं।

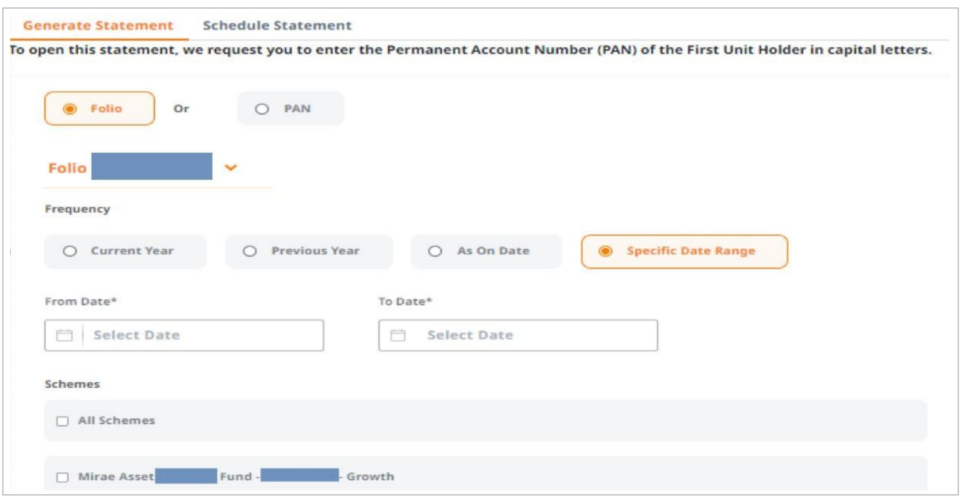

मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा - इन्वेस्टर्स - व्हाट्सएप और चैटबॉट सुविधा

MIRAE ASSET Mutual Fund

मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा:

निवेशकों को अपने मोबाइल फोन पर iOS App Store या Android Google Play Store से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा।

- पोर्टफोलियो वैल्यूएशन (फोलियो लेवल और स्कीम लेवल) - वर्तमान वैल्यूज सहित म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का व्यापक ओवरव्यू प्रदान करता है।
- ट्रांज़ैक्शन स्टेटस: म्यूचुअल फंड ट्रांज़ैक्शन स्टेटस चेक करने और हाल ही के ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करने में मदद करता है।
- ट्रांज़ैक्ट: पर्चेज़, एडिशनल पर्चेज़ करें, मौजूदा मैंडेट (eNACH) और UPI ऑटो पे का इस्तेमाल करके इंटरनेट SIP (iSIP)/ SIP रजिस्टर करें, STP/SWP, स्विच करें, हमारे मिराए एसेट म्यूचुअल फंड की ओपन-एंडेड स्कीम्स में रिडीम करें।
- अकाउंट स्टेटमेंट: रिक्वेस्ट की गई अवधि /फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स दर्शाने वाला अकाउंट स्टेटमेंट और कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट।
- नॉलेज सेंटर : नॉलेज सेंटर को एक्सप्लोर करें जिसमें शिक्षाप्रद और जानकारी देने वाले आर्टिकल्स, इन्वेस्टर एजुकेशन कॉन्टेंट और वीडियो शामिल हैं।
- ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स): अपने मौजूदा डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके ऐप के अंदर ही मिराए एसेट ETF स्कीम्स की यूनिट्स खरीदें/बेचें।
- इसके अलावा, मोबाइल ऐप में PAN, रजिस्टर्ड नॉमिनी, डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट का KYC स्टेटस चेक करने की सुविधा और कई अन्य एडिशनल सर्विसेज भी हैं।

Android और IOS एप्लीकेशन के लिए QR Code:

QR Code for iOS App Store link	QR Code for Android Playstore link

व्हाट्सएप और चैटबॉट सुविधा:

निवेशकों को अपने मोबाइल फोन पर “+91 88794 44000” नंबर सेव करना होगा और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर “Hi” भेजना होगा।

व्हाट्सएप सुविधा के अंतर्गत सर्विसेज:

- पोर्टफोलियो वैल्यूएशन (फोलियो लेवल और स्कीम लेवल) - वर्तमान वैल्यूज सहित म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का व्यापक ओवरव्यू प्रदान करता है।
- ट्रांज़ैक्शन स्टेटस: म्यूचुअल फंड ट्रांज़ैक्शन स्टेटस चेक करने और हाल ही के ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करने में मदद करता है।
- ट्रांज़ैक्ट: पर्चेज़, एडिशनल पर्चेज़ करें, मौजूदा मैंडेट (eNACH) और UPI ऑटो पे का इस्तेमाल करके इंटरनेट SIP (iSIP)/ SIP रजिस्टर करें, STP/SWP, स्विच करें, हमारे मिराए एसेट म्यूचुअल फंड की ओपन-एंडेड स्कीम्स में रिडीम करें।
- NAV एक्सप्लोर करें: स्कीम्स का लेटेस्ट या हिस्टॉरिक NAV पाएं, जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन के बारे में जानकारी रखने में मदद मिलेगी।
- अकाउंट स्टेटमेंट: रिक्वेस्ट की गई अवधि /फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स दर्शाने वाला अकाउंट स्टेटमेंट और कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट।

व्हाट्सएप चैटबॉट में PAN का KYC, FATCA और OTM स्टेटस चेक करने के लिए क्वेरी, SIP कैलकुलेटर, ब्रांच लोकेटर भी है, जिससे निवेशकों को मिराए एसेट म्यूचुअल फंड के ऑफिस ढूंढने में मदद मिलती है और कई अन्य एडिशनल सर्विसेज भी मिलती हैं।

व्हाट्सएप इन्वेस्टर पोर्टल फीचर्स:

Hi मैसेज के बाद मैन मेन्यू में निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

वेलकम मैसेज

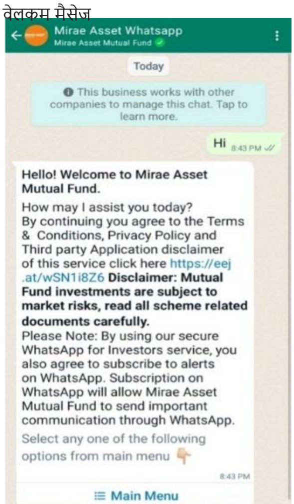

ट्रांज़ैक्ट मेन्यू में निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

- ट्रांज़ैक्ट
- पोर्टफोलियो वैल्यूएशन
- नेट एसेट वैल्यू
- स्टेटमेंट
- ट्रांज़ैक्शन स्टेटस
- एडिशनल सर्विस

ट्रांजैक्ट सलेक्ट करने के बाद हमारे पास मौजूदा और नए निवेशक के लिए एक विकल्प है, नए निवेशकों के लिए इसे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

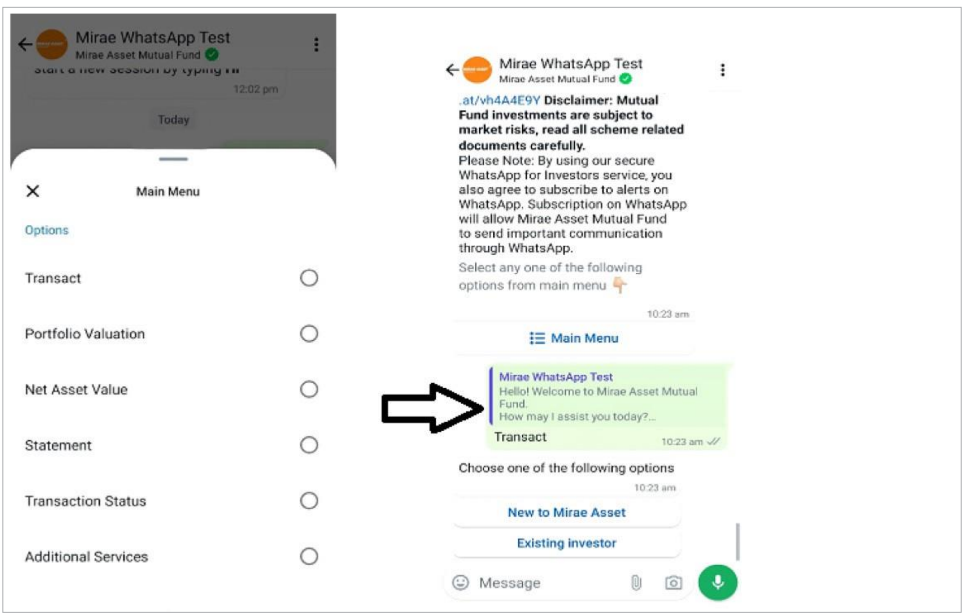

ट्रांज़ैक्ट:

मौजूदा निवेशक के लिए नीचे दिए गए ट्रांज़ैक्शन विकल्प उपलब्ध हैं।

- लम्पसम पर्चेज़
- SIP
- रिडीम
- ETF
- स्विच
- STP
- SWP
- मैंडेट रजिस्ट्रेशन
- कैंसलेशन (SIP/STP/SWP)

पोर्टफोलियो वैल्यूएशन:

निवेशक के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:

PAN नंबर डालें--> OTP डालें --> 2 विकल्प उपलब्ध हैं (स्कीम लेवल और फोलियो लेवल)

- स्कीम लेवल- सभी स्कीम्स का करंट वैल्यूएशन और NAV उपलब्ध है
- फोलियो लेवल- सभी फोलियो उपलब्ध हैं, वह फोलियो नंबर चुनें जिसके लिए वैल्यूएशन चाहिए।

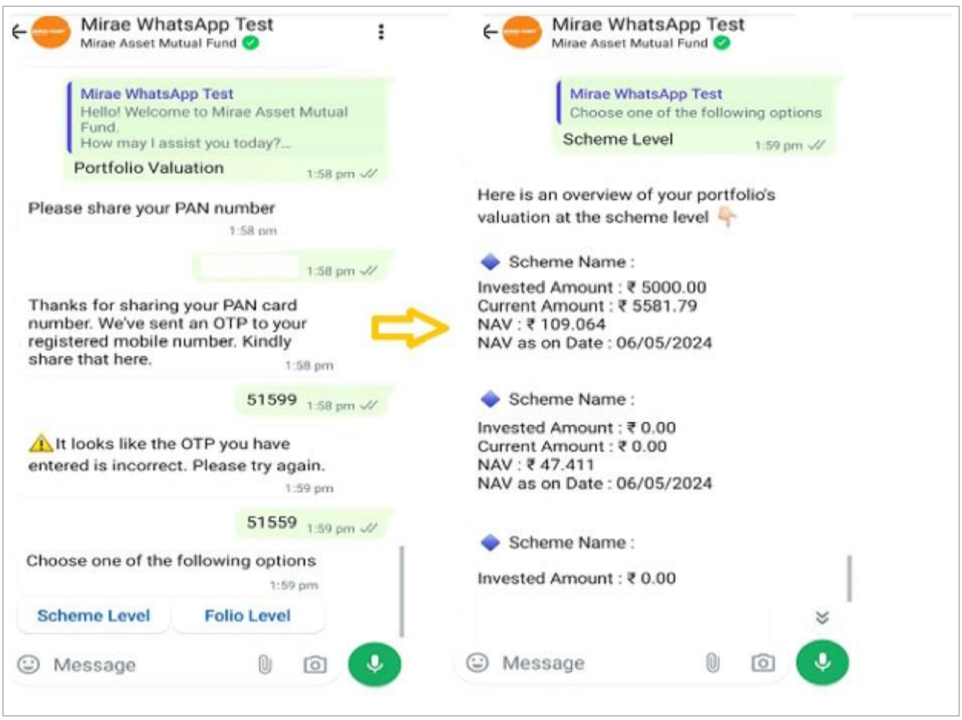

नेट एसेट वैल्यू:

PAN नंबर डालें --> OTP डालें --> 2 विकल्प उपलब्ध हैं

- हिस्टॉरिक NAV और
- लेटेस्ट NAV

लेटेस्ट NAV: विशिष्ट NAV के लिए स्कीम चुनें

हिस्टॉरिक NAV: पेज को हमारी वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाता है

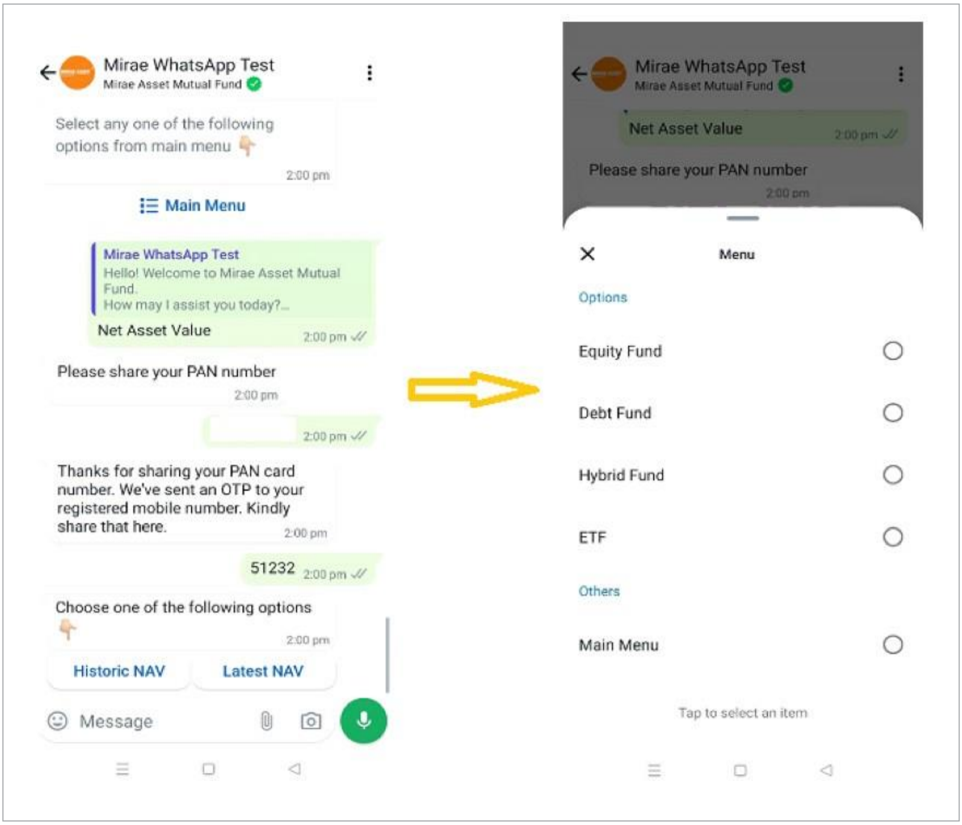

स्टेटमेंट:

PAN नंबर डालें --> OTP डालें --> 2 विकल्प उपलब्ध हैं

- PAN बेस्ड और
- फोलियो बेस्ड

PAN बेस्ड: 2 विकल्प उपलब्ध हैं

- कैपिटल गेन और
- अकाउंट स्टेटमेंट

निम्नलिखित टाइम फ्रेम्स के लिए स्टेटमेंट डाउनलोड किया जा सकता है:

- वर्तमान फाइनेंशियल ईयर
- पिछला फाइनेंशियल ईयर
- स्पेसिफिक डेट रेंज सलेक्शन और
- एज़ ऑन डेट

दो विकल्प उपलब्ध हैं:

- अभी डाउनलोड करें और
- ईमेल पर भेजें - फोलियो-बेस्ड में फोलियो नंबर चुनें

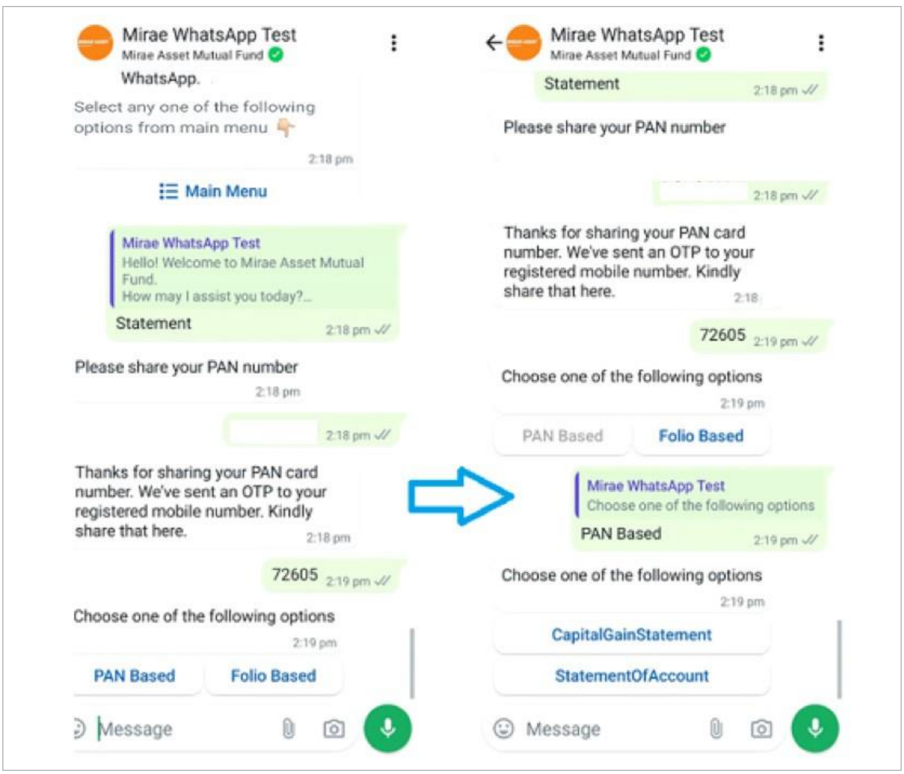

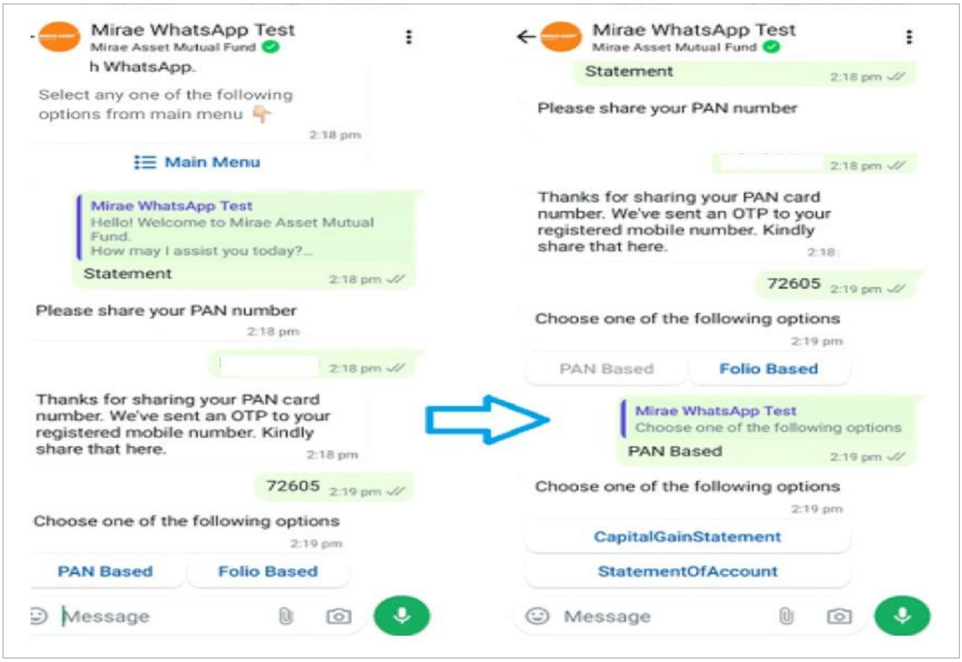
Mirae WhatsApp Test
Mirae Asset Mutual Fund
h WhatsApp.
Select any one of the following options from main menu
2:18 pm
Main Menu
Mirae WhatsApp Test
Hello! Welcome to Mirae Asset Mutual Fund.
How may I assist you today?...
Statement
2:18 pm
Please share your PAN number
2:18 pm
2:18 pm
Thanks for sharing your PAN card number. We've sent an OTP to your registered mobile number. Kindly share that here.
2:18 pm
72605
2:19 pm
Choose one of the following options
2:19 pm
PAN Based
Folio Based
Message
Mirae WhatsApp Test
Mirae Asset Mutual Fund
Statement
2:18 pm
Please share your PAN number
2:18 pm
Thanks for sharing your PAN card number. We've sent an OTP to your registered mobile number. Kindly share that here.
72605
2:19 pm
Choose one of the following options
2:19 pm
PAN Based
Folio Based
Mirae WhatsApp Test
Choose one of the following options
PAN Based
2:19 pm
Choose one of the following options
2:19 pm
CapitalGainStatement
StatementOfAccount
Message

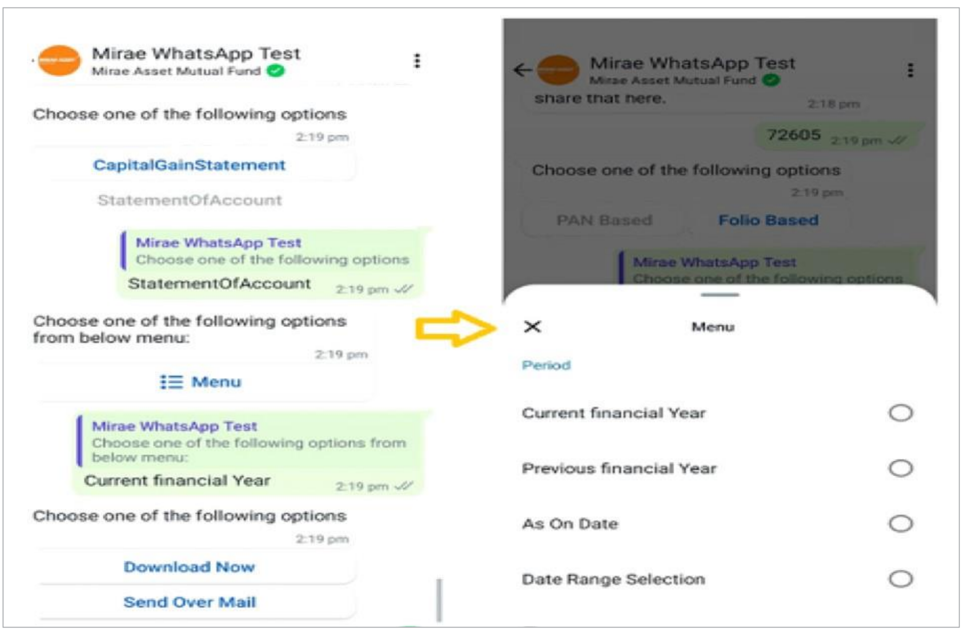
Mirae WhatsApp Test
Mirae Asset Mutual Fund
Choose one of the following options
2:19 pm
CapitalGainStatement
StatementOfAccount
Mirae WhatsApp Test
Choose one of the following options
StatementOfAccount
2:19 pm
Choose one of the following options from below menu:
2:19 pm
Menu
Mirae WhatsApp Test
Choose one of the following options from below menu:
Current financial Year
2:19 pm
Choose one of the following options
2:19 pm
Download Now
Send Over Mail
Mirae WhatsApp Test
Mirae Asset Mutual Fund
share that here.
2:18 pm
72605
2:19 pm
Choose one of the following options
2:19 pm
PAN Based
Folio Based
Mirae WhatsApp Test
Choose one of the following options
Menu
Period
Current financial Year
Previous financial Year
As On Date
Date Range Selection

ट्रांज़ैक्शन स्टेटस:

ट्रांज़ैक्शन स्टेटस --> PAN नंबर डालें --> OTP डालें

निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

(a) पर्चेज़ स्टेटस (फोलियो नंबर चुनें और पर्चेज़ ट्रांज़ैक्शन स्टेटस दिखाई देगा)

(b) रिडेम्पशन स्टेटस (फोलियो नंबर चुनें और रिडेम्पशन स्टेटस दिखाई देगा)

(c) SIP रजिस्ट्रेशन स्टेटस (फोलियो नंबर चुनें और SIP रजिस्ट्रेशन स्टेटस दिखाई देगा)

(d) SIP कैंसलेशन स्टेटस

(e) नॉन-कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन स्टेटस

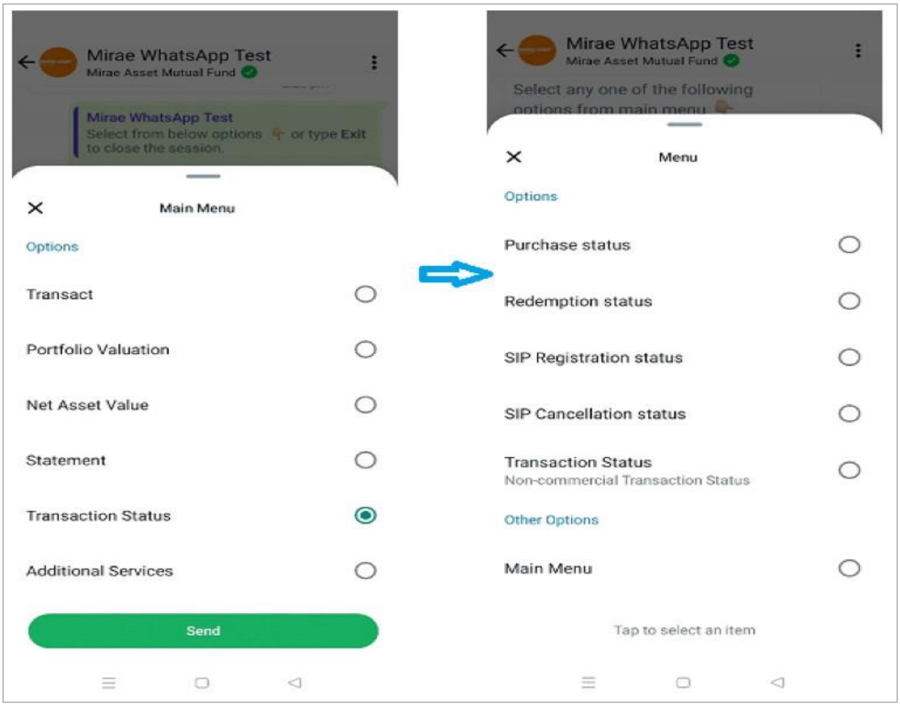

एडिशनल सर्विस:

"स्टेटस जानें" विकल्प को छोड़कर, अन्य सर्विसेज के लिए वेबसाइट पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन होता है।
(a) स्टेटस जानें: अपना - KYC FATCA और OTM स्टेटस जानें
(b) फंड एक्सप्लोरर
(c) FAQ
(d) डाउनलोड
(e) कैलकुलेटर
(f) ब्रांच लोकेटर
(g) नॉलेज सेंटर

स्टेटस जानें: अपना KYC FATCA और OTM स्टेटस जानें, फर्स्ट होल्डर्स का KYC FATCA और OTM स्टेटस
- OTM स्टेटस में बैंक का नाम, UMRN नंबर, OTM स्टार्ट और एन्ड डेट और OTM राशि उपलब्ध होता है। निम्नलिखित कैलकुलेटर भी उपलब्ध हैं:

- SIP कैलकुलेटर
- टॉप-अप कैलकुलेटर
- SWP कैलकुलेटर
- STP कैलकुलेटर
- रिटायरमेंट कैलकुलेटर
- चाइल्ड एजुकेशन कैलकुलेटर

लम्पसम पर्चेज़ के लिए:

मैन मेन्यू → ट्रांज़ैक्ट → लम्पसम पर्चेज़ → PAN नंबर डालें → OTP डालें → फोलियो चुनें → स्कीम चुनें (मौजूदा / नई) → स्कीम चुनें → राशि डालें → बैंक चुनें → पेमेंट का तरीका चुनें (नेट बैंकिंग / UPI) → ट्रांज़ैक्शन समरी वेलिडेट करें → OTP डालें ट्रांज़ैक्शन आईडी पॉप्युलेट होगी → लिंक पर क्लिक करें और पेमेंट करें।

SIP रजिस्ट्रेशन के लिए:

मैन मेन्यू → ट्रांज़ैक्ट → मिराए एसेट में नए या मौजूदा निवेशक →SIP → PAN नंबर डालें → OTP डालें → फोलियो चुनें → स्कीम चुनें (मौजूदा / नई) → SIP रजिस्ट्रेशन मोड चुनें (ENACH (OTM)/iSIP) → मौजूदा मैंडेट → मैंडेट चुनें → SIP फ्रीक्वेंसी चुनें → SIP स्टार्ट डेट चुनें → एन्ड डेट चुनें या परपेचुअल सेट करें → SIP राशि डालें → टॉप अप SIP सेट करें (हाँ/नहीं) SIP डिटेल्स वेलिडेट करें और आगे बढ़ने के लिए हाँ/नहीं चुनें → OTP डालें → SIP सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया है।

रिडेम्पशन के लिए:

मैन मेन्यू → ट्रांज़ैक्ट → रिडीम → PAN नंबर डालें → OTP डालें→ फोलियो चुनें →स्कीम चुनें → विकल्पों में से चुनें (अमाउंट/यूनिट/सभी यूनिट्स) → रिडेम्पशन के लिए राशि / यूनिट डालें → बैंक चुनें → OTP डालें कन्फर्म करने पर डिटेल्स को वेलिडेट करने के बाद, लागू एग्जिट लोड और STT चार्जेज के साथ रिडेम्पशन डिटेल्स दिखाई देती हैं → रिडेम्पशन प्रोसेस्ड हो गया है।

STP के लिए:

मैन मेन्यू → ट्रांज़ैक्ट → मिराए एसेट में नए या मौजूदा निवेशक →STP → PAN नंबर डालें → OTP डालें → फोलियो चुनें → STP FROM स्कीम चुनें → रजिस्ट्रेशन मोड चुनें → STP TO स्कीम और विकल्प चुनें → STP फ्रीक्वेंसी चुनें → STP स्टार्ट डेट डालें → STP एन्ड डेट डालें → STP राशि डालें → STP डिटेल्स वेलिडेट करें और आगे बढ़ने के लिए हाँ/नहीं चुनें → OTP डालें → STP सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया है।

SWP के लिए:

मैन मेन्यू → ट्रांज़ैक्ट → t → SWP → PAN नंबर डालें → OTP डालें → फोलियो चुनें → SWP स्कीम चुनें → SWP फ्रीक्वेंसी चुनें → SWP स्टार्ट डेट डालें → SWP एन्ड डेट डालें → SWP राशि डालें → वह बैंक चुनें जिसमें पेमेंट किया जाना है → SWP डिटेल्स वेलिडेट करें और आगे बढ़ने के लिए हाँ/नहीं चुनें → OTP डालें → SWP सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया है।

मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए:

मैन मेन्यू → ट्रांज़ैक्ट ▫ मैंडेट रजिस्ट्रेशन → PAN नंबर डालें → OTP डालें → ENACH → फोलियो चुनें →रजिस्टर्ड बैंकों में से चुनें → अकाउंट नंबर डालें → मैंडेट मैक्स लिमिट डालें → मैंडेट स्टार्ट डेट डालें → मैंडेट एन्ड डेट चुनें या परपेचुअल सेट करें → मैंडेट डिटेल्स वेलिडेट करें और आगे बढ़ने के लिए हाँ/नहीं चुनें → OTP डालें → नेट बैंकिंग विकल्प चुनें → ENACH रजिस्टर करने के लिए लिंक को ऑथराइज़ करें → नेटबैंकिंग में लॉगिन करें → OTP डालें → ENACH सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया है।

SIP/STP/SWP कैंसलेशन के लिए:

मैन मेन्यू → ट्रांज़ैक्ट → मिराए एसेट में नए या मौजूदा निवेशक → SIP/STP/SWP कैंसलेशन → PAN नंबर डालें → OTP डालें → फोलियो चुनें → SIP/STP/SWP कैंसलेशन विकल्प चुनें → प्रदर्शित विकल्पों में से वे डिटेल्स चुनें जिन्हें कैंसिल करना है → डिटेल्स वेलिडेट करें और आगे बढ़ने के लिए हाँ/नहीं चुनें → OTP डालें → SIP/STP/SWP कैंसलेशन सफलतापूर्वक हो गया है।

रेगुलेटरी प्रक्रिया - डिस्ट्रीब्यूटर

रेगुलेटरी प्रक्रिया - डिस्ट्रीब्यूटर

KYD (अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जानें):

AMFI ने सितंबर 2010 में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए KYD की शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में AMFI एड्रेस प्रूफ, बैंक मैंडेट प्रूफ आदि कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूटर के डेटा को सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स से वेरीफाई किया जाता है। एक सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस है जिसके तहत वर्तमान में प्रत्येक AMC द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर डेटा मेंटेन किया जाता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स एड्रेस, बैंक मैंडेट, टेलीफोन नंबर आदि में बदलाव के लिए प्रत्येक उस AMC को रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, जिसने उन्हें सूचीबद्ध किया है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 15 AMC के साथ सूचीबद्ध है, तो वह डिस्ट्रीब्यूटर 15 ऐसी रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है। वर्तमान प्रक्रिया डिस्ट्रीब्यूटर्स और AMC पर बोझ डालती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और AMC ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, AMFI द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज शुरू की गईं।

AMFI ने सभी AMC को ARN सर्विसेज प्रदान करने के लिए CAMS को नियुक्त किया था ताकि AMFI के सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटर डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूटर की स्टैटिक डिटेल्स जैसे एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एनुअल सेल्फ-सर्टिफिकेशन आदि केवल एक बार AMFI को उपलब्ध कराए जा सकें। कमीशन के पेमेंट के लिए प्रत्येक AMC के साथ अलग से बैंक डिटेल्स अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है।

KYD की प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित बदलाव हैं, जो 01 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हैं:

- ARN ग्रांट के लिए KYD कंप्लायंस हेतु फिजिकल बायोमेट्रिक्स प्रक्रिया को बंद करना।
- KYD उद्देश्य के लिए ARN आवेदकों/ MFD के लिए आधार और PAN सबमिट करना अनिवार्य है; या KRA के साथ "वैलिड" KYC (यानी, "वेलिडेटेड" स्टेटस वाला KYC) होना चाहिए।
- आधार और PAN ऑथेंटिकेशन को ऑनलाइन आसान बनाने और पेपर-बेस्ड प्रक्रिया को समाप्त करने की दिशा में AMFI रजिस्ट्रेशन (नए ARN और EUIN) के लिए व्यक्तिगत आवेदकों हेतु ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है।

एम्पेनलमेंट:

ब्रोकरेज केवल एम्पेनल्ड (सूचीबद्ध) डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स से उनके सूचीबद्ध होने से पहले प्राप्त आवेदनों के मामले में, ट्रांज़ैक्शन को ARN कोड "एम्पेनल्ड नहीं" के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। सूचीबद्ध होने से पहले की अवधि के लिए कंप्यूट गई ब्रोकरेज रोक ली जाती है और मंथली ब्रोकरेज के पेमेंट के समय सूचीबद्ध होने पर डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी जाती है।अगर सूचीबद्ध न होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ब्रोकरेज 6 महीने के अंदर सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो ब्रोकरेज जब्त कर लिया जाएगा।

इनवैलिड ARN के साथ रेगुलर प्लान के अंतर्गत प्राप्त ट्रांज़ैक्शन की प्रोसेसिंग के लिए गाइडलाइन्स:

इनवैलिड ARN के साथ रेगुलर प्लान में प्राप्त ट्रांज़ैक्शन को उसी स्कीम के डायरेक्ट प्लान में प्रोसेस किया जाना चाहिए (भले ही रेगुलर प्लान में रिपोर्ट किया गया हो), नीचे दिए गए लॉजिक को लागू करते हुए:

ट्रांज़ैक्शन का प्रकार	प्राइमरी ARN			सब-डिस्ट्रीब्यूटर ARN		EUIN*	एग्ज़िक्यूशन ओनली मेंशन किया गया है	रेगुलर प्लान / डायरेक्ट प्लान
	वैलिड	इनवैलिड	एम्पेनल्ड	वैलिड	इनवैलिड	वैलिड	हाँ	
लम्पसम / रजिस्ट्रेशन	Y		Y				Y	रेगुलर
	Y		N	लागू नहीं होता				डायरेक्ट
	Y		Y	N.A.	N.A.	N.A.	N	रेगुलर*
	Y		Y	Y		Y		रेगुलर
		Y						डायरेक्ट
	Y		Y	Y			Y	रेगुलर
	Y		Y		Y			डायरेक्ट
ट्रिगर	Y			लागू नहीं होता				रेगुलर
		Y		लागू नहीं होता				डायरेक्ट

डिस्ट्रीब्यूटर कोड में बदलाव:

AMFI बेस्ट प्रैक्टिसेज गाइडलाइन्स सर्क्युलर नंबर 112/2023-24 (नए सर्क्युलर नंबर 112a/2025-26 के माध्यम से) दिनांक 30 जुलाई, 2025 को आंशिक संशोधन के तहत, निवेशक द्वारा इनिशिएट किए गए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर में बदलाव की रिक्वेस्ट के लिए, ट्रांसफरी डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेल कमीशन का पेमेंट यूनिटहोल्डर डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूटर कोड में बदलाव की तारीख से 12 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद किया जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोड 12 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर ऑरिजिनल ARN कोड में वापस बदल दिया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर कोड में बदलाव की ऐसी तारीख से अगले 12 महीनों कूलिंग ऑफ पीरियड फिर से शुरू हो जाएगा।

AMFI ने MFD/ARN कोड में बदलाव की रिक्वेस्ट करने के लिए एक स्टंडर्डाइज़्ड फॉर्म (एनेग्ज़र A) भी पेश किया है। यह बदलाव कूलिंग पीरियड के बाद T+11वें दिन लागू होगा। निवेशक और पुराने व नए दोनों MFD को एक कन्फर्मेशन मेल भेजा जाएगा। ये रिवाइज्ड गाइडलाइन्स 11 अगस्त, 2025 से प्रभावी होंगी।

नए (ट्रांसफरी) डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन का पेमेंट, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन रेट (जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटर कोड में बदलाव की तारीख पर लागू हो) में से जो भी कम हो, उस पर आधारित होगा। ऊपर उल्लिखित ट्रेल कमीशन के अलावा, डिस्ट्रीब्यूटर कोड में बदलाव के कारण, किसी भी प्रकार का कोई अन्य पेमेंट, जिसमें इंसेंटिव या कमीशन शामिल हैं, प्रॉस्पेक्टिव बेसिस पर नहीं किया जाएगा।

AUM ट्रांसफर:

एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को AUM ट्रांसफर करने के लिए स्टैंडर्ड प्रक्रिया:

एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को म्यूचुअल फंड क्लाइंटेल/AUM ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफरी डिस्ट्रीब्यूटर को उन सभी AMC के साथ अनिवार्य रूप से एम्पेनल्ड होना चाहिए जिनके साथ ट्रांसफरर डिस्ट्रीब्यूटर एम्पेनल्ड है।

ट्रांसफरर डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपने ARN के अंडर म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स की एक अप-टू-डेट लिस्ट होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर इसे K-फिनटेक की मेलबैक सर्विसेज या K-Fintech डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से प्राप्त कर सकता है या इसे उपलब्ध कराने के लिए K-फिनटेक को लिखित रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है।

ट्रांसफरर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सभी म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स को ईमेल या लेटर द्वारा लिखित कम्युनिकेशन भेजना होगा, जिसमें उन्हें AMFI बेस्ट प्रैक्टिसेज गाइडलाइन्स सर्क्युलर नंबर 135/BP/ 106 /2022-23 दिनांक 21 मार्च, 2023 के मुताबिक उनके फोलियो में ARN में प्रस्तावित बदलाव के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें क्लाइंट्स से रिक्वेस्ट की जाएगी कि अगर उन्हें ट्रांसफरी डिस्ट्रीब्यूटर के ARN के अंडर अपने MF फोलियो को ट्रांसफर करने में कोई आपत्ति है, तो वे 15 दिनों के अंदर संबंधित AMC को लिखें।

लेटर/ईमेल में स्पष्ट रूप से उस लास्ट डेट का उल्लेख होना चाहिए जिस तक क्लाइंट को AMC को सूचित करना होगा (क्योंकि क्लाइंट्स को लेटर/ईमेल भेजने की लास्ट डेट से 15 दिनों का कूलिंग पीरियड होता है)। लेटर/ईमेल में उस K-फिनटेक की ईमेल आईडी और एड्रेस भी होना चाहिए जिस पर निवेशक अपने जवाब भेज सकते हैं। इस संबंध में ट्रांसफरर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स को भेजे जाने वाले लेटर/ईमेल का एक नमूना एनेग्ज़र 1(a) और एनेग्ज़र 1(b) के तौर पर अटैच्ड है।

ट्रांसफरर डिस्ट्रीब्यूटर उन विभिन्न म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए क्लाइंट्स को एक कॉमन लेटर/ईमेल भेज सकता है, जिसमें क्लाइंट्स ने निवेश किया है।

इसके बाद, ट्रांसफरर डिस्ट्रीब्यूटर को संबंधित RTA को निर्धारित फॉर्मेट यानी एनेग्ज़र 2 में AUM के ट्रांसफर के लिए AMC-वाइज एप्लीकेशन, निर्धारित फॉर्मेट यानी एनेग्ज़र 3 में कवरिंग लेटर के साथ सबमिट करनी होगी। प्रस्तावित AUM ट्रांसफर /मर्जर का कारण (अगर ट्रांसफरर हस्तांतरक MFD सब-डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में प्रमुख MFD के साथ टाई-अप करता है) AUM के ट्रांसफर की एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा (चूंकि AUM के ट्रांसफर का कारण ट्रेल कमीशन रेट की गणना पर सीधा प्रभाव डालता है, अर्थात यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मौजूदा रेट या ट्रेल कमीशन की कम दर लागू होगी)।

ट्रांसफरर डिस्ट्रीब्यूटर को निर्धारित फॉर्मेट में AUM ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन के साथ निम्नलिखित डॉक्युमेंट सबमिट करने होंगे:

- म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स को भेजे गए कम्युनिकेशन का एक सैंपल।
- डिस्पैच का प्रूफ/ पोस्ट करने का सर्टिफिकेट (फिजिकल लेटर के मामले में) या ईमेल लॉग्स।
- जिन निवेशकों को कम्युनिकेशन भेजा गया है उनकी सूची, उनके PAN और फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए।
- ट्रांसफरी डिस्ट्रीब्यूटर का डिक्लेरेशन, यानी एनेग्ज़र 4

AUM के ट्रांसफर के बाद ट्रांसफरर के ARN के कैंसलेशन की एप्लीकेशन। (अगर ट्रांसफरर डिस्ट्रीब्यूटर किसी मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सब-डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में टाईअप कर रहा है तो यह लागू नहीं होगा)।

K-फिनटेक निवेशकों को सूचना देने की तारीख से 15 दिनों के कूलिंग-ऑफ पीरियड (अगर अवधि कई दिनों में फैली हुई है, तो सूचना देने की लास्ट डेट) के बाद AUM ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करेगा। K-फिनटेक, AUM ट्रांसफर रिक्वेस्ट/कूलिंग पीरियड पूरा होने के 15 कैलेंडर दिनों के अंदर उनके द्वारा सर्विस्ड सभी AMC में AUM ट्रांसफर पूरा करेगा और ट्रांसफरर व ट्रांसफरी डिस्ट्रीब्यूटर को एक ईमेल कन्फर्मेशन भेजेगा।

K-फिनटेक एक साथ CAMS - AMFI यूनिट को AUM ट्रांसफर के पूरा होने का कन्फर्मेशन भेजेगा, साथ ही ट्रांसफरर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सबमिट किए गए ARN के कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन भी भेजेगा (जहां भी लागू हो)।

CAMS-AMFI यूनिट्स RTA से सूचना प्राप्त होने के 2 कार्य दिवसों के अंदर ट्रांसफरर ARN के कैंसलेशन को प्रोसेस करेगी।

AUM ट्रांसफर के लिए नियम:

सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा निवेशक को लेटर भेजने की तारीख से 15 दिनों के कूलिंग पीरियड के बाद मर्जर/AUM ट्रांसफर किया जाता है।

अगर कूलिंग पीरियड की समाप्ति मंथली ब्रोकरेज पेमेंट साइकिल के साथ मेल खाती है, तो उस महीने के ब्रोकरेज के पेमेंट के बाद एसेट ट्रांसफर को प्रोसेस किया जाता है।

मर्जर के समय सोर्स और टारगेट ARN कोड दोनों वैलिड होने चाहिए।

टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर को AMFI / AUM ट्रांसफर को सोर्स कोड का ARN कार्ड सबमिट करने के बाद मर्जर की तारीख से ट्रेल शुल्क (प्राप्ति की तारीख पर लागू दर पर) मिलेगा।

सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर के ट्रांज़ैक्शन का भुगतान सोर्स कोड पर लागू रेट पर किया जाता रहेगा। सिस्टम में पुराने डिस्ट्रीब्यूटर कोड को नए डिस्ट्रीब्यूटर कोड से बदल दिया जाता है।

नीचे बताए गए AUM ट्रांसफर के बाद AMFI सर्क्युलर के अनुसार ब्रोकरेज ट्रीटमेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूटर के नाम/कानूनी स्थिति में बदलाव की स्थिति में, ट्रांसफर्ड AUM में ट्रांसफरर या सोर्स रेट लागू होगी।

बिज़नेस का मर्जर /एक्वीज़ीशन / बिज़नेस का कंसॉलिडेशन / बिज़नेस का ट्रांसफर / डी-मर्जर / बिज़नेस का विघटन / पार्टनरशिप फर्म्स या LLP में बदलना /डिस्ट्रीब्यूटर्स (ARN होल्डर्स) द्वारा अधिग्रहित नए कोड में ट्रांसफर्ड AUM में ट्रांसफरर या सोर्स रेट लागू होगी।

जब मुख्य ARN होल्डर के अंडर सब-डिस्ट्रीब्यूटर मुख्य ARN से बाहर निकलना चाहता है, तो जो ट्रांसफर्ड एसेट्स पर सोर्स और टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच जो कम दर होगी वह लागू होगी।

बिज़नेस को स्वैच्छिक समाप्त करने की स्थिति में, उसका निवेशक अपनी फ्यूचर सर्विस आवश्यकताओं/MF निवेशों के लिए अपनी पसंद के किसी अन्य म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में बदलने का विकल्प चुन सकता है, ऐसी स्थिति में ट्रांसफर्ड एसेट्स पर कम कमीशन लागू होगा।

ARN एक्सपायरी:

AMFI गाइडलाइन्स के मुताबिक, ARN की वैधता अवधि एक्सपायर होने के बाद किए गए बिज़नेस पर ब्रोकरेज का पेमेंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और AMFI से ARN के रिन्यूअल का कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही इसे जारी किया जा सकता है। AMFI से ARN के रिन्यूअल पर RTA नज़र रखता है और उसे सिस्टम में अपडेट करता है। ARN रिन्यूअल ग्रेस पीरियड 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया गया है। ARN/EUIN को ऑनलाइन मोड से रिन्यू किया जा सकता है।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने 26 मार्च, 2025 को ARN (AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर) के रिन्यूअल की समय सीमा और ARN वैलिडिटी की एक्सपायरी से पहले किए गए बिज़नेस पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (MFDs) को कमीशन के पेमेंट के संबंध में एक सर्क्युलर जारी किया था। तत्पश्चात, खंड 3(d) में संशोधन के साथ 02 अप्रैल 2025 को एक संशोधित सर्क्युलर जारी किया गया। आपके रेफरेंस के लिए सर्क्युलर का सारांश दिया गया है।

जैसी कि प्रथा है: मौजूदा AMFI गाइडलाइन्स के मुताबिक, अगर ARN वैलिडिटी एक्सपायर होने के तीन (3) महीने के अंदर ARN को रिन्यू किया जाता है, ARN के रिन्यूअल न होने के कारण अर्जित लेकिन रोके गए कमीशन का पेमेंट ARN के रिन्यूअल की तारीख से भावी रूप से किया जाएगा। ARN की वैलिडिटी एक्सपायर होने से पहले और ARN रिन्यूअल की तारीख तक किए गए बिज़नेस, ARN के रिन्यूअल के बाद रिलीज़ किए जा सकते हैं।

हालाँकि, अगर ARN वैलिडिटी की एक्सपायरी की तारीख के बाद 3 महीने से ज़्यादा समय के बाद ARN का रिन्यूअल किया जाता है, तो ARN के रिन्यूअलन होने के कारण रोकी गई कमीशन राशि जब्त कर ली जाएगी।

नई प्रथा: विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक और ARN कमिटी की सिफारिशों के आधार पर, AMFI ने गाइडलाइन्स को संशोधित करने का फैसला लिया है। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, अगर ARN की वैलिडिटी एक्सपायर होने की तारीख से तीन (3) महीने के अंदर ARN को रिन्यू नहीं किया जाता है (केवल उन ARN के लिए जिनकी वैलिडिटी 01 अप्रैल 2025 के बाद एक्सपायर हो रही है), तो जो संबंधित MFD के क्लाइंट्स हैं, AMC उन यूनिटहोल्डर्स को एक लिखित कम्युनिकेशन भेजकर सूचित करेगा कि उनके MFD के AMFI रजिस्ट्रेशन/ARN की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है और उसे रिन्यू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ARN का रिन्यूअल होने पर, ARN वैलिडिटी की एक्सपायरी से पहले किए गए बिज़नेस पर ट्रेल कमीशन ARN के रिन्यूअल की तारीख से भावी रूप से देय होगा।

स्थिति	**विवरण**	**गाइडलाइन्स**	**रिमार्क्स**
एक्सपायरी के बाद 3 महीने के अंदर ARN का रिन्यूअल किया जाता है	अगर ARN वैलिडिटी एक्सपायर होने की तारीख के बाद तीन (3) महीने की के अंदर ARN का रिन्यूअल किया जाता है	ARN वैलिडिटी एक्सपायर होने से पहले किए गए बिज़नेस पर ARN के रिन्यूअल न होने के कारण ARN रिन्यूअल की तारीख तक अर्जित लेकिन रोके गए कमीशन को ARN रिन्यूअल होने पर जारी किया जा सकता है।	
एक्सपायरी के 3 महीने बाद ARN का रिन्यूअल किया जाता है	अगर ARN वैलिडिटी एक्सपायर होने की तारीख के तीन (3) महीने बाद ARN का रिन्यूअल किया जाता है	ARN का रिन्यूअल न होने के कारण रोकी गई कमीशन राशि जब्त कर ली जाएगी।	मौजूदा गाइडलाइन्स में कोई बदलाव नहीं
एक्सपायरी के बाद 3 महीने के अंदर ARN का रिन्यूअल नहीं किया जाता है	अगर ARN वैलिडिटी एक्सपायर होने की तारीख के तीन (3) महीने की अवधि के बाद ARN का रिन्यूअल किया जाता है	जो संबंधित MFD के क्लाइंट्स हैं, AMC उन यूनिटहोल्डर्स को एक लिखित कम्युनिकेशन भेजकर सूचित करेगा कि उनके MFD के AMFI रजिस्ट्रेशन/ARN की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है और उसे रिन्यू नहीं किया गया है। ट्रेल कमीशन ARN के रिन्यूअल की तारीख से भावी रूप से देय होगा। उदाहरण के लिए, अगर ARN 10 अप्रैल 2025 तक वैलिड था और 10 अगस्त 2025 को रिन्यू हुआ था, तो ARN का रिन्यूअल न होने के कारण 11 अप्रैल 2025 से 9 अगस्त 2025 तक रोका गया ट्रेल कमीशन जब्त कर लिया जाएगा। हालाँकि, MFD को पिछले किये गए बिज़नेस (10 अप्रैल 2025 तक) पर 10 अगस्त 2025 के बाद, यानी ARN के रिन्यूअल की तारीख से भावी रूप से ट्रेल कमीशन का पेमेंट किया जा सकता है।	

एप्लीकेबिलिटी और लागू होने की तारीख: संशोधित गाइडलाइन्स केवल उन ARN पर लागू होगी जिनकी वैलिडिटी 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद एक्सपायर हो रही है।

सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म (SDC) की एनुअल डिक्लेरेशन सबमिट करना:

सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक निर्धारित फॉर्मेट में एनुअल डिक्लेरेशन प्रस्तुत करें कि उन्होंने AMFI गाइडलाइन्स और आचार संहिता का पालन किया है। यह DSC या SDF हर फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए हर साल अप्रैल महीने में सबमिट करनी होगी। डिस्ट्रीब्यूटर को DSC/SDF को RTA को सबमिट करना होगा, जो उनके द्वारा सर्विस किए जाने वाले सभी म्यूचुअल फंड्स में इस सबमिशन को रजिस्टर करेगा।

AMC अप्रैल से जून तक डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए SMS रिमाइंडर भेजती है।

देय ब्रोकरेज SDF सबमिट किए जाने तक रोक लिया जाता है। SDF सबमिट करने पर रोकी गई ब्रोकरेज राशि अगले ब्रोकरेज पेमेंट को प्रोसेस करने के समय डिस्ट्रीब्यूटर को जारी कर दी जाती है।

हाल ही में जारी AMFI सर्क्युलर के मुताबिक, अगर डिस्ट्रीब्यूटर 31 दिसंबर तक DSC सबमिट नहीं करता है तो अर्जित रोकी गई ब्रोकरेज जब्त कर ली जाएगी।

25 जुलाई 2022 के सर्क्युलर के मुताबिक, सेल्फ-डिक्लेरेशन सबमिट करने का ग्रेस पीरियड 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया गया है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर 30 सितंबर तक DSC सबमिट नहीं करता है, तो जून से सितंबर तक रोकी गई ब्रोकरेज जब्त कर ली जाएगी।

EUIN रेमेडिएशन:

AMFI ने AMFI में रजिस्टर्ड और वैलिड रजिस्ट्रेशन वाले सभी कर्मचारियों को एम्प्लॉई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (EUIN) अलॉट किया है। ब्रोकरेज पाने के एलिजिबल होने के लिए सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एप्लीकेशन फॉर्म पर EUIN बताना अनिवार्य है।

अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने ARN कोड के अंतर्गत निवेशकों के ट्रांज़ैक्शन के लिए AMFI गाइडलाइन्स के अनुसार ट्रांज़ैक्शन की तारीख से 30 दिनों के निर्धारित रेमेडिएशन पीरियड से ज़्यादा समय तक EUIN प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ट्रांज़ैक्शन पर देय कमीशन स्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा।

जिन ट्रांज़ैक्शन में EUIN उपलब्ध नहीं है/ इनवैलिड है, DSS द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को उनका डेटा समय-समय पर दिया जाएगा।

डिस्ट्रीब्यूटर EUIN रेमेडिएश फॉर्म का उपयोग करके EUIN से संबंधित डिटेल्स / डिटेल्स प्रदान कर सकता है और अगर इसे रेमेडिएशन पीरियड (यानी 30 दिन) के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन अगली साइकिल में रिलीज़ किया जाएगा।

म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रेगुलर प्लान के NFO में ट्रांज़ैक्शन स्विच करने के मामले में कमीशन रेट की एप्लिकेबिलिटी का ट्रीटमेंट

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रेगुलर प्लान के न्यू फंड ऑफर (NFO) में ट्रांज़ैक्शन स्विच करनी के मामले में कमीशन रेट के संबंध में गाइडलाइन्स प्रदान करती है। इसका सारांश इस प्रकार है:

स्थिति	**From स्कीम**	**To स्कीम**	**स्विच आउट स्कीम के लिए पिछली कमीशन रेट**	**NFO कमीशन रेट**	**लागू रेट**	**लागू रेट**
लिक्विड स्कीम में निवेश के साथ लिक्विड/ओवरनाइट स्कीम से NFO स्कीम में स्विच फ्रेश पर्चेज़/एडिशनल पर्चेज़ के ज़रिए किया जाता है।	मिराए एसेट लिक्विड फंड/मिराए एसेट ओवरनाइट फंड	NFO स्कीम	0.05% FY और परपेचुअल	0.70% FY 0.60% SY और परपेचुअल	0.70% FY 0.60% SY और परपेचुअल	NFO रेट
नॉन लिक्विड स्कीम से NFO स्कीम में स्विच	मिराए एसेट फ्लेक्सी कैप फंड	NFO स्कीम	0.75% FY 0.75% SY और परपेचुअल	0.70% FY 0.60% SY और परपेचुअल	FY-लोअर रेट - 0.70% SY-लोअर रेट - 0.65%	दोनों में से कम वाली रेट
नॉन लिक्विड स्कीम से लिक्विड/ओवरनाइट और फिर NFO स्कीम में स्विच (NAV डेट से 30 दिनों के अंदर लिक्विड स्कीम में स्विच)	02 मई 2025 को मिराए एसेट फ्लेक्सी कैप फंड से स्विच आउट और मिराए एसेट लिक्विड फंड में स्विच और उसके बाद 15 मई 2025 को NFO स्कीम में स्विच।	NFO स्कीम	0.05% FY और परपेचुअल	0.70% FY 0.60% SY और परपेचुअल	FY-लोअर रेट - 0.05% SY-लोअर रेट - 0.05%	दोनों में से कम वाली रेट
नॉन लिक्विड स्कीम से लिक्विड/ओवरनाइट और फिर NFO स्कीम में स्विच (NAV डेट से 30 दिनों से ज़्यादा लिक्विड स्कीम में स्विच)	02 अप्रैल 2025 को मिराए एसेट फ्लेक्सी कैप फंड से स्विच आउट और मिराए एसेट लिक्विड फंड में स्विच और उसके बाद 15 मई 2025 को NFO स्कीम में स्विच।	NFO स्कीम	0.05% FY और परपेचुअल	0.70% FY 0.60% SY और परपेचुअल	0.70% FY 0.60% SY और परपेचुअल	NFO रेट

नोट: स्विच में STP Out और STP In शामिल हैं
FY - फर्स्ट ईयर ट्रेल
SY - सेकंड ईयर ट्रेल

MIRAE ASSET
Mutual Fund

हमें यहाँ फॉलो करें:

म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, इसलिए योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें।